

व्यवस्थापिका सभाएं ।

लेजिस्लेटिव काँसिल, व्यवस्थापिका सभाका पहला रूप, पहला काँसिल ऐक्ट, व्यवस्थापकोंकी अधिकारवृद्धि, काँसिलोंकी पूर्व रचना, काँसिलोंके मेम्बर, कौन निर्वाचित नहीं हो सकते, मताधिकार, जेनरल इलेक्टरेट, जमीन्दार इलेक्टरेट, मुसलमान इलेक्टरेट रपेगठ इलेक्टरेट, निर्वाचनविधि, काँसिल का अधिवेशन, बिल, सिलेक्ट कमिटी, बिलपर विचार, आर्थिक विवरण और प्रस्ताव, बजेट, विचारणीय विषय, अन्य विषयोंके प्रस्ताव, काँसिलमें प्रश्न सेक्रेटरीके कर्तव्य और अध्यक्षके अधिकार, भारतसचिव और कानून प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाएं, आय व्ययके चे खाते जिनपर हो सकता था और नहीं हो सकता था

पृष्ठ ६२ से १५३

अगरेजोंकी भारतीय नीति ।

बगमंगसे जाग्रति, स्वराज्यका आन्दोलन, ब्रिटिश सरकार की घोषणा और मांटफर्ड रिपोर्ट और ऐक्ट पृ० १५४ से १५८

नयी शासन व्यवस्था ।

पुरानी और नयी पद्धति, ब्रिटिश भारतके विभाग, द्वैध शासन, भारतीय और प्रादेशिक विषय-विभाग, भारतशासन-व्यवस्थामें परिवर्तन, आर्थिक व्यवस्था, भारतसरकारकी आय और भारतसरकार और भारतसचिवका नियन्त्रण

पृष्ठ १५६ से १६०

नयी व्यवस्थापिका सभाए ।

उत्तरदायित्वका अर्थ, मताधिकार, इलेक्ट्रेट, उम्मेदवारकी योग्यता, सभाके निर्वाचक, निर्वाचकोंकी योग्यता (मद्रास, बम्बई, बंगाल युक्तप्रदेश, विहार उड़ीसा, मध्यप्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बर्मा, दिल्ली) और मनोनीत मेंबर पृष्ठ १७७ से १८४

व्यवस्थापक मण्डल ।

मण्डल और उसका कार्यकाल, राज्यसभाकी रचना, व्यवस्थापिका परिषदकी रचना, मेम्बर और प्रेसिडेंट, व्यवस्थापक मण्डलकी कार्यपद्धति, कार्यालय, प्रश्न, प्रस्ताव, विलका आरम्भिक विचार, सिलेक्ट कमिटी, विलका अन्तिम विचार, यजेट, बिल और ऐक्ट, गवर्नर जनरलके विशेष अधिकार, कानूनका बनना रोक सकते हैं, संयुक्त कमिटी, कानफरेन्स और संयुक्त अधिवेशन और पब्लिक एकाउण्ट्स कमिटी पृष्ठ १८५ से २०६

प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाए ।

सभाका कार्यकाल, सभाका कार्य, विल और गवर्नर, गवर्नरके विशेषाधिकार, कौन्सिलोंकी रचना और यजेट और गवर्नर पृष्ठ २०७ से २१३

प्रिवी कौंसिल ।

प्रिवी कौंसिलकी रचना, जुडोशाल कमिटीकी रचना और हीशाल कमिटीका कार्य पृष्ठ २१४ से २१७

यानोंकी गिनतीसे ही आकाश सेनाकी शक्तिका पता लगता है। स्थल सेना सर्गीनों, घन्दूकों, भालों, तलवारों और तोपोंसे लडती है, पर जल सेनाकी लडाई तोपों और टारपीडो वा जलवज्रोंसे होती है और आकाश सेनाको वीरता ऊपरसे वम, छोटी तोपोंसे गोले फेकने और परियल टारपीडो वा आकाश वज्र मारनेमें ही समाप्त हो जाती है। यद्यपि भारत उपद्वीप है और इसकी रक्षाके लिये स्थल सेनाकी अपेक्षा जलसेनाकी विशेष आवश्यकता है, तथापि इतिहासके आरम्भसे अतक इसपर जितने आक्रमण हुए हैं, सब स्थल मार्गसे ही हुए हैं, इस लिये यहा स्थल सेनाको ही महत्व दिया जाता है। कोई ४० वर्षसे भारतपर रुमके आक्रमणकी आशङ्का की जाती थी और इसी लिये पश्चिमोत्तर सीमाको सुदृढ करनेकी ओर विशेष ध्यान दे लाई किचनरने भारतीय सेनाकी पुनारचना की और बराबर सैनिक व्यय घटाना अस्वीकार किया। भारतमें छोटीसी जलसेना तथा आकाश सेना भी है। ये स्थल सेना या आर्मीके ही अन्तर्गत हैं।

अङ्ग्रेजोंने इस देशमें आकर व्यापार प्रारम्भ करनेके बहुत

भारतमें अगरेजी वर्षों बाद भारतीय सेना खडी करनेका धीगणेश क्रिया या। पहले विलायतसे सेनावी सृष्टि। कुठ सिपाही आते थे और यहा ईस्ट

इण्डिया कम्पनीके कारवानो और कोटियोंकी परचोंकीके लिये हिन्दुस्थानी दरवान रते जाते थे। सन् १६५४ में मद्रासके

सेण्ट जार्ज किलेमें दस गोरे सिपाही थे और १६६१ में ४०० गोरे सिपाहियोंसे अङ्गरेजोंने चम्बईपर अधिकार जमाया था । १६८८ में वहा २८५ सिपाही थे, जिनमें ६३ अङ्गरेज और बाकी फ्रेंच, पोर्चुगालिये और हिन्दुस्थानी थे । सबसे पहले फ्रेंचोंने हिन्दुस्थानियोंको पलटनोंमें भर्ती करना और यूरोपियन ढंगसे लडना सिखाया था । बाद अङ्गरेजोंने भी उनका अनुकरण किया और १७४८ से मेजर स्ट्रिजर लारेन्सने अङ्गरेजी सेनामें हिन्दुस्थानी रंगरूट भर्ती करना आरम्भ किया क्योंकि इस समय फ्रेंचोंने युद्ध छिट गया था और इङ्ग्लैण्डसे गोरे सिपाही लाना असम्भव था । पहले तो दरवान और चपरासी ही भर्ती किये गये, बाद और लोगोंकी नौबत आयी । मद्रास, चम्बई और बङ्गालमें इसी प्रकार सिपाही भर्ती हुए और प्रेसिडेन्सी सेनाओंकी नीज पडी । १७५३ में इङ्ग्लैण्डसे भी पलटनें आने लगीं । प्रेसिडेन्सी सेनाओंकी बदौलत ईस्ट इण्डिया कम्पनीने फ्रेंचोंको हराया और इस प्रकार भारतमें साम्राज्यस्थापनका इनका विचार नष्ट हुआ । भारतीय राजा महाराजों और नयारोंकी शक्ति भी इन्हीं सेनाओंने नष्ट की और लार्ड कार्न वालिसकी यह उक्ति सिद्ध कर दिखायी कि हमारे सिपाहियोंका एक ब्रिगेड जिसको चाहे हिन्दुस्थानका बादशाह बना सकता है । पहले पहल १७८६ में इन सेनाओंकी पुनारचना हुई । उस समय कम्पनीके पास १३,००० यूरोपियन और ५७,००० भारतीय सैनिक थे । दूसरी पुनारचना १८१४ में

और तीसरी १८६२-६३ में हुई। इस समय १,४०,००० सैनिक थे, जिनमें ६५,००० अङ्गरेज थे। १८८७ में ब्रिटिश सिपाहियोंकी संख्या बढ़कर ७४,००० और हिन्दुस्थानी सिपाहियोंकी १,५३,००० हो गयी थी। इस प्रकार कोई १३० वर्षतक तीनों प्रेसिडेन्सियोंकी सेनाएं अलग अलग रहीं, पर १८६१ से तीनोंको एक करनेका कार्य आरम्भ हुआ। इस वर्ष तीनों प्रेसिडेन्सियोंके स्टाफ कोर मिला दिये गये। जो गोरे अफसर हिन्दुस्थानी पलटनोंमें थे, उनकी सजा "स्टाफ कोर" थी। १८६५ में बम्बई और मद्रास सेनाओंके प्रधान सेनापतियोंके पद उठा दिये गये और दोनों चङ्गाल सेनामें मिला दी गयीं और अब तीनों सेनाएं भारतीय सेनाके नामसे प्रधान सेनापतिके अधीन हैं। १६०३ की १ली जनवरीसे "इण्डियन स्टाफ कोर" नाम बदल दिया गया और अब हिन्दुस्थानी सेनाके गोरे अफसर "आफिसर्स थाव दि इण्डियन आर्मी" कहाते हैं।

गवर्नर जनरल और कौन्सिलपर ही भारतके सुशासनका

मिलिटरी

डिपार्टमेंट ।

उत्तरदायित्व है और सेनापर भी उन्हीकी प्रभुता है। परन्तु भारत सरकारका

सब काम विभागों द्वारा होता है, इस

लिये सेना सम्बन्धीय कार्योंके लिये सेना विभाग बनाया गया है। लार्ड किचनरके प्रधान सेनापति नियुक्त होनेके पहले प्रधान सेनापतिका काम सेनाको युद्धार्थ प्रस्तुत रखना मात्र

था । सेनाकी उत्कृष्टताके लिये वे यदि कभी किसी प्रकारके व्ययका प्रस्ताव करते थे, तो उन्हें पहले अपना प्रस्ताव मिलिटरी डिपार्टमेंट (सैनिक विभाग) द्वारा फाइनेन्स डिपार्टमेंट चा अर्थव्यवस्था, विभागमें भेजना पडता था । मिलिटरी डिपार्टमेंट गवर्नर जनरलकी कौन्सिलके एक मेम्बरके अधीन था और इसका रसद, वारपरदारी, सेनाको यथास्थान पहुचाने तथा शस्त्रास्त्र बनानेका प्रबन्ध करना और फौजी हिसाब किताब रखनाभर था । मिलिटरी डिपार्टमेंटका मेम्बर एक फौजी अफसर होता था । इस व्यवस्थासे प्रधान सेनापति और मिलिटरी मेम्बरमें गहरा मतभेद भी हो जाता था और कभी कभी प्रधान सेनापतिको अपनी बात फट जानेका भी भय रहता था । यद्यपि प्रधान सेनापतिका पदगौरव गवर्नर-जेनरलके वाद ही था, तथापि उन्हें कभी कभी मिलिटरी मेम्बरसे दबना पडता था । लार्ड किचनरने सोचा कि जो अधिकार हमें मिलने चाहिये जबतक वे मिलिटरी मेम्बरको रहेंगे, तबतक काम न चलेगा ; इस लिये उन्होंने प्रस्ताव किया कि मिलिटरी डिपार्टमेंट उठा दिया जाय । इन दिनों लार्ड कर्जन भारतके गवर्नर-जेनरल थे और अधिकारप्रियतामें लार्ड किचनरसे किसी तरह कम न थे । इन्होंने इस प्रस्तावका विरोध किया । इसपर विचार करनेके लिये लार्ड रायटस, सर जार्ज हार्डि और सर एडवर्ड ला इन तीन सज्जनोंकी कमिटी नियुक्त की गयी ।

इस कमिटीकी सूचनाओंके अनुसार सन् १९०६ में

मिलिटरी सप्लाइ
डिपार्टमेण्ट ।

मिलिटरी डिपार्टमेण्ट उठा दिया गया
और उसके बदले मिलिटरी सप्लाइ
डिपार्टमेण्ट और आर्मी डिपार्टमेण्ट नामके

दो नये विभाग बने । मिलिटरी डिपार्टमेण्टकी तरह सप्लाइ
डिपार्टमेण्ट एक फौजी अफसरके अधीन किया गया और आर्मी
डिपार्टमेण्ट वा सेना विभागपर प्रधान सेनापतिका प्रभुत्व हुआ ।
मिलिटरी सप्लाइ डिपार्टमेण्टका मुखिया भी कौन्सिलका
मेम्बर बनाया गया । इस विभागका काम वारवरदारीके
लिये पशुओंकी व्यवस्था करना तथा शस्त्रास्त्र रिमाउण्ट (घोड़े
बदलना), मिलिटरी वर्क्स (छावनिया, किले आदि बनानाया
मरम्मत करना), फौजकी बर्दोंकी तैयारी, रायल इण्डियन
मैरीन (राजकीय भारतीय जलसेना) और मेडिकल
सर्विसका निवन्धन करना था । मिलिटरी एकाउण्टस् डिपार्ट
मेण्ट फाइनेन्स डिपार्टमेण्टके अन्तर्गत कर दिया गया और
मिलिटरी फाइनेन्स ब्रैञ्च नामसे प्रसिद्ध हुआ । सेनाका
और सभ्र काम तथा छावनियों और चालण्टियरोके सम्बन्धका
काम सेना विभाग अथवा प्रधान सेनापति करने लगे । इस
प्रवन्धसे प्रधान सेनापतिका कार्य बहुत बढ़ गया, इसलिये
आर्मी स्टाफमें ऊचे दर्जेका एक अफसर नियुक्त किया गया,
जो चीफ आव स्टाफ या "चीफ आव दि जेनरल स्टाफ"
कहाता है । नये मिलिटरी सप्लाइ डिपार्टमेण्टका मेम्बर

कोन निरुक्त हो । इस विषयपर लार्ड कर्जन और लर्ड किचनर लड पडे । लार्ड कर्जनके विरुद्ध भारत सचिवका निर्गम हुआ, इससे ये इस्तीफा देकर चले गये । अब लार्ड किचनरकी तूनी योलने लगी और उनके कथनानुसार ही सेना और सेनाविभाग में परिवर्तन होने लगे । अन्तको भारतसे प्रस्थान करनेके ४५ महीने पहले अर्थात् सन् १६०६ के अप्रैलमें लार्ड किचनरने मिलिटरी सप्लाइ डिपार्टमेण्ट भी उठा दिया और उसका काम आर्मी हेड क्वार्टर्स या सेनाके सदरको दिलाया । अब प्रधान सेनापति ही सैनिक विषयोंमें भारत सरकारके प्रधान परामर्श दाता और सेनाविभागके सर्वे सर्वा हैं ।

भारतीय सेना सम्यन्धीय सभ व्यवस्था हेड क्वार्टर्स स्टाफ और सेना विभाग द्वारा होती है । सेना विभाग और हेड क्वार्टर्स स्टाफ । सेना विभागका काम रसद आदि तथा अर्थकी व्यवस्था करना है । सेनाका हेड क्वार्टर वा सदर शिमलेमें ही और उसके मुख्य कर्मचारी "हेड क्वार्टर्स स्टाफ" कहाते हैं । हेड क्वार्टर्स स्टाफ छ ब्रैञ्चों या शाखाओंमें विभक्त है, यथा (१) जेनरल स्टाफके मुखियेकी ब्रैञ्च (२) ऐडजुटैण्ट जेनरलकी ब्रैञ्च (३) क्वार्टर-मास्टर-जेनरलकी ब्रैञ्च (४) मेडिकल ब्रैञ्च (५) आर्डनेन्स ब्रैञ्च और (६) मिलिटरी वर्क्स ब्रैञ्च ।

जेनरल स्टाफके (चीफ) मुखियेके विभागमें तीन मुख्य कर्मचारी होते हैं और सैन्य सञ्चालन, सैनिकशिक्षा और

युद्धपरिचालनका काम इसी विभागसे होता है। इस विभागके मुखिया "चीफ आथ दि जेनरल स्टाफ" जेनरलके मुखिया कहाते हैं। इनके एक सहकारी "डाइरेक्टर आथ मिलिटरी आपरेशन्स" वा युद्धसञ्चालक कहे जाते हैं और दूसरे "डाइरेक्टर आथ स्टाफ ड्यूटीज ऐण्ड मिलिटरी ट्रेनिंग" अर्थात् स्टाफके कर्त्तव्यों और सैनिक शिक्षाके सञ्चालक कहाते हैं। इन दोनोंके अधीन प्रथम द्वितीय तथा तृतीय इन तीन श्रेणियोंके कई कर्मचारी होते हैं। ये स्टाफ अफसर कहाते हैं। जेनरल स्टाफके मुरर तीनो कर्मचारी जेनरल होते हैं।

एंडजुटैण्ट जेनरल प्रधान सेनापतिको मुख्य सहकारी होता है। प्रधान सेनापतिसे आज्ञा लेना और सेनाको उसकी सूचना देना इसीका काम है। एंडजुटैण्ट जेनरलकी वृत्त तीन सेकशनों वा भागोंमें विभक्त है, (१) जेनरल सेकशन (२) रिक्लूटिङ्ग सेकशन और (३) जज, ऐडवोकेट-जेनरलका सेकशन। जेनरल सेकशन द्वारा प्रधान सेनापतिकी आज्ञाएं प्रचारित होती हैं और रङ्गरूटोंकी भर्तीसे रिक्लूटिङ्ग सेकशनका सम्बन्ध है। जज ऐडवोकेट जेनरल सेकशन सेनाका न्याय विभाग है। सेनामें फौजी कानूनके अनुसार न्याय होता है और जज ऐडवोकेट, जेनरलका कर्त्तव्य है कि वह देखता रहे कि सैनिक शासनके अनुसार काम होता है। फौजी अदालतोंमें जज

फीजी अदालतको काररवाई जज पेडवोकेट जेनरलको भेज दी जाती है और वह देखता है कि सब काररवाई कानूनके अनुसार हुई है या नहीं। जेनरल और रिफ्यूटिंग सेक्शन दो डिप्टी पेडजुस्ट जेनरलके अधीन हैं और जज पेडवोकेट-जेनरल अपने सेक्शनके मुखिया हैं। इन कर्मचारियोंके अतिरिक्त कई ऐसिस्टेंट और डिप्टी ऐसिस्टेंट पेडजुस्ट जेनरल भी हैं।

क्वार्टर-मास्टर-जेनरलका काम सेनाके लिये स्थानादिकी व्यवस्था करना है। क्वार्टर मास्टर जेनरलकी शाखा पांच सेक्शनोंमें बटी हुई है, (१) म्यूजिट्स, क्वार्टरिंग ऐण्ड कैम्प्टून-मेंट्स सेक्शन, (२) सप्लाइ ऐण्ड ट्रान्सपोर्ट सेक्शन (३) रिमाउण्ड सेक्शन (४) फार्म्स सेक्शन और (५) विटनेरी सेक्शन। सेनाकी गति, उसके रहनेके लिये चारकों तथा छावणियोंके प्रबन्धसे पहले सेक्शनका प्रबन्ध है। यह एक डिप्टी क्वार्टर मास्टर जेनरलके अधीन है। दूसरेका काम सेनाको रम्ह पहुचाना, वागजरदारी और सैनिकोंको एक स्थानसे दूसरे स्थान पहुचानेके लिये रेल तथा दूसरी सवा रियोंका प्रबन्ध करना है। इसका मुखिया डाइरेक्टर कहाता है। तीसरे सेक्शनका काम रिसालेके पुराने घाँजोंको बदलकर दूसरे घोडे देना है। रिमाउण्ड डिपो एक डाइरेक्टर-जेनरलके अधीन है। चौथे सेक्शनका काम घासके घेतोंका प्रबन्ध करना है। इसका कर्ता घर्ता "डाइरेक्टर आब फार्म्स"

कहाता है। पाचवा सेकशन घोड़े आदि पशुओंकी चिकित्सा-से सम्बन्ध रखता और इसका मुखिया "प्रिन्सिपल विटेनरी अफिसर इन इण्डिया" नामसे प्रसिद्ध है।

हेडक्वार्टर्स स्टाफकी अवशिष्ट ब्रैचोंमें मेडिकल ब्रैच सेनाकी स्वास्थ्यरक्षाकी ओर दत्तचित्त रहता है। इसके मुखियेको डाइरेक्टर आव मेडिकल सर्विस कहते हैं। आर्डनैन्स-ब्रैच शाखाएँ तथा गोलेवारूदका प्रबन्ध करता है। सेनाको युद्धोपयोगी शस्त्रों तथा गोले वारूदसे सुसज्जित करना इसी शाखाका काम है। यह डाइरेक्टर-जेनरल-आव आर्डनैन्सके अधीन है। इसकी एक उपशाखा "स्टोर्स सेकशन" कहाती है। इसके प्रबन्धकर्त्ताको "डाइरेक्टर आव आर्डनैन्स स्टोर्स" कहते हैं। मिलिटरी वर्क्स ब्रैचका काम फौजी इमारतों, किलों, गढ़ियों और मोर्चों की मरम्मत करना और उन्हें बनाना है। इसके मुखिया डाइरेक्टर जेनरल आव मिलिटरी वर्क्स कहाते हैं।

सेना विभाग और हेडक्वार्टर्स स्टाफके अतिरिक्त सेना सम्बन्धी एक संस्था और है, जो ऐड-ऐडवाइजरी कौंसिल । वाइजरी कौन्सिल वा परामर्शदात्री समिति कहाती है। इसका काम सेना सम्बन्धी कामोंमें विशेषकर युद्धके समय प्रधान सेनापतिको आवश्यक परामर्श देना है। इस समितिके अध्यक्ष प्रधान सेनापति ही हैं। युद्धसंचालक वा "डाइरेक्टर आव

मिलिटरी 'आपरेशन्स' इसके सेक्रेटरी या मन्त्री हैं; चीफ वाय दि जेनेरल स्टाफ, सेना विभागके सेक्रेटरी, फाइनानशल ऐडवाइजर मिलिटरी फाइनान्स अर्थात् सैनिक अर्थव्यवस्था-सम्बन्धी परामर्शदाता, ऐडजुटेंट जेनरल, क्वार्टरमास्टर जेनरल, मिलिटरी चर्क्सके डाइरेक्टर-जेनरल, आर्डगैन्सके डाइरेक्टर-जेनरल और मेडिकल सर्विसके डाइरेक्टर-जेनरल इसके मेम्बर हैं। इण्डियन मेडिकल सर्विसके डाइरेक्टर जेनरल इसके एसोशियेट (सहचर) मेम्बर हैं। समितिकी रचनापर ध्यान देनेसे ही यह बात समझमें आ जायगी कि यह समिति युद्ध व्यवस्थाके लिये है। युद्धसंचालक इम सभामें अपना प्रस्ताव उपस्थित करते हैं और जिस मेम्बरके अग्रीन जैसा काम है, वह उसके विषयमें अपने अनुभवके अनुसार परामर्श देता है।

समस्त भारतीय सेना दो प्रकारके सैनिकोंमें विभक्त है, एक ब्रिटिश और हिन्दु-स्थानी सेना । ब्रिटिश द्रूप्स और दूसरा नेटिव आर्मी । पहलेको गोरी और दूसरेको काली फौज भी कहते हैं। ब्रिटिश द्रूप्समें ६ घुडसवार पलटनें, घुडचढे तोपखानेकी ११ बैटरिया और युद्धसामग्री पहुचानेवाले ६ दल, ४५ मैदानी बैटरिया, युद्ध सामग्री देनेवाले १२ दलों समेत ८ पहाडी बैटरिया, ६ भारी बैटरिया, गैरिजन (दुर्गरक्षक) तोपखानेकी २१ कम्पनिया, पैदलोंके ५२ बटालियन और कुछ एञ्जिनियर आदि होते हैं। १४ वर्षपर ये सैनिक हिन्दुस्थानसे जाते हैं और उपनिवेशों वा

इङ्ग्लैण्डसे ओर सैनिक आकर इनका स्थान ग्रहण करते हैं। १९१३-१४ में ७५,८६७ ब्रिटिश सैनिक थे। ये युद्धके लिये सदा सज्जित रखे जाते हैं। नेटिव आर्मो या हिन्दुस्थानियोंकी सेनामें रिसालेकी ४० रेजिमेंट, १२ पहाड़ी बैटरिया, सैपर माइन्सकी (सफरमैनाकी) ३ रेजिमेंटें (१६ कम्पनिया) और अन्य कर्मचारियोंके सिवा पैदलोंके १४० बटालियन हैं। इनके सिवा (सर्विस) नौकर चाकरोंकी २० कम्पनिया और ५ सिगनल कम्पनिया भी हैं। इस सेनामें बड़े अफसर सब गोरें हैं। फी सैकडे ३५ मुसलमान, ६२ हिन्दू और बाकी ईसाई, यहूदी आदि हैं। पैदलोंकी हर पलटन एक बटालियनकी होती है, पर गोरखे बन्दूकचियोंकी १० पलटनोंमें दो दो बटालियन हैं। शान्तिके समय ५ बटालियन चीन, स्ट्रेट्ससेटल-मेन्ट और सीलोन वा सिहल द्वीपमें रहते हैं। यह सेना भी युद्धके लिये सज्जित रखी जाती है। इसमें २,१५१ अफसर, १६१,०८५ सैनिक और ३५,७०० रिजर्विस्ट होते हैं। रिजर्विस्ट वे कहते हैं जो सैनिक कमसे कम तीन वर्षतक लड़ाईपर रह चुकनेपर छुट्टी पा जाते हैं। जिस पलटनमें ये भर्तों होते हैं, रिजर्विस्टोंमें नाम रहनेपर भी उस पलटनके ही बने रहते हैं ओर दो दो वर्षपर इन्हें दो महीनेके लिये सैनिक शिक्षाके निमित्त अपनी पलटनमें जाना पडता है। पहले इनका वेतन ३) मासिक था, पर अब २) ही रह गया है। २५ वर्ष सैनिक सेवाके बाद रिजर्विस्टोंको पेंशन मिल जाती है। इनके सिवा

वालट्रियर, इम्पीरियल सर्विस ड्रूप्स और टेरिटोरियल फोर्स भी हैं। स्वेच्छासैनिक वालट्रियर कहाते हैं। इनमें अधिकतर यूरेशियन और कुछ यूरोपियन होते हैं। इनका काम बन्दरो, रेलों, छावनियों तथा नगरोंकी रक्षा करना है। १९१३ १४ में वालट्रियरोंमें १,५२४ अफसर, ३७,३८२ सैनिक और ३,०६३ सत्र दर्जों के रिजर्विस्ट थे। इनके रिसालेकी ७ रेजिमेंटें, घुडसवार बन्दूकचियोंकी ८ रेजिमेंटें, तोपखानेकी ६ बैटरिया, एञ्जिनियरोंकी ७ कम्पनिया और पैदलोंके ४५ बटालियन हैं। देशी राजवाड़े जो सेना भारत सरकारके सहायतार्थ अपने यहां रखते हैं, वह इम्पीरियल सर्विस ड्रूप्स कहाती है। उसकी देय भाल ब्रिटिश अफसर करते हैं। इस सेनामें कुल २०,००० सैनिक हैं, जिनमें ६,००० घुडसवार हैं। टेरिटोरियल फोर्स नागरिक सेना है। इसमें १८,६०० जवान तक भर्ती हो सकते हैं, पर सितम्बर १९२२ तक इसमें ६२०१ ही भर्ती हुए थे। इन्हें साधारणतः भारतके बाहर लडनेको न जाना पड़ेगा। ये छ वर्षके लिये भर्ती किये जाते हैं। पहले साल इन्हें ५६ दिन और बाद हर साल २८।२८ दिन सैनिक शिक्षा मिलेगी। वेतन आदि सामान्य सैनिकके समान ही है। यह देशरक्षणी सेना बतयायी जाती है।

समस्त ससारकी खल सेनाके तीन मुख्य भेद होते हैं और

भारतीय सेना भी इस सर्वसाधारण पैदल सेना ।

नियमका अपवाद नहीं है। ये भेद हैं,

पैदल सेना, रिसाला और तोपखाना। पैदल सेनाको

आंगरेजीमें इनफैट्री, रिसालेको कैबेलरी और तोपखानेको आर्टिलरी कहते हैं। पैदल सेना कम्पनियों, बटालियनों तथा रेजिमेंटों और त्रिगेडोंमें बटी होती है। १२० सैनिकोंकी एक कम्पनी होती है और इसका कमांडर लेफ्टेनेंट होता है। सन् १६०० से ड्रगल कम्पनी पद्धति प्रचलित है। इसमें दो कम्पनियोंका एक कमांडर होता है। आठ कम्पनियोंका एक बटालियन होता है और इसमें १,००० सैनिक होते हैं। हर रेजिमेंटमें साधारणत एक और कभी कभी दो बटालियन होते हैं। एक रेजिमेंटमें १३।१४ ब्रिटिश और १३ हिन्दुस्थानी अफसर होते हैं। पैदलोंके त्रिगेडमें ४ बटालियन, १ मैदानी अस्पताल, १ मैदानी डाकघर और रसद आदि देनेवाला एक बल होता है। लेफ्टेनेंट-कर्नल बटालियनका संचालन करता है। इसके सहायतार्थ एक मेजर और एक ऐडजुटेंट रहता है। ऐडजुटेंटका पद कैप्टेन अर्थात् कप्तान अथवा लेफ्टेनेंटको दिया जाता है। इसे पलटनिये सिपाही अजीटन कहते हैं। कम्पनीके सञ्चालक बहुधा कप्तान होते हैं और इनकी सहायताके लिये एक या दो लेफ्टेनेंट रहते हैं। रसद आदिके प्रबन्धके लिये एक लेफ्टेनेंट या कप्तान क्वार्टर मास्टर बना दिया जाता है। लेफ्टेनेंट-कर्नल, बडा मेजर और ऐडजुटेंट घोड़ेपर सवार रहने हैं। चार बटालियनोंका एक त्रिगेड होता है। इसका संचालक त्रिगेडियर या मेजर जनरल या कर्नल होता है। त्रिगेडमें ४,००० सैनिकोंके सिवा त्रिगेडियर, उसके

स्टाफका प्रमुखकर्त्ता और डाक्टर आदि होते हैं। पैदलोंके हथियार राइफल, बन्दूक और सगीन हैं। अफसरोंके पास तलवार और पिस्तौल रहती है। कुछ गोलीबारूद सिपाहीके पास रहती है, बाकी पञ्चरों और छकडोंपर लदती है और गोलीबारूद ले जानेके लिये अलग दल भी रहता है। इसके बाद डिवीजन है, जिसमें पैदल, सवार और तोपखाना तीनों होते हैं।

रिसाला द्रूप, स्क्वाड्रन, रेजिमेण्ट और त्रिगेडमें बटा रहता है। द्रूपमें ३२ सवार होते हैं और ४ द्रूपोका एक स्क्वाड्रन होता है। इसके सञ्चालनका काम वरुधा कप्तानको और कभी कभी लेफ्टेनेण्टको दिया जाता है और यह स्क्वाड्रन-कमाण्डर कहाता है। एक रेजिमेण्टमें ४से ८ स्क्वाड्रनतक रहते हैं। पर रेजिमेण्टका कमांडिङ्ग अफसर ४ ही स्क्वाड्रनोंके कमांडरोका सञ्चालन करता है और सत्र बातोंमें हस्तक्षेप नहीं करता। पैदल पलटनकी तरह घुडसवार पलटनमें भी क्वार्टर मास्टर और पेडजुट्ट होते हैं और रेजिमेण्टका सचालक इन्हें इनके अधीन कामोंकी सुव्यवस्थाका उत्तरदाता समझता है। रिसालेकी रेजिमेण्टका सचालक भी लेफ्टेनेण्ट कर्नल होता है। रिसालेके त्रिगेडमें १ हार्स बैटरी (अर्थात् घुडबन्दे तोपखानेकी १ बैटरी), त्रिटिश रिसालेकी १ रेजिमेंट हिन्दुस्थानी रिसालेकी २ रेजिमेंटें, १/८ त्रिटिश

फोर्ड ऐम्बुलेन्स (मैदानी अस्पताल), १/२ हिन्दुस्थानी फोर्ड ऐम्बुलेन्स (मैदानी अस्पताल), १ मैदानी डाकघर, रसद पहुचानेवालोंका १ दल और गोलेगारूद देनेवालोंका १ दल होता है। रिसालेके सवारोंके तीन भेद प्रसिद्ध हैं, यथा हसर्स, ड्रैगून्स और लैन्सर्स। हल्के सवारों ओर हल्के घोडोंके रिसालेको हसर्स कहते हैं और भारी सवारों ओर भारी घोडोंका रिसाला लैन्सर्स कहाता है। दोनों तरहके औसत रिसालेका नाम ड्रैगून्स या व्युरैसियर्स है। एक घोडेपर ३ मनसे ऊपर बोझ रहता है। १ मन ३७ सेर तो सवारके वजनका औसत है, तलवार और म्यानका २ सेर, कडावीनका ३॥ या ४॥ सेर, घोरे और कमरबन्दका ६ सेर, भालेका २॥ सेर तथा दो दिनेके घासदानेका कमसे कम २० सेर, और कन्वल, काठी, लगाम और लवादेका वजन मिलकर ३॥ मन हो जाता है। युद्धके समय इतना ही बोझ लादकर घोडोंको परावर पाच मीलतक जाना पडता है। हर रेजिमेण्टमें १३।२४ ब्रिटिश और १६ हिन्दुस्थानी अरुमर होते हैं। रिसालदार कभी कभी कमांडर होते हैं। इनके नीचे जमादार हैं।

तोपखाना तीन-चीजोंसे बनता है, सामग्री (वस्तु),

मनुष्य और पशु। सामग्रीमें तोपें, तोप-

तोपखाना ।

गाडिया गोलेगारूद और सामान तथा

मनुष्योंमें अफसर, नानकमिण्ड अफ

सर, तोपची, घोडे हाफनेवाले और मिस्त्री होते हैं। तोपें

ढोनेका काम प्रायः रात्रों और घोड़ोंसे लिया जाता है । महासमरमें मोटरें भी इस काममें लायी गयी हैं । विक्क-फायरर अर्थात् शीघ्रतासे छुटनेवाली तोपें ही तोपखानेमें रखी जाती हैं । इनसे ६॥ से ८ सेर तकका गोला फेंका जा सकता है । तोपखानेशी एक बँटरीमें तीन सेक्शन और हर सेक्शनमें दो तोपें होती हैं अर्थात् ६ तोपोंकी एक बँटरी होती है । सेक्शन भी दो भागोंमें बँटा रहता है और हर सब सेक्शनमें एक तोप, उसकी गाडिया आदमी और घोड़े तथा सबके ऊपर तोप विभागका "न० १" अर्थात् प्रजान रहता है, जो प्रायः सर्वेष्ट होता है । सेक्शन कमांडरके सामने यह अपने सब सेक्शनकी व्यवस्थाका उत्तरदाता रहता है । न० १ और ५ तोपची मिलकर एक तोप विभाग या गन डिट्रैचमेंट होता है । "न० १" तोपके साथ घोड़ेपर चढ़ा रहता है । इसके बाद एक और नानकमिंशड अफसर रहता है जो पहली गाडीपर चढ़ा रहता है और तोपकी गाडी, सामानगाडियों और लिम्बर-पर (अर्थात् तोपकी गाडीके उस हिस्सेपर जिसमें घोड़े जोते जाते हैं) और तोपची बँठते हैं । तीनों घोड़े हाकनेवाले अपनी जोडीके पास बँठते हैं और हर तोप और हर गाडीकी छ घोड़े पींचते हैं । जब तोपखाना कूच करता है, तब तोप लिम्बरसे यात्र दी जाती है । बँटरीका कमांडर मेजर होता है और इसके नीचे कप्तान रहता है । बँटरीमें माल ढोनेकी भी कई गाडिया रहती हैं और तोपचियों और घोड़े हाकनेवालोंके सिवा

निशाना ठीक करनेवाले और सिगमल या इशारा देनेवाले भी रहते हैं। यह तो मैदानी तोपखानेका व्योरा हुआ। हार्स आर्टिलरी या घुडचढ़े तोपखानेमें तोप विभागके सभी कर्मचारी घोड़ेपर सवार रहने हैं और तोप और उसकी गाडी-पर आदमियों और उनके सामानका बोझ नहीं रहता। इसके अतिरिक्त इसमें आदमी भी अधिक होते हैं, क्योंकि जब तोपें दगने लगती हैं तब घोड़े पकड़नेके लिये भी आदमियोंका प्रयोग होता है। घुडचढ़े तोपखानेकी तोप मैदानी तोपकी तरह जोरदार नहीं रहनी। माउण्टेन आर्टिलरी या पहाडी तोपखानेमें कुल सामान सचरों या दूसरे जानवरोंपर लादा जाता है। सारा बोझ नरामर ४५ सचरोंपर लाद दिया जाता है। तोपें दगनेके समय सामान उतारकर रखनेमें एक मिनटसे अधिक देर नहीं लगती। पहाडी तोपका गोला प्राय ६ सेरसे भारी नहीं होगा, बल्कि एकका ही होता है। सब प्रकारके सैनिकोंको युद्धसामग्री पहचानेका काम "प्रेस्चुनिशन कालम" अर्थात् गोलेगारुदवाले दलको दिया जाता है। इस दलमें फौजी गाडिया होती हैं जिनपर युद्धसामग्री लदी रहती है। ऊपर जैसी तोपोंका वर्णन हुआ है, उनसे भारी तोपें जिस तोपखानेमें होती हैं, उन्हें हेवी आर्टिलरी या भारी तोपखाना कहा जाता है। युद्धक्षेत्रमें जो भारी तोपखाना जाता है, उसकी गाडियोंपर ५ या ४, ६ इंच मुरदाली तोपें रहती हैं। ये भी विचरूफायर या शीघ्रतासे दगनेवाली होती हैं। हर डिवी-

जनमें तोपखानेका जितना भाग रहता है, उसमें इन्म तोपखानेकी ४ तोपोंकी एक बैटरी और रायल गैरिजन आर्टिलरी या किलेके तोपखानेकी एक कम्पनीके सैनिक रहते हैं। साधारण घुडचढ़े या मैदानी तोपखानोंक बैटरियोंकी तरह इसकी बैटरिया भी दो सेकशनोंमें और हर सेकशन दो सत्र सेकशनोंमें बंटा रहता है। भारी मैदानी तोपखानेसे घिराऊ तथा किलेके तोपखानोंमें बड़ा अन्तर रहता है। सीज आर्टिलरी या घिराऊ तोपखानेकी तोपें और उनका सामान गुदामोंमें रहता है और जब शत्रुके किलोंको घेरना होता है, तब तोपोंको बहा ढो ले जाने और सैनिकोंको व्यवस्था की जाती है। किलेके तोपखानेमें किलेपर तोपें चढ़ी रहती हैं और गोले आदि सामान शस्त्रागारमें जमा रहते हैं और गैरिजन आर्टिलरीकी कम्पनीके सैनिक किलेकी तोपें दागते हैं। घिराऊ तोपखानेकी जो तोपें रायल गैरिजन आर्टिलरीके सैनिक दागते हैं, उनमें ६ और ८ इञ्ची हाविजर और ४, ७ इञ्ची और ६ इञ्ची तोपें होती हैं। घिरावके समग्र इनसे भी भारी और बड़ी तोपोंकी व्यवस्था की जाती है। पहाड़ी तोपखानेको छोड़ और सब चलते फिरते तोपखाने त्रिगेडोंमें बंटे हैं। आर्टिलरी त्रिगेडमें साधारणतः तीन बैटरिया होती हैं, जिनमें या तो १८ साधारण या १२ भारी तोपें रहती हैं। मैदानी हाविजर तोपोंके त्रिगेडमें दो ही बैटरिया या १० तोपें रहती हैं। हर त्रिगेडमें युद्धसामग्री पहुचानेवाला एक दल

रहता है। भारतको युद्धसामग्री यथासाध्य विलायतसे न मंगानी पड़े इस लिये यही उसके बनानेकी व्यवस्था की गयी है। मद्रासके वेलिंगटन स्थानमें कारडाइटका कारखाना है। कारडाइट एक प्रकारका विस्फोरक पदार्थ है जिसमें धुआ नहीं होता। कलकत्तेके पास इच्छापुरमें राइफल कारखाना और तोय और गोला बनानेका कारखाना है और काशीपुरमें भी तोपोंका कारखाना है। जबलपुरमें तोपगाडी बनानेका बड़ा कारखाना है।

वर्मा डिवीजनको छोड़ समस्त भारतीय सेना नौ डिवीजनोंमें विभक्त है। प्रत्येक डिवीजनकी डिवीजनकी रचना। रचना इस ढङ्गसे हुई है कि सेनासमूह होनेके समय नौओ डिवीजन रिसाले-ट्रिगेडके कुछ भाग समेत युद्धक्षेत्रमें चले जाय और छावनियोंमें यथेष्ट सैनिक रह जाय। सेनाके नौ डिवीजन और वर्मा डिवीजन तथा दो ट्रिगेड दो भागोंमें विभक्त हैं, एक नार्दर्नआर्मी (उत्तरी सेना) और दूसरा सदर्न आर्मी (दक्षिणी सेना)। उत्तरी सेनाका सदर् मरीमें और दक्षिणी सेनाका ऊट्टकमण्डमें है, पर इनके डिवीजन इस ढङ्गसे रखे गये हैं कि पश्चिमोत्तर सीमापर युद्ध छिडनेपर दोनो सेनाएं शत्रुसे मोर्चा ले सकें। उत्तरी सेनामें पाच डिवीजन हैं, १ला पेशावरमें, २रा रावल-पिण्डीमें, ३रा लाहोरमें, ७वा मेरठमें और ८वा लखनऊमें। नके सिवा वन्नु और डेराजातके ट्रिगेड भी हैं। दक्षिणी

सेनामें चार डिवीजनोंके सिवा वर्मा डिवीजन और अदन त्रिगोड है। ४था डिवीजन फोटेमें, ५वा मऊमें, ६ठा पूनेमें और ६वा ऊटकमण्डमें है। वर्मा डिवीजन मण्डालेमें है। युद्ध छिडनेपर पेशावर और फोटा दोनो स्थानोंके डिवीजन साथ ही लडने लगेंगे। शान्तिके समयसे युद्धके समयके डिवीजनकी शक्तिमें अन्तर पडता है। युद्धक्षेत्रमें जो डिवीजन जाता है, उसमें पैदलोंके ३ त्रिगोड (१ ब्रिटिश और २ हिन्दुस्थानी) और डिवीजनके द्रूप होते हैं। डिवीजनके द्रूपोंमें हिन्दुस्थानी रिसालेकी १ पलटन, पायोनियरोंका (घेल्दारोंका) १ बटालियन, (यह आगे आगे राह दुख्त करता चलता है) ३ मैदानी वैंटरिया, २ पहाडी वैंटरिया, १ ऐम्प्युनिशन कालम । युद्धसामग्री देनेवाला दल) सैपर्स गाइन्स या सफरमैनाकी ३ कम्पनिया, १ सिगनल कम्पनी, २ ब्रिटिश मैदानी अस्पताल, ३ हिन्दुस्थानी मैदानी अस्पताल, १ छापाखाना, १ फोटो लीथो सेकशन, १ मैदानी डाकघर, डिवीजनके सैनिकोंको रसद देनेवाला एक दल और डिवीजनको रसद देनेवाला १ दल होता है। एक डिवीजनमें ३,७०८ गोरे और ६,१६८ हिन्दुस्थानी कुल १२,८७६ सिपाही और ३० तोपें होती हैं। भारतकी मैदानी फौजमें प्राय १॥ लाख सिपाही होते हैं।

हिन्दुस्थानियोंकी पैदल पलटनोका नम्बर १से १३० तक और रिसालेका १से ३६ तक है।

नेनाकी सख्या । सिपाहियोंमें सबसे अधिक मुसलमान हैं। रिसालेमें इनके ६८ स्वघाडून और पैदलोंमें २५० कम्पनिया हैं। इनके घाद सिक्कोका नम्बर

है जिनके ३५ स्क्वाड्रन रिसालेमें और २१४ कम्पनिया पैदलोंमें हैं। रिसालेमें तो गोरखे नहीं हैं, पर पैदलोंमें इनकी १६० कम्पनिया हैं। राजपूतोंके १० स्क्वाड्रन और १०० कम्पनिया, जाटोंके १ स्क्वाड्रन और ६० कम्पनिया तथा डोगरोंके ११ स्क्वाड्रन और ५६ कम्पनिया हैं। मराठे और गढ़वाली राज-पूत रिसालेमें नहीं हैं, पर पैदलोंमें मराठोंकी ४५ कम्पनिया और गढ़वालियोंके दो बटालियन हैं। सेनामें ६,००० मद्रासी भी हैं।

सीमापरकी मिलिटरी पुलिस, सीमान्तकी जातियोंकी मिलीशिया और लेचियोंकी गिनती सेनामें नहीं होती, पर इनसे बड़ी सहायता मिलती है। मिलिटरी पुलिस फौजी ढङ्गसे रखी जाती है और मिलीशिया और लेचिया समय समयपर सीमान्तके उपद्रवियोंसे मोर्चा लेनेके लिये है। बलूचिस्तानकी सीमापर जोब मिलीशिया, मकरान लेवीकोर और चगाई लेवीकोर रहते हैं और अफगानिस्तानकी सीमापर खैबर राइ-फल्स, फुर्रम मिलीशिया, उत्तरी और दक्षिणी चजीरिस्तान मिलीशिया और चित्राल स्काउट्स हैं। मिलिटरी पुलिसमें कुल प्राय २२,००० जवान हैं, जिनमें १६,५०० के लगभग तो वर्मामें हैं, ३०० बङ्गाळमें और बाकी ३,००० आसाम और २,२०० पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेशमें हैं। १९१६ में भारतीय सेनामें ५४६८२ गोरे और १७६,३१३ हिन्दु-स्थानी थे।

यों तो ब्रिटिश सिपाहियों और अफसरोंकी शिक्षा इंग्लैंडमें ही होती है और उसके लिये भारतको धन भी देना पड़ता है परन्तु कुछ समयसे यहा भी शिक्षा देनेकी व्यवस्था

युद्धकलाशिक्षाकी व्यवस्था ।

हो रही है । क्वेटेमें एक स्टाफ कालेज बन रहा है और स्टाफके कामोंकी शिक्षा देवलालीमें दी जा रही है । जिन कर्मचारियोंका किसी विशेष सैन्यदलसे नहीं, प्रत्युत समस्त पलटनसे सम्बन्ध रहता है, वे स्टाफ अफसर कहाते हैं । इसमें भारतवासी नहीं भर्ती होने पाता । जो गोरें स्टाफमें भर्ती होना चाहते हैं, वे ही इस कालेजमें शिक्षा पावेंगे । १९०६-१० से गिसालेका काम सिखानेके लिये भी एक स्कूल है । नीलगिरी जिलेमें एक क्वेटे कालेज खुला है, जिसमें युद्धकला सीखानेके लिये महासमरमें विलायतसे गोरें विद्यार्थी आये थे । छ महीने तक प्रत्येक विद्यार्थीको १५०) मासिक वृत्ति मिली । बाद उसे हिन्दुस्थानी पलटनमें अफसरका काम मिल गया । राजघरानोंके कुमारोंको युद्धकला सिखानेके लिये देहरादूनमें व्यवस्था की गयी है । यहा २० राजकुमार २।३ वर्षतक युद्ध शिक्षा पावेंगे । मध्य श्रेणीके भारतवासीके लिये युद्धकला सीखानेकी व्यवस्था टेरिटोरियल फोर्समें ही है, यद्यपि देहरादूनमें रायल इण्डियन मिलिटरी कालेज १९२२ में खोला गया है । अभिप्राय यह है कि विलायतके सैडस्ट्रॉम मिलिटरी कालेजमें भर्ती होनेके पहले शिक्षार्थी उस विषयका कुछ ज्ञान

प्राप्त कर ले । दिल्लीमें किचनर कालेज बनेगा । इसमें हिन्दुस्थानी अफसरों और प्रतिष्ठित पुरुषोंके लड़कोंको सैनिक शिक्षा दी जायगी । यहासे निकलकर ये लड़के “जमादार” बनेंगे । हिन्दुस्थानी सिपाहियोंके लड़कोंकी शिक्षाके लिये युक्तप्रदेश और पञ्जाबमें ऐंगलो-वर्नाकुलर स्कूल बनेंगे ।

सत्सारके सभी राष्ट्रोंमें शान्तिके समय छोटी सेना रखी जाती है, पर जब एक राष्ट्रका दूसरेसे सैनिक व्यय । विग्रह होता है, तब शान्तिकालीन सेना बढ़ाकर युद्धकालीन बना ली जाती है ।

शान्तिकालीन सेनाको अङ्गरेजीमें “थार्मी आन पीस स्ट्रेंथ” और युद्धकालीन सेनाको “थार्मी आन वार स्ट्रेंथ” कहते हैं । पर भारतमें प्रायः युद्धकालीन सेना ही रखी जाती है, इसी लिये भारतीय सेनाका व्यय भी बहुत अधिक है । भारतीय सेनाकी दूसरी विचित्र बात यह है कि अन्य राष्ट्रोंको तो स्वदेशके बाहर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करनी पडती, पर भारतको कोई ६॥ फरोड़ रुपये सैनिक कार्यों के लिये इङ्ग्लैण्डमें व्यय करने पडते हैं । १९२३-२४ में भारतीय सेनाके व्ययके निमित्त जितनेका बजेट बना था, यह रकम उसके छोटे हिस्सेके लगभग है । इस वर्ष सेनाके लिये ६५,०४,८७,०००) का व्यय स्वीकार किया गया है । १९१४-१५ में सेनाके लिये ३०,४५,८८,०००) व्यय करनेका विचार किया गया था ।

सैनिक व्ययका व्योरा ।

(१९१४ १५ के बजटके अनुसार ।)

भारतमें व्यय

युद्धोपयोगी

महं

रकमें

सैनिक व्यवस्था	६६,६२,८६०]
फौजी हिसाब	२६,५०,३२०]
पलटनोंका वेतन आदि	१२,३६,६८,४३०]
रसद और दारदरदारी	३,४६,६०,६००]
पशुचिकित्सा	५,३०,६२०]
वर्षी	१६,६३,८७०]
घोड़ोंका बदलना	५४,७१,६३०]
चिकित्सा	६०,२६,४००]
चिकित्सा सामग्री	५,०६,५७०]
शस्त्रास्त्र (हथियार गोलेमारुद)	१,०६,०५,३५०]
पादरी	४,३७,४६०]
शिक्षा	१८,५७,३५०]
भोजन आदिकी क्षतिपूर्ति	६३,६५,०००]
निविध फार्म	२१,०६,२८०]
सिपाहियोंके भ्रूपडे	२,००,०००]
सडक, नदी और समुद्र द्वारा जाना	६,००,६५०]
रेल द्वारा जाना	४६,०१,५७०]

छावनिया		१३,६३,८१०]
अलल हिसाव खर्च		
		<hr/>
	जोड़	२१,२५,४६,०००]
युद्धानुपयोगी व्यय		१ १०,०३,०००]
		<hr/>
	भारतमें कुल खर्च	२०,३५,४६,०००]

इंग्लैटमें व्यय ।

युद्धोपयोगी	पाँड
ब्रिटिश सैनिकोंके लिये युद्ध विभागको	६,२०,०००
” सैनिकोंका फलों छुट्टीका भत्ता और वेतन	१,३६,०००
” वर्दोंका खर्च	१६,०००
हिन्दुस्थानी पलटनोंके गोरे अफसरोंका फलों	३,६५,०००
	छुट्टीका वेतन
इण्डियन ट्रूप सर्विस	३,२२,०००
और मर्हे	१,०८,१००
वर्दियोंका सामान	६०,०००
हथियारों, गोलेवारुद आदिका सामान	६,६३,०००
डाक्टरोंका सामान	६६,६००
रस्द और बारगर्दारीका सामान	५७,५००
फौजी खेतोंका सामान	११,०००

ईरानकी खाडीकी लडाईका सामान	५०,०००
सैनिकोंके साथ हिन्दुस्थान आया सामान	२६,१००

जोड़ २८,७०,६००

युद्धानुपयोगी व्यय	
ब्रिटिश सैनिकोंके लिये युद्धविभागको	६,४५,०००
हिन्दुस्थानी पलटनोंके गोरे अफसरोंकी पेनशन	१४,०५,०००
और मर्हों	१,८०,०००

जोड़ २२,३२,०००

इंग्लैण्डमें कुल खर्च ५४,०२,६००

१ पाँड = १५) ८,१०,३६ ०००)

भारतमें कुल खर्च २२ ३५,४६,०००)

कुल खर्च ३०,४५,८८,०००)

सैनिक आय

इंग्लैण्डमें

ब्रिटिश सरकारसे समुद्री राहसे चारवरदारी के खर्च अदा करने फौजी खर्च, और उपनिवेशों गयी हुई हिन्दुस्थानी पलटनके वेतन मध्ये तथा सामानकी अदला बदली और विक्रीसे

३,५१,६०० पाँड

१ पाँड = १५)	५२,७४,०००]
हिन्दुस्थानमें आय विशेषकर फौजी इमारतोंके निरायेसे	१,२६,११,०००]
	<hr/>
कुल आय	१,७८,८५,०००]
	<hr/>
कुल व्यय	३०,४५,८८,०००]
कुल आय	१,७८,८५,०००]
	<hr/>
वास्तविक व्यय	१२८,६७,०३,०००]

आजकल इस प्रकार व्योरेवार हिसाब देखनेमें नहीं आता । अब सेना, जल सेना और फौजी इमारतों इन तीन महोंमें खर्च बाटा जाता है और सब फौजी खर्चमें दिखाया जाता है । १९२३-२४ के बजेटमें कुल ६५,०४,८७,०००] खर्च करना निश्चय हुआ है । इसमें ५६,८४,६६,०००] सेनाका कुल व्यय है और २,६७,२६,०००] आय बाद दे देनेसे ५७,१७,६७,०००] रह जाता है । खर्चका व्योरा इस प्रकार दिया गया है —

भारतमें

युद्धोपयोगी

सेना रखनेका खर्च

३१,३०,५५,५३०]

शिक्षा सम्बन्धी व्यय

तथा डिपो अस्पताल

आदि चलानेका खर्च

सेनाके सदर और कमांडके स्टाफ आदि	२,०२,८२,७२०]
स्पेशल सर्विस	१,४२,११,५८०]
विविध	१,८५,६४,६७०]
स्टाफ एकाउण्ट	-३,११,०२,५००]
	<hr/>
	४२,२२,६६,०००

युद्धानुपयोगी

विलायती एर्चका बुडियावन	५,४८,२७,०००]
आग्जिलियरी और टेरिटोरियल सेना	१०,७,५४,०००]
रायल एयर फोर्स	१,३४,५४,०००]
	<hr/>
	५०,१३,०१,०००]

इङ्गलैंडमें

युद्धोपयोगी	पाँड
सेना रखनेका खर्च	२६,३७,५००
शिक्षा सम्यन्धी व्यय तथा डियो	
अस्पताल आदि चलानेका खर्च	१६,१,७००
सेनाके सदर और कमांडके स्टाफ आदि	५१,०००
स्पेशल सर्विस	४,१५,०००
विविध	६,३३,५००
स्टाफ एकाउण्ट	१४,४१,३००
	<hr/>
	५६,७०,०००

सुदानुपयोगी	३५,६३,०००
रायल प्यर फोर्स	४८६,५००

इंग्लैण्डमें कुल	पौंड ६७,१६,५००
१ पौंड = १०१	६,७१,६५,०००

कुल व्यय ७६,८४,६६,०००

आय

भारतमें २,२७,५१,०००१

इंग्लैण्डमें ३६,७८,०००१

कुल आय २,६४,२९,०००१

लेनापर वास्तविक व्यय ५७,१७,६७,०००१

फौजी इमारतों, सडकों आदिका हिसाब यह है —

व्यय

भारतमें ४,१८,५०,०००१

इंग्लैण्डमें ७,०५,०००१

व्यय ४,२३,५५,०००१

आय १६,२६,०००१

वास्तविक व्यय ४,०७,२६,०००१

७ इस हिसाबमें १०१ का पौण्ड धारा गया है, यद्यपि पौण्डके लिये १५१ के लगभग देने पड़ते हैं ।

सेनाका व्यय	५७,१७,६७,०००]
इमारतों सड़कों आदिका व्यय	४,०७ २६,०००]

स्थल सेना और आकाश सेनाका कुल व्यय रुपये ६१,२४,९३,०००

जसा ऊपर कह आये हैं, भारतमें स्थलसेनाके अतिरिक्त छोटीसी जलसेना भी है, पर स्थल रायल इण्डियन मैरीन सेनासे यह प्राय ५० वर्ष पहलेकी है। इसका कारण यह है कि अङ्गरेज इस देशमें समुद्रमार्गसे ही आये थे और जलसेनाके बिना वे डचों, पोर्चुगालियों अथवा लुटेरोंसे अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। १६१२ से १६८६ तक तो यह ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी जलसेना कहायी, पर बाद १६८६ से १८३० तक बम्बईकी जल सेना, १८३०-६३ तक भारतीय जलसेना, १८६३ से ७७ तक (वाग्ने मरीन) बम्बईकी जलसेना, १८७७ ९२ तक महारानीकी भारतीय जलसेना कहलाती रही। पर १८९२ से इसका नाम रायल इण्डियन मैरीन अर्थात् राजकीय भारतीय जलसेना है। इसका काम सिपाही और सामान ले जाना ले जाना, काले पानीका पहरा देना तथा समुद्री डाकूओंका दमन, बन्दरोंकी रक्षा और समुद्री नावजोव करना था। १९०१ में भारतीय जलसेनाके ट्रेडशिप (चरनद्वार लडाऊ जहाज जिनको छोटोंपर घूमती हुई कई भारी तोपें लगी रहती हैं ताजान जहाजों,) टारपीडो जहाजों और नावघोटों के नियन्त्रणका भार ब्रिटिश

जलसेना समितिने ले लिया जिसके लिये भारतको उसे ६१ हजार पाँड या ६१५०००) प्रति वर्ष देने पडते हैं। १९०२३ में यह बँडा उठा दिया गया ।

व्यापारी जहाजोंके योग्य अफसरोंको भारतसचिव रायल इण्डियन मैरीनमें नियुक्त करते हैं। जलसेनानी रचना और कार्य । इस विभागका एक डाइरेक्टर और एक डिपटी डाइरेक्टर होता है । पहलेका आफिस बम्बई और दूसरेका कलकत्तेमें है । इन दोनो शहरोंमें जहाजोंकी मरम्मत आदिके लिये डाक्यार्ड हैं । इण्डियन मैरीनके अफसर समुद्री पैमाइशके काममें लगाये जाते हैं और वे ही बन्दरोंके “पोर्ट अफसर” नियुक्त होते हैं । इङ्ग्लैण्डसे इन्दुस्थानको पलटने लाने और यहासे वहा ले जानेका काम प्राय भाडेके जहाजोंसे लिया जाता है, पर कुछ पलटने इण्डियन मैरीनके जहाज भी ले आते हैं । पिछले कई वर्षोंसे उपनिवेशोंसे सेना लाने ले जानेका काम इहाँ जहाजोंसे लिया गया है । इस विभागमें १ अप्रैल १९२२ को १०२ कार्यकर्त्ता अफसर, ७६ एञ्जिनियर, ६७ चारंट अफसर और २२२५ माफी आदि थे । १८६६ से ब्रिटिश सरकारको राजकीय जलसेनाके पारिश्रमिक स्वरूप भारत धन दिया करता है । सन १८६६-६७ से ईस्ट इण्डीज स्ववाङ्मनके कुछ जहाजोंके लिये एक लाख पाँड या १५ लाख रुपये वार्षिक देना निश्चय हुआ है । इन जहाजोंसे भारत

सरकारकी सम्मति बिना ब्रिटिश सरकार कोई काम नहीं ले सकती ।

भारतीय जलसेनाका समस्त व्यय ६६,३६,०००) हे ।

७१४,६,०००) भारतमें और २४६००००)

जलसेनाका व्यय इङ्ग्लैण्डमें खर्च होते हैं । इस

विभागकी आय भी है २१,२६००)

भारतमें १९१४-१५ में जो व्यय होता था, उसमें १०,००० पौण्ड निरीक्षण और हिसाब किताब रखनेका, ७१,००० वेतनादिका, ६०,००० जलसेनाकी सामग्री और कोयलेका ६५,००० डाकयार्डका और ६,००० मैरीन सर्वे या समुद्री पैमाइराका व्यय था । इङ्ग्लैण्डमें जो व्यय होता था, उसमें कोई ६२,००० पौण्डकी तो सामग्री थी, बाकी रकम जलसेना समिति को दी जाती थी । भारतीय जलसेनाकी आयका प्रधान मार्ग ब्रिटिश सरकारके काममें उसके जहाजोंका लगाया जाना ही है । १९१३ १४ में जलसेनाकी महोंका कुल खर्च ५,१२,८४१ पौण्ड और १९१४ १५ में ४,५५,७०० पौण्ड रहा है । बाहरी कामसे डकोंकी, जहाज और सामान बेचनेपर, १९१३ १४ में ८६,५४२ पौण्ड और १९१४-१५ में ८६,२०० पौण्ड आय हुई थी । इसमें इन वर्षोंमें भारतको जलसेनाके लिये ४,३२,२०३ और ३,६६,५०० पौण्ड खर्च करने पड़े थे ।

भारतमें साधारण जलसेनाकी व्यवस्था तो है, पर आकाश-सेना या विमानोंपर बैठकर आकाशमें

आकाशमेंना विचरने और पृथिवीपर कहा क्या हो

रहा है इसका पता लगानेकी स्वतंत्र

व्यवस्था नहीं है । कुछ लोगोंको हवाई जहाजोंपर बैठकर उड़नेकी

शिक्षा देनेके लिये १ अक्तूबर १९१३ को सीतापुरमें मिलिटरी फ्लाइट स्कूल स्थापित हुआ था । यह स्कूल सेनाके सदर वा हेडक्वार्टरके आशानुसार एक कमांडेंटके अधीन था । इसके सिवा दो फ्लाइट अफसर भी थे । तीनोंका अविवाहित होना आवश्यक था । ये चार वर्षके लिये नियुक्त किये जाते थे । यदि गिरकर कोई घायल हो जाता तो उसे पेनशन आदि मिल जाती । जो लडाईमें घायल होकर सात वर्षके अन्दर मर जाता तो काम आये हुए अफसरोंके नियमानुसार उसे पेनशन मिलती । कमांडेंटको १,२०० और तीनों अफसरोंको ८८८ रुपये मासिक वेतन मिलता था । इनके सिवा १ गोरा एजिनियर तथा छ गोरे मिस्त्री और १२ हिन्दुस्थानी मिस्त्री तथा एक स्टोर कीपर थे । वायु भारतलचिवने पेंसिस्टेंट "डाइरेक्टर आफ पेरिनाटिन्स" पदकी सृष्टि की । सदरकी आर्डिनेन्स शाखासे इनका सम्बन्ध था और हवाई जहाजोंके विषयमें परामर्श देना इनका काम था । श्रीमार् रीवानरेणने इस स्कूलको ७० घोड़ोंकी शक्तिवा एक एरोप्लेन वा विमान दिया था । यह फी घण्टे ७२ मील उड़ता था । इसके सिवा ८० ओर ७० घोड़ोंकी शक्तिके दो दो एरोप्लेन थे । सीतापुरके हवाई जहाजोंका अर्धा ४०० एकड़ जमीनपर है । पहले पहल रीवावाला एरोप्लेन २४ फरवरी १९१४ को उड़ा था ।

भारत सरकारकी आगरा सेना सेना विभागके अधीन ही

है और रायल एयर फोर्स कहाती है। इसके सचालक वा कमांडरको "एयर कमांडोर" कहते हैं और ये भी प्रधान सेनापतिकी ऐडवाइजरी कौन्सिलके मेम्बर होते हैं। रायल एयर फोर्समें ८ स्काड्रन होते हैं। इनमें ४ स्काड्रनोंकी १ और २ स्काड्रनोंकी १ "विंग" होती है। बाकी २ स्काड्रनों, एयर फोर्स स्कूल, एयरक्राफ्ट डिपो और फैक्टरीकी व्यवस्था रायल एयर फोर्स हेडक्वार्टर्ससे होती है।

भारत सरकारने सेना विभागके व्ययकी जाचके लिये फील्डमार्शल सर विलियम निकोल निकोलसन कमिटी। सनकी अध्यक्षतामें एक कमिटी बनायी थी। जेनरल स्टाफके चीफ लेफ्टिनेंट जेनरल सर पर्सी लेक, ले० जेनरल सर गवर्ट रजैलन ओर मद्रास सरकारके चीफ सेक्रेटरी सर विलियम मेयर इसके मेम्बर नियुक्त हुए थे। इस बीचमें फील्ड मार्शल निकोलसन लार्ड बना दिये गये और सर विलियम मेयर भारत सरकारके अर्थव्यवस्था मन्त्र नियत हुए। मई १९१२ में कमिटीकी बैठक शिमलेमें हुई। कमिटीको इन तीन बातोंपर विचार कर रिपोर्ट करनेका भार दिया गया था — (१) भारतकी वे भीतरी या बाहरी फौजसी अवस्थाएं हैं जो वर्तमान हैं या कुछ ही वर्षों में उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें सैनिक बलके प्रयोगकी आवश्यकता हो, (२) इनके लिये कौसी और कितनी सेनाकी आवश्यकता है, और (३) आवश्यक सेना रखकर उसका

खर्च कैसे घटाया जा सकता है। १९१३ के अप्रैल तक यह कमिटी गुप्त रूपसे विचार करती रही और इसी समय लार्ड निकोलसन इङ्ग्लैण्ड चले गये। कामन्स सभामें कहा गया कि निकोलसन कमिटीकी रिपोर्ट प्रकाशित न की जायगी। पर "टाइम्सके" सैनिक सवाददाताने २ री जून १९१३ के अकमें लिखा कि कमिटीमें मतभेद हो गया है। लार्ड निकोलसन और सर विलियम मेयर एक ओर हैं और उन्हीका मताधिक्य है, क्योंकि अध्यक्षके नाते वे दो मत दे सकते थे। सर पर्सी लैरू और सर रायर्ट स्कैलनने उनके कई प्रस्तावोंके विरुद्ध मत दिया है। इससे समझा गया कि लार्ड निकोलसन और सर विलियम मेयरने खर्च घटानेकी सम्मति दी है। १९१४ की १४ वीं जनवरीको घड़ी व्यवस्थापिका सभामें सरकारकी ओरसे कहा गया कि रिपोर्ट न प्रकाशित की जायगी।

इसके ४ वर्ष बाद जुलाई १९१६ में सूचना मिली कि ब्रिटिश युद्धसचिवकी सम्मतिसे भारतसचिवने एशर कमिटी । भारतीय सेनाके सघटन और व्यवस्थापर परामर्श देनेके लिये वाइकाउण्ट एशरकी अध्यक्षतामें एक कमिटी नियुक्त की है, जिसके मेम्बर पंजाबके पुराने लाट सर माइकेल ओडायर, सर जी० फेल, ले० जे० सर एच० वी० फायस, ले० जे० सर मी० डब्ल्यू० जैकब, ले० ज० सर एच० हडसन, ले० जे० जे० पी डुकेन, मेजर जनरल सर डब्ल्यू० गिलमैन, मलिक सर उमर हयाल सा और सर कृष्ण गुप्त ।

इस कमिटीकी रिपोर्ट १९२० में निकली और इसने यह राय दी कि (१) (अ) इण्डिया आफिसका प्रत्येक विषयका नियंत्रण कम किया जाय, (२) फोजी ऊचे दर्जेका कोई अफसर इण्डिया कौन्सिलका मेम्बर न रखा जाय, (३) इण्डिया आफिसके मिलिटरी डिपार्टमेंटका सेक्रेटरी इम्पीरियल जेनरल स्टाफका डिप्टी चीफ नियुक्त किया जाय और चीफ ही स्वयं या इसके द्वारा भारतसचिवका एकमात्र उत्तरदायित्वपूर्ण सैनिक परामर्शदाता रहे ।

(२) भारतका प्रधान सेनापति ही भारत सरकारका एकमात्र सैनिक परामर्शदाता, सेनाका व्यवस्थापक और मुखिया हो और सेना विभाग तथा हेडक्वार्टर्स स्टाफ इसके अधीन मिला दिये जाय ।

(३) (अ) महासमरके दिनोंमें भारतमें जो डिफेन्स कमिटी स्थापित हुई थी, वह तोड़ी न जाय, (आ) एक मिलिटरी कौन्सिल स्थापित की जाय, (३) चार आर्मी कमांडरोंको जेनरल आफिसर कमांडिङ्ग इन-चीफ बनाकर इनके अधीन चार कमांड करके अधिकारोंका विभाग किया जाय ।

(४) सेनाके सब कर्मचारियोंसे उदारता और सहानुभूतिका वर्त्साव किया जाय और यदि उनकी कोई शिकायतें हों तो दूर की जाय ।

(५) वर्त्तमान सेनाका पुनर्संघटन किया जाय और नयी सेनाएं उन्नत और सज्जित की जाय ।

एर्च कैसे घटाया जा सकता है। १९१३ के अप्रैल तक यह कमिटी गुप्त रूपसे विचार करती रही और इसी समय लार्ड निकोलसन इङ्ग्लैण्ड चले गये। कामन्स सभामें कहा गया कि निकोलसन कमिटीको रिपोर्ट प्रकाशित न की जायगी। पर "टाइम्सके" सैनिक सवाददाताने २ री जून १९१३ के अकमें लिखा कि कमिटीमें मतभेद हो गया है। लार्ड निकोलसन और सर विलियम मेयर एक ओर हैं और उन्हीका मताधिक्य है, क्योंकि अध्यक्षके नाते वे दो मत दे सकते थे। सर पर्सी लेक और सर रायर्ट रकैलनने उनके कई प्रस्तावोंके विरुद्ध मत दिया है। इससे समझा गया कि लार्ड निकोलसन और सर विलियम मेयरने एर्च घटानेकी सम्मति दी है। १९१४ की १४ वीं जनवरीको बड़ी व्यवस्थापिका सभामें सरकारकी ओरसे कहा गया कि रिपोर्ट न प्रकाशित की जायगी।

इसके ४ वर्ष बाद जुलाई १९१६ में सूचना मिली कि ब्रिटिश युद्धसचिवकी सम्मतिसे भारतसचिवने एशर कमिटी । भारतीय सेनाके सघटन और व्यवस्थापर परामर्श देनेके लिये वाइकाउण्ट एशरकी अध्यक्षतामें एक कमिटी नियुक्त की है, जिसके मेम्बर पंजाबके पुराने लाट सर माइकेल ओडायर, सर जी० फेल, ले० जे० सर एच० वी० कावस, ले० जे० सर सी० डब्ल्यू० जैकब, ले० जे० सर एच० हडसन, ले० जे० जे० पी डुकेन, मेजर जनरल सर डब्ल्यू० गिलमैन, मलिक सर उमर हयाल सा और सर कृष्ण गुप्त ।

इस कमिटीकी रिपोर्ट १९२० में निकली और इसने यह राय दी कि (१) (अ) इण्डिया आफिसका प्रत्येक विषयका नियंत्रण कम किया जाय, (२) फोजी ऊचे दर्जेका कोई अफसर इण्डिया कौन्सिलका मेम्बर न रखा जाय, (३) इण्डिया आफिसके मिलिटरी डिपार्टमेंटका सेक्रेटरी इम्पीरियल जेनरल स्टाफका डिप्टी चीफ नियुक्त किया जाय और चीफ ही स्वयं या इसके हाग भारतसचिवका एकमात्र उत्तरदायित्वपूर्ण सैनिक परामर्शदाता रहे ।

(२) भारतका प्रधान सेनापति ही भारत सरकारका एकमात्र सैनिक परामर्शदाता, सेनाका व्यवस्थापक और मुखिया हो और सेना विभाग तथा हेडक्वार्टर्स स्टाफ इसके अधीन मिला दिये जाय ।

(३) (अ) महासमरके दिनोंमें भारतमें जो डिफेन्स कमिटी स्थापित हुई थी, वह तोड़ी न जाय, (आ) एक मिलिटरी कौन्सिल स्थापित की जाय, (इ) चार आर्मी कमांडरोंको जेनरल आफिसर कमांडिङ्ग इन-चीफ बनाकर इनके अधीन चार कमांड करके अधिकारोंका विभाग किया जाय ।

(४) सेनाके सब कर्मचारियोंसे उदारता और सहानुभूतिका वर्तन किया जाय और यदि उनकी कोई शिकायतें हों तो दूर की जाय ।

(५) वर्तमान सेनाका पुनर्संघटन किया जाय और नयी सेनाए उन्नत और सज्जित की जाय ।

इस रिपोर्टके कई अंशोंपर सर कृष्ण गुप्तने अपना मतभेद-पत्र लिखा । रिपोर्टकी बड़ी निन्दा हुई, क्योंकि इसके अनु-सार भारतीय सेना ब्रिटिश सेनाका अंश बन जायगी और इसका अभिप्राय भारतकी रक्षा नहीं, बल्कि मध्य एशियामें युद्धकी तैयारी होगा । इण्डिया आफिसकी एक कमिटीने भी रिपोर्टकी निन्दा की और भारतसरकारने भी इसे पसन्द नहीं किया । अन्तको भारत सरकारने व्यवस्थापिका परिषद्की एक कमिटी बनायी, जिसने इसपर १५ प्रस्ताव तैयार किये । इनमें कई प्रस्ताव परिषद्ने सणोधनपूर्वक पास किये और सघ-टन सम्बन्धी प्रस्ताव रह कर दिया । आशा की जाती है कि भारतसचिव लोकमतके ऐसे तीव्र विरोधकी सर्वथा उपेक्षा न करेंगे ।



स्थानिक स्वराज्य ।

— ❦ —

स्थानिक स्वराज्यको अंगरेजीमें “लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट” कहते हैं और इङ्ग्लैण्डमें यह “ट्रोवाल गवर्नमेण्ट” कहाता है। इङ्ग्लैण्डका शासन वहाके लोग करते हैं और

भारतका शासन विदेशियोंके हाथमें है, इस लिये “लोकल” और “गवर्नमेण्ट” शब्दोंके बीचमें यह “सेल्फ” शब्द घुसाया गया है। इसके सिवा यहा “लोकल गवर्नमेण्ट” प्राथमिक सरकारके अर्थमें प्रयुक्त होता है, इस लिये स्थानिक शासनके लिये उसका प्रयोग करनेसे गड़बड़ीकी सम्भावना थी है। “लोकल गवर्नमेण्टकी” परिभाषा डबल्यू० धी० शास्त्रियों इस प्रकारकी है,—“लोकल गवर्नमेण्टसे उन त्रिपर्यन्त शासनका अभिप्राय है, जिनका समस्त राष्ट्रसे नही, यत्किन्हीं विशेष स्थान या जिलेसे ही सम्बन्ध हो। अपने पदाम या पदुंनियोंके प्रति अंगरेज नागरिकके कर्तव्योंका सम्बन्ध ही लोकल गवर्नमेण्ट है। गरीबों और असमर्थोंकी सहायता और उनके भोजनादिकी व्यवस्था करना उनका कर्तव्य है। यह न उसका कर्तव्य है कि कोई किसी प्रकार लोकल गवर्नमेण्ट न करे—येसा कोई काम आप अपने घरगत न करे”

किसीको करने दे जिससे स्वास्थ्यको हानि पहुँचे अथवा कोई मनुष्य अपनी सम्पत्तिका भोग न कर सके। स्वच्छ वायु, शुद्ध भोजन और अच्छा जल सार्वजनिक स्वास्थ्यके लिये आवश्यक हैं। लोकल गवर्नमेंटका काम है कि वह इस बातको व्यवस्था करे कि लोगोंको स्वच्छ जल, विशुद्ध भोजन और दोषरहित वायु मिले, सड़कोपर अच्छी तरह रोशनी हो और राजमार्ग सुरक्षित तथा यथेष्ट हों।” मेमर्स रेडलिच और हर्स्ट कहते हैं कि “स्थान विशेषमें वहाके अधिवासियों वा उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा उन कर्त्तव्योंके आचरण वा अधिकारोंके उपयोगको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जो सामान्य व्यवस्था वा पार्लमेण्ट द्वारा उन्हें प्राप्त हो।” इङ्ग्लैण्डकी लोकल गवर्नमेण्टकी इन दोनो परिभाषाओंसे भारतकी लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट वा स्थानिक स्वराज्यमें यह अन्तर है कि इङ्ग्लैण्डमें अपने जिले, शहर, कस्बे या गावके शासनकार्यमें सम्मिलित होना वहाकी प्रजाका नैसर्गिक स्वत्व है और स्थानिक शासन-कर्त्ताओंपर सरकारका क्या अधिकार है यह पार्लमेण्टके कानूनोंसे स्पष्ट कर दिया गया है और सरकार मनमानी नहीं कर सकती। पर यहा कानूनसे लोगोंको स्थानिक स्वराज्यके अधिकार प्राप्त हैं और सरकारको अपनी आज्ञा पालन करानेका पूर्ण अधिकार है। आजसने लोकल गवर्नमेण्टके जो कर्त्तव्य पताये हैं, उनसे लोकल सेल्फ गवर्नमेण्टमें कुछ विभिन्नता है जो आगे चलकर मालूम होगी।

स्थानिक स्वराज्यका काम जिन सस्थाओंसे चलता है, वे म्यूनिसिपैलिटीयोंका आरम्भ ।

म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट और लोकल बोर्ड तथा ट्रस्ट नामसे प्रसिद्ध हैं । फलफत्ते, बम्बई और मद्रासकी म्यूनिसिपैलिटिया

भारतके अन्य स्थानोंकी म्यूनिसिपैलिटियोंसे पुरानी हैं और इनका इतिहास भी उनसे भिन्न है । इन्हें म्यूनिसिपैलिटीके बदले "म्यूनिसिपल कापोरेशन" कहते हैं । नगरोंके नामके साथ कापोरेशन लिख देनेसे ही उक्त प्रेसिडेन्सी नगरकी म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कापोरेशनका बोध होता है । प्रेसिडेन्सी नगरोंकी कापोरेशनोंमें भी मद्रासकी कापोरेशन सबसे पुरानी है । सन् १६८७ में इङ्ग्लैण्डके महागाज द्वितीय जेम्सने ईस्ट इण्डिया कम्पनीको रायल चार्टरसे (शाही फर्मानसे) मद्रासमें मेयर्स कोर्ट और कापोरेशन स्थापित करनेका अधिकार दिया था । इसके अनुसार जो कापोरेशन गनी, उम्रमें अङ्गरेज और हिन्दुस्थानी दोनों थे और दोनोंको समान अधिकार दिये गये थे । इन्हें प्रति वर्ष अपना मेयर चुनने और टाउनहाल या सार्वजनिक हितका कोई भवन बनानेके लिये लोगोंपर कर बैठानेका और मेयर्स कोर्टको दीवानी और फौजदारी मामलोंका फैसला करनेका अधिकार दिया गया । इस कापोरेशनमें एक मेयर, १२ जेल्डरमैन और ६० वर्जेस होते थे । पर यह कापोरेशन चिरस्थायी नहीं हुई । इसके बाद कर बैठानेका अधिकार पहले पहल १७६३ के

के लिये उसके प्रति स्थानिक लोगोंके अनुराग और निरीक्षणकी आवश्यकता है। १८७१ में एक और "टाउन्स इम्प्रूवमेण्ट ऐक्ट" पास किया गया, जिसमें शहरों और म्यूनिसिपैलिटीके अन्तर्गत स्थानोंके प्रमुख, विशेषकर स्वास्थ्य और सफाईकी व्यवस्था की गयी। पर इससे भी स्थानिक सरथाओंकी जैसी उन्नति होनी चाहिये थी, वैसी नहीं हुई। इसका कारण यह था कि म्यूनिसिपैलिटियोंसे पुलिसके लिये भी खर्च लिया जाता था और इसके नियन्त्रणका अधिकार सरकारको था। लार्ड रिपनने देखा कि स्थानिक सस्थाओंकी उन्नति न होनेका कारण अत्रिकारियोंका हस्तक्षेप है। इसके सिवा जिला अफसरोंका कार्य निरन्तर बढ़ रहा है, इस लिये स्थानिक संस्थाओंका कार्य लोगोंको सौंपना चाहिये। इस व्यवस्थासे कार्य कुछ इससे अच्छा न होगा और लोगोंसे बड़ी भूलें भी होंगी, पर उन्हें स्वराज्यकी शिक्षा मिलेगी। यह बात लार्ड रिपन नहीं मानने थे कि इस देशके लोग स्वराज्यके सिद्धान्तकी उपेक्षा करते हैं और चाहते हैं कि गवर्नमेण्ट ही यह कार्य भी किया करे। लार्ड रिपनने १८८२ में स्थानिक स्वराज्यपर जो मन्तव्य प्रकाशित किया था, उसमें स्पष्ट ही कह दिया था कि यह जिला-अफसरोंका मत है, पर शिक्षाके प्रचारके साथ ही ऐसे लोकहितैषी मनुष्य उत्पन्न होंगे, जिनका उपयोग न करना अपनी शक्तिका नाश करना होगा। जबतक जिला-अफसर न्यूनिसिपैलिटीका चेयरमैन होता रहेगा, तबतक

लोगोंको स्वराज्यकी उपयुक्त शिक्षा न मिलेगी और जी लगाकर तथा अपना उत्तरदायित्व समझकर वे कार्य भी न करेंगे । इस लिये चेयरमैन और कमसे कम दोतिहाई मेम्बर निर्वाचित हुआ करें और जिला-अफसर चेयरमैन न बनाया जाय । यदि कहीं वह चेयरमैन हो भी तो उसे मत (वोट) देनेका अधिकार न रहे । साधारणत गैरसरकारी चेयरमैन हो और उसे मेम्बर निर्वाचित किया करें । लाइसेन्स टैक्स, कानीहौसों और उतारेकी नावोकी आय भी म्यूनिसिपैलिटियोंको दे दी जाय । स्थानिक करोंसे जो आय हो, उसका व्यय करनेका अधिकार भी उन्हें रहे । १८८३-८४ में कई ऐक्ट पास हुए जिनसे जिनसे म्यूनिसिपैलिटियोंके सघटन, अधिकारों और कार्यों में बहुतसे परिवर्तन हुए । निर्वाचित सदस्योंकी संख्यामें वृद्धि हुई । कई शहरोंकी म्यूनिसिपैलिटियोंको गैरसरकारी आदमीको चेयरमैन निर्वाचित करनेका अधिकार मिला । म्यूनिसिपैलिटियोंकी आमदनी और आर्थिक उत्तरदायित्व बढ़ानेके लिये प्रादेशिक सरकारकी कुछ ऐसी आमदनी उन्हें मिल गयी जिसकी उन्नति वे ही कर सकती थी और उसी हिसाबसे प्रादेशिक व्यय भी उनके साथ लगा दिया गया । पञ्जाब, युक्त प्रदेश आदि कई प्रदेशोंके कई स्थानोंमें म्यूनिसिपैलिटीके बदले "नोटिफाइड परिषद" हैं । जो स्थान म्यूनिसिपैलिटीके योग्य नहीं समझे जाते, म्यूनिसिपैलिटीका काम करनेके लिये वहा म्यूनिसिपल ऐक्टकी कुछ धाराओंका प्रयोग होता है । वहा म्यूनिसिपैलिटी

का कार्य करनेवाली सभा "नोटिफाइड परिया" कहाती है। यह एक प्रकारकी गर्भस्थ म्यूनिसिपैलिटी है। कहीं तो "नोटिफाइड परिया" म्यूनिसिपैलिटीमें परिणत होता है और कहीं किसी कारणसे म्यूनिसिपैलिटी तोडकर "नोटिफाइड परिया" बनायी जाती है। नोटिफाइड परियाका सर्व कम होता है और उसका कार्य सरकारकी मनोनीत कमिटी करती है। १८६६ में लार्ड एलरिनकी सरकारने एक मन्तव्य प्रकाशित करके म्यूनिसिपैलिटियोंको उन्नतिपर सन्तोष प्रकट किया था।

इसके बाद १६१४ में स्थानिक स्वराज्यके विषयमें लार्ड

सरकारकी

हार्डिंजकी सरकारने एक मन्तव्य प्रका-

म्यूनिसिपल नीति ।

शिन किया । इसमें Decentrali-
zation Commission वा अधिर-

काविभाजक कमिशनकी सूचनाओंपर विचार कर

भावी नीति प्रतायी गयी है। इसके अनुसार म्यूनिसिपैलिटियोंमें (१) निर्वाचित सदस्योंका घयेष्ट यन्मत होना चाहिये। (२) चेयरमैन गैरसरकारी मनुष्य निर्वाचित होना चाहिये और जहां योग्य उम्मेदवार न मिले, वहां सरकारको गैरसरकारी मनुष्यको चेयरमैन मनोनीत करनेका अधिकार होना चाहिये। यदि कोई सरकारी अफसर चेयरमैन निर्वाचित किया जाय, तो कमिशनर या ऊपरके अधिकारियोंसे निर्वाचन स्वीकृत कराना चाहिये। (३) जहां निर्वाचित चेयरमैन हो, वहां म्यूनिसिपैलिटीका काम चलानेके

लिये एक कर्मचारीकी नियुक्ति आवश्यक है। छोटी म्यूनिसिपैलिटियोंमें बहुतसे अधिकार उत्तरदायित्वपूर्ण सेक्रेटारियों, एञ्जिनियरों और हेल्थ अफसरोंको देना चाहिये (४) रुमोगनका मत था कि जिस कामके लिये म्यूनिसिपैलिटीसे धन लिया जाय, उसके नियन्त्रणका अधिकार भी उसे ही रहे; पर प्रादेशिक सरकारद्वारा जिस कायके नियन्त्रणकी आवश्यकता समझी जाय, उसका व्यय भी सरकार ही दे। सरकारने सर्वांशमें इसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि नियन्त्रण और निरीक्षणके लिये और जो काम सरकारद्वारा ही अच्छी तरहसे हो सकता हो, उन्हे व्यवनिर्वाहके लिये जो धन म्यूनिसिपैलिटीसे लिया जाय, वह उसे लौटा दिया जाय। (५) म्यूनिसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ अफसर और एञ्जिनियरकी बहाली और परदास्तगीके लिये तो सरकारकी मशूरी ली जाया करे, पर म्यूनिसिपैलिटीको अन्य कर्मचारी रखने या छुड़ानेका अधिकार रहे। (६) म्यूनिसिपैलिटीके मन्तव्योंके अनुसार होनेवाले कार्य गद्द घर देनेवा कलेक्टरको और जिस म्यूनिसिपैलिटीके किसी कार्यकी उपेक्षा या उत्तमें भूल की है, उससे वह कार्य करानेका एमिशनको जैसा अधिकार अभी है, वैसा बना रहे। (७) छोटी और गरीब म्यूनिसिपैलिटियोंको अपना काम चलानेके लिये प्रादेशिक सरकार आर्थिक सहायता दे। अकालके काष्ठ निवारणका उत्तरदायित्व म्यूनिसिपैलिटियोंपर न रहे तथा सङ्गमक रोगोंके धारुमणके समय सरकार उनकी

सहायता करे। (८) म्यूनिसिपैलिटियोंको अपने बने बनानेका अधिकार रहे, पर प्रादेशिक सरकारकी निर्धारित रोकडराकी उनके प्रजानेमें रहे। ऋणोंके विषयमें प्रादेशिक सरकार म्यूनिसिपैलिटीका नियन्त्रण किया करे और उन ऋणग्रस्त म्यूनिसिपैलिटीसे ऋण या व्याज चुकवानेका अधिकार हो। (९) ऋण लेकर म्यूनिसिपैलिटिया जो कार्य करे उनकी स्कीमोंकी जांच प्रादेशिक सरकारें भली भांति कलिया करे।

म्यूनिसिपैलिटियोंके तीन प्रधान कार्य हैं, सार्वजनिक रक्षा म्यूनिसिपैलिटियोंके स्वास्थ्य और शिक्षा, विशेषतः प्राथमिक शिक्षाका प्रबन्ध करना। सड़के कार्य और अधिनार। बनाना, उनको मरम्मत करना, उनपर रोगनी रचना आर सरकारी तथा म्यूनिसिपल इमारतों ठीक रखना ये काम सार्वजनिक रक्षाके अन्तर्गत है। दवा दारू, सफाई, गन्दे पानोंकी गालियों और पीनेके पानीकी कलका प्रबन्ध और सक्रामक रोगोंसे लोगोंको बचानेका उपाय करना स्वास्थ्यपररक्षा है। पहले अकालके कष्टनिवारणका भार भी म्यूनिसिपैलिटियोंपर ही था, पर अब कई प्रदेशोंमें यह उनपरसे उठा लिखा गया है और चाकीसे भी उठाया जायगा। इन कामोंके लिये म्यूनिसिपैलिटियोंको कुछ टैक्सोंकी आमदनी भी मिली है। यह आमदनी इस प्रकार

(१) चुंगी—यह टैक्स युक्त और

सीमा प्रदेश, बम्बई और मध्य प्रदेश, बिहारके सम्मल पुर और दिल्लीकी म्यूनिसिपैलिटियोंके अन्दर लगता है। युक्तप्रदेशमें इस करकी बड़ी प्रधानता है और इसी कारण आगरा, अलीगढ़ आदि कई जिलोंमें म्यूनिसिपैलिटीको चुगी कहते हैं। युक्तप्रदेशमें चुगीके बदले छोटी म्यूनिसिपैलिटियोंमें प्रत्यक्ष कर और बड़ीमें सीमान्त कर बैठानेका प्रस्ताव भारत सरकारने स्वीकृत कर लिया है। जो माल और जानवर म्यूनिसिपैलिटीके अन्दर आते हैं, उनपर ही चुगी लगती है। पर नया कर आने या जानेवाले मालपर लगेगा। चुगीकी रकम तो वापस भी मिलती है, यदि माल फिर बाहर चला जाय, पर नये टैक्सकी रकम वापस न मिलेगी। बम्बई सरकारने कई म्यूनिसिपैलिटियोंमें चुगीके बड़े सीमान्त कर बैठायें हैं। अन्य प्रदेशोंमें इसपर विचार हो रहा है।

२) जमीनों और मकानोंपर कर—यह कर मद्रास, बम्बई, मध्यप्रदेश, बिहार-उड़ीसे, बङ्गाल, आसाम और बर्माकी म्यूनिसिपैलिटियोंकी आयका प्रधान साधन है। युक्त-प्रदेश और पंजाबके सिवा अन्य प्रदेशोंकी कई म्यूनिसि-पैलिटियोंमें भी यह कर लगता है।

३) व्यापार और पेशोंपर कर या लाइसेन्स टैक्स—यह बम्बई, मद्रास, बङ्गाल, युक्तप्रदेश, बिहार-उड़ीसे,

मध्यप्रदेश और कुर्ग की म्यूनिसिपैलिटियोंमें लगता है। पंजाब, बर्मा, आसाम, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश इससे बचे हैं।

- (४) सड़कों और पुलोंपर कर—सड़कोंका कर मद्रास, बर्मा और आसाममें है। जहा नदियोंपर पुल हैं वहा पुलोसे आनेजानेका कर लिया जाता है।
- (५) गाड़ियों, सवारियों, पालकियों और नावो तथा जानवरोंपर कर—ये कर सभी प्रदेशोंमें लगते हैं।
- (६) पानी, रोशनी, नालियोंकी सफाई, पायस्थानो आदिके लिये कर—ये कर भी प्राय सभी प्रदेशोंमें लगते हैं। पानीका कर जलकण्ड्याले स्थानोंमें हो लगता है।
- (७) हैसियत और जायदादपर टैक्स।
- (८) घराऊ नौकरोंपर टैक्स।
- (९) प्राश्वट जानवरोंपर टैक्स।
- (१०) उन जानवरों और गाड़ियोंकी रजिस्ट्रीपर टैक्स, जो म्यूनिसिपैलिटीके अन्दर विकती हैं।

इन टैक्सोंके सिवा पुण्णर काशी, अयोध्या और हरछारमें यात्रियोंपर टैक्स लगता है। पुण्णर और हरछारको छोड उक्त तीनों तीर्थोंमें मेलोंपर ही टैक्स लगाया जाता है। ऊपर लिये हुए सभी टैक्स किमी एक प्रदेशमें नहीं लगते। और जत्र नया टैक्स बैठाया

या पुरानेमें हेरफेर किया जाता है, तब सरकारकी मजूरी लेनी पडती है ।

१९१२-१३ में ७०१ म्यूनिसिपैलिटियोंकी आय ४,६२,४२,६७५ थी । दस वर्ष पहले ७५३ म्यूनिसिपैलिटियोंकी आय २,७६,६१,२१५) । सरकारकी आर्थिक सहायता आयकी इस वृद्धिका बडा भारी कारण हुई है । १९११से भारत सरकारने ४,६१,४७,०००) दिये हैं जिनमें ५५,२३,०००) वार्षिक नगरोंकी स्वच्छताके लिये हैं । शिक्षाके लिये सरकारने १९११ से ५,६८,१७,०००) दिये हैं और जिसमें १,२४,००,००० का वार्षिक दान है । इन रकमोंमें म्यूनिसिपैलिटियोंने क्या पाया है यह ठीक ठीक मालूम नहीं है । पिछले तीस वर्षमें ही म्यूनिसिपैलिटिया पुलिसका चार्ज देनेसे बरी की गयी हैं । इन सब कारणोंसे आमदनीमें यह बाढ आघो है । म्यूनिसिपैलिटियोंकी इस आयमें प्रेसिडेन्सी शहरो और रगूनकी म्यूनिसिपैलिटियोंकी आय नहीं जोडी गयी है । कई प्रदेशोंमें शिक्षा अल्पतालों ओर पशुचिकित्साके लिये म्यूनिसिपैलिटियोंको सरकारसे आर्थिक सहायता मिलती है । जलकल और शहरको नालियों ओर मोरियोंका पानी बाहर ले जानेकी व्यवस्था करनेके लिये म्यूनिसिपैलिटियोंको ऋण लेना पडता है । कई प्रदेशोंकी म्यूनिसिपैलिटिया सरकार या कमिशनरोसे अपने बजेट मजूर कराती हैं । ब्रिटिश भारतमें आजकल प्राय ७३६ म्यूनिसिपैलिटिया है, जिनमें १८० लाख आदमी वसते

मध्यप्रदेश और कुर्गनी म्यूनिसिपैलिटियोंमें लगता है । पंजाब, बर्मा, आसाम, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश इससे बचे हैं ।

- (४) सड़कों और पुलोंपर कर—सड़कोंका कर मद्रास, बर्मा और आसाममें हैं । जहा नदियोंपर पुल हैं वहां पुलोंसे आनेजानेका कर लिया जाता है ।
- (५) गाड़ियों, सवारियों, पालकियों और नावों तथा जानवरोंपर कर—ये कर सभी प्रदेशोंमें लगते हैं ।
- (६) पानी, रोशनी, नालियोंकी सफाई, पायखानों आदिके लिये कर—ये कर भी प्रायः सभी प्रदेशोंमें लगते हैं । पानीका कर जलकलत्राले स्थानोंमें हो लगता है ।
- (७) हेंसियन और जायदादपर टैक्स ।
- (८) घरालू नौकरोंपर टैक्स ।
- (९) प्राक्वेट जानवरोंपर टैक्स ।
- (१०) उन जानवरों और गाड़ियोंकी रजिस्ट्रीपर टैक्स, जो म्यूनिसिपैलिटीके अन्दर बिकती हैं ।

इन टैक्सोंके सिवा पुष्कर काशी, अयोध्या और हरद्वारमें यात्रियोंपर टैक्स लगता है । पुष्कर और हरद्वारको छोड़ उक्त तीनों तीर्थोंमें मेलोंपर ही टैक्स लगाया जाता है । ऊपर लिखे हुए सभी टैक्स किसी एक प्रदेशमें नहीं लगते । और जब नया टैक्स बँटाया

या पुरानेमें हेरफेर किया जाता है, तब सरकारकी मजूरी लेनी पडती है।

१९१२-१३ में ७०१ म्यूनिसिपैलिटियोंकी आय ४,६२,४२,६७५ थी। दस वर्ष पहले ७५३ म्यूनिसिपैलिटियोंकी आय २,७६,६१,२१५। सरकारकी आर्थिक सहायता आयकी इस वृद्धिका बडा भारी कारण हुई है। १९११से भारत सरकारने ४,६१,४७,००० रिये हें, जिनमे ५५,७३,००० वार्षिक नगरोंकी स्वच्छताके लिये हें। शिक्षाके लिये सरकारने १९११ से ५,६८,१७,००० दिये हैं और जिसमें १,२४,००,००० का वार्षिक दान है। इन रकमोंमें म्यूनिसिपैलिटियोंने क्या पाया है यह ठीक ठीक मालूम नहीं है। पिउले दस वर्षमें ही म्यूनिसिपैलिटिया पुलिसका रार्च देीसे चरी की गयी हैं। इन सत्र कारणोंसे आमदनीमें बह बाढ आयी है। म्यूनिसिपैलिटियोंकी इस आयमें प्रेसिडेन्सी शहरों और रयूनकी म्यूनिसिपैलिटियोंकी आय नहीं जोडी गयी है। कई प्रदेशोंमें शिक्षा अस्पतालों और पशुचिकित्साके लिये म्यूनिसिपैलिटियोंको सरकारसे आर्थिक सहायता मिलती है। जलकल और शहरकी नालियों और मोरियोंका पानी बाहर ले जानेकी व्यवस्था करलेके लिये म्यूनिसिपैलिटियोंको श्रद्धण लेना पडता है। कई प्रदेशेशी म्यूनिसिपैलिटियां सरकार या कमिशनरोंसे अपने बजेट मजूर कराती हैं। ब्रिटिश भारतमें आजकल प्रायः ७३६ म्यूनिसिपैलिटियां हैं, जिनमें १८० लाख आदमी वसने

हैं। म्यूनिसिपैलिटीयोंकी आय १७ करोड़ १० लाख रुपये है। इसमें दो तिहाई टैक्ससे और बाकी म्यूनिसिपल सम्पत्ति तथा प्रादेशिक सरकारों और अन्य मार्गों से होती है। साधारणतः इनकी आय कम है, क्योंकि इसमें फी सैकडे ३८ तो कलकत्ते, बम्बई, मद्रास और रंगूनकी म्यूनिसिपैलिटीयोंकी है। इन चारोंको छोड़ बाकी हर म्यूनिसिपैलिटीकी औसत आय १५ लाख रुपये है। “विशेष व्यय, ऋण” खातेको छोड़ म्यूनिसिपैलिटीयोंका व्यय १६ करोड़ ६५ लाख है। इसमें सफाई और आय इमारतोंपर फी सैकडे १७ और १४, जल कलपर १४, मोरी और ड्रोन ६ और शिक्षापर ८१ है। बम्बई शहरमें शिक्षापर १८ और मध्यप्रदेशमें १५ है।

जो लोग म्यूनिसिपैलिटीके अन्दर रहते और उसे टैक्स देते हैं, वे रेटपेयर या करदाता कहते हैं। इन करदाताओंमें जो निर्धारित म्यूनिसिपैलिटीयोंका सघटन । वार्षिक कर म्यूनिसिपैलिटीको देते हैं अथवा जिनके पास भूसम्पत्ति है, वे वोटर या मतदाता होते हैं। इन वोटरोंको म्यूनिसिपैलिटीके लिये मेम्बर चुननेका अधिकार होता है। म्यूनिसिपैलिटीके मेम्बर तीन प्रकारके होते हैं,— (१) पदके कारण (२) निर्वाचित और (३) मनोनीत। सरकारी कर्मचारी अपने पद विशेषके कारण मेम्बर होते हैं। पर जो सज्जन सरकारी आज्ञासे म्यूनिसिपैलिटीके मेम्बर होते हैं वे नामिनेटेड या मनोनीत कहते हैं। वोटरोंद्वारा चुने हुए

सेन्स छीननेका अधिकार होगा। वही बोर्डकी आमद लेगा और जमा करेगा, कुछ कर्मचारियोंको नियुक्त और अल कर सकेगा तथा जो काम बोर्ड उसे सौंपेगा, करेगा।

प्रत्येक बोर्डमें दो तरहके मेम्बर होंगे, निर्वाचित और मनोनीत। यदि चैयरमैन पहलेसे मेम्बर न हुआ तो वह मेम्बर समझा जायगा। जिस म्यूनिसिपैलिटीमें जातिभेद कारण पृथक् निर्वाचनकी व्यवस्था होगी, उसमें निर्वाचितों चौथाई मेम्बर मनोनीत किये जायेंगे। इनमें दो तो सरकार मनोनीत करेगी, बाकीको मनोनीत करनेका अधिकार कु संस्थाओंको देगी। जहां उक्त व्यवस्था न होगी, वहां निर्वाचितोंकी निर्धारित संख्यासे तिहाई मनोनीत होंगे, जिन्हें तो प्रादेशिक सरकार मनोनीत करेगी या मनोनीत करने नियम बना देगी। जिस म्यूनिसिपैलिटीमें जातिके अनुसार मेम्बर निर्वाचित होंगे, उसमें ऐसी समाजोंके मेम्बरोंके निर्वाचनकी भी व्यवस्था रहेगी, जिन्हें जातिके अनुसार निर्वाचनाधिकार नहीं मिला है। ऐसी प्रत्येक समाज दोसे अधिक मेम्बर निर्वाचित न कर सकेगी। बाकी स्थानोंके दो विभाग होंगे एक मुसलमानोंके लिये दूसरा गैर-मुसलमानोंके लिये। इनके निर्वाचनकी व्यवस्था जनसंख्याके अनुसार होगी। म्यूनिसिपैलिटीके मुसलमानोंकी संख्या यदि समस्त जनसंख्याकी चौथाईसे कम होगी, तो वह ३/१० और बढ़ा दी जायगी और यदि फी सैकडे ३८॥ होगी, तो उतनी ही बढ़ायी जायगी,

जितनीसे उल्लिखित परिमाणपर' पहुँच जाय । इन्ही कल्पित जनसंख्याके अनुसार मुस्लिम और गैरमुस्लिम अपने-अपने मेम्बर निर्वाचित करेंगे । प्रत्येक मेम्बर ३ वर्षके लिये निर्वाचित होगा । सेक्रेटरीके सिवा किसी मेम्बरको पारिश्रमिक न मिलेगा । प्रत्येक बोर्डको निर्धारित गोकडवाकी रूपकर अपना बजेट बनानेका अधिकार होगा, पर वह प्रादेशिक सरकारको भेजा जायगा । किसी बोर्डपर अधिक ऋण होनेके कारण उसका यह अधिकार छीन लिया जायगा । किसी आवश्यक कामको बोर्डसे कराने और हानिकार कामका होना रोकनेका अधिकार जिलेके मैजिस्ट्रेट और डिवीजनके कमिशनरको है । प्रादेशिक सरकार बोर्डको तोड़कर नया बोर्ड बना उसका काम ले सकती है ।

पंजाब । १९११ के ऐक्टके अनुसार प्रादेशिक सरकार निर्वाचित और मनोनीत सदस्योंकी संख्या निर्धारित करती है, पर नियम है कि किसी कमिटीमें एक तिहाईसे अधिक मनोनीत मेम्बर न हों । कमिटी अपना चेयरमैन निर्वाचित कर सकती है, पर निर्वाचन स्वीकार करना न करना सरकार या डिवीजनके कमिशनरोंके अधीन है । १९११-१२ के अन्तमें पंजाबमें १०७ म्यूनिसिपैलिटियाँ और १०४ "नोटिफाइड एरिया" थीं । केवल ७४ म्यूनिसिपैलिटियोंमें ही निर्वाचित सभ्य थे । १९११ से प्रादेशिक सरकारने म्यूनिसिपैलिटियोंने पुलिसका

— केवल ७४ म्यूनिसिपैलिटियाँ हैं ।

वेतन पानेवाले कर्मचारी तथा हेल्थ अफसर और एजिनियर नियुक्त करनेमें - कापोरेशनको, सरकारकी स्वीकृति लेनी पडती है। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके मन्त्रित्वसे नया ऐक्ट पास हुआ है और अगला निर्वाचन इसीके अनुसार होगा।

नये ऐक्टके अनुसार कापोरेशनके मेम्बर कौन्सिलर और चेयरमैन मेयर कहावेगे। कुल ६० कौन्सिलर होंगे और इनमें ८० करदाताओंद्वारा निर्वाचित होंगे। मेयरके सिवा एक चीफ एग्जिकटिव अफिसर भी होगा और दोनोको कौन्सिलर चुनेगे। पिछलेका चुनाव सरकारसे मजूर करना होगा। १२) सालाना टैक्स देनेवाला वोटर होगा और किसीको एकसे अधिक वोट देनेका अधिकार न होगा। स्त्रिया भी वोटर होगी। नयी व्यवस्थासे जेनरल कमिटी कापोरेशनके अधीन हो गयी है। मुसलमानोंको स्वतंत्र निर्वाचनाधिकार मिला है।

बम्बई कापोरेशनको १८७२ में कमिशनरोंके निर्वाचनका अधिकार मिला था और १८८८ में इस ऐक्टका जो सशोधन हुआ था, उसीके अनुसार आज भी उसका काम चलाया जाता है। कापोरेशनमें ७२ सदस्य हैं जिनमें ३६ तो मुहल्लोंसे निर्वाचित होते हैं, १६ का निर्वाचन जस्टिसेज आव दि पीस और २ का बम्बई चेम्बर तथा २ का विश्वविद्यालयके फेलो करते हैं; बाकी ३६ को सरकार नियुक्त करती है। समस्त प्रबन्ध कापोरेशनके अधीन है, पर उसका साधारण कार्य करने

के लिये एक स्थायी समिति बनी है। इसमें १२ सदस्य हैं जिनमें ८ कांफ़रेंशन और ४ मजदूर नियुक्त करती है। कांफ़रेंशनका प्रेसिडेंट वा अध्यक्ष उसके मेम्बर ही चुनते हैं, पर यह कार्यकर्ता नहीं होता। कार्यसंचालनके लिये सरकार एक सिविलियन नियुक्त करती है जिसे म्यूनिसिपल कमिशनर कहते हैं। ४९ सदस्योंकी सम्मतिसे यह पदव्युत्त किया जा सकता है। इसका सहायक डिप्टी कमिशनर कांफ़रेंशनद्वारा नियुक्त होता है, पर सरकारसे नियुक्ति स्वीकार करानी पडती है। कमिशनरका कार्यक्षेत्र विस्तृत है। किसी विषयमें तो स्थायी समितिकी और किसी विषयमें कांफ़रेंशनकी रीतिइति इसे लेनी पडती है। १९०७ से शहरकी पुलिसना एर्च कांफ़रेंशनको नहीं देना पडता। १९१२ में कांफ़रेंशनकी आय ३२,१७,०००) पाँड या ४,८५,५५,०००) रुपये थी। उसने १०) सैकडके हिसाबसे कर लिया था। कमसे कम ८) सैकडे और अत्रिक से अत्रिक १२) सैकडे कर लिया जा सकता है। इस वर्ष कांफ़रेंशनका देना ४० लाख पाँडसे कुछ अधिक और पावना ६० लाख पाँड था। कांफ़रेंशनको बजेट पास करने और निर्धारित सीमातक कर घटाने बढ़ानेका अधिकार है।

मद्रासके लिये १९०४ में जो ऐक्ट पास हुआ था, उससे प्रेसिडेंटके सिवा कमिशनरकी संख्या ३२ से ३६ की गयी और मद्रास चेम्बर तथा मद्रास ट्रेड्स एसोशियेशन द्वारा ३३ मेम्बरों तथा प्रादेशिक सरकारकी आज्ञासे किसी सरथा वा

समाजद्वारा २ मेम्बरोंके निर्वाचनकी व्यवस्था हुई। २० का निर्वाचन मुहल्लोंके लोग करते हैं, बाकी मेम्बरों और अय्यभक्तों सरकार नियुक्त करती है। कलकत्ता कांपॉरिशनकी तरह यहा भी कार्यकर्त्ता अध्यक्ष ही हैं, पर २८ सदस्योंकी सम्मतिसे वे पदच्युत किये जा सकते हैं। ६८२४ पुरवों अर्थात् फौ सैकडे ६ पुरुषोंका मत देनेका अधिकार है। यहा सरकारकी कड़ाई अधिक है। हेतु अफसर और ए जिनियर नियुक्त करनेके लिये सरकारकी स्वीकृतिकी आवश्यकता होती है। आदमी पीछे ३६ टैक्स लगता है। प्राथमिक शिक्षाके लिये कांपॉरिशनने ४० स्कूल खोल रखे हैं।

शहरोंमें म्यूनिसिपैलिटियोंका जो काम है, देहातोंमें वह लोफुल (स्थानीय) या डिस्ट्रिक्ट (जिला) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड । वोटोंको सौंपा गया है। परन्तु ये बोर्ड म्यूनिसिपैलिटियोंको सृष्टिके कोई ४० वर्ष बादसे स्थापित होने लगे थे। १८७० में प्रादेशिक अर्थव्यवस्था-पर लार्ड मेयोने जो मन्तव्य प्रकाशित किया था, उसमें लिखा था कि शिक्षा, दातव्य चिकित्सा और इमारतोंके लिये जो धन दिया जाता है, उमके सदुपयोगके लिये स्थानिक अनुराग और निरीक्षण आवश्यक है। यह मन्तव्य जय पूरी तरह काममें लाया जायगा, तब शासनमें स्थानिक स्वराजकी उन्नति, म्यूनिसिपल सस्थाओंका दृढीकरण और यूरोपियनों और भारतवासियोंका समागम पहलेकी अपेक्षा अधिक होगा। इसी समयसे ग्राम

और जिला बोर्ड स्थापित होने लगे । इसके पहले कहीं सरकारी कर्मचारियों और कहीं सहृदय भारनवानियोंके उद्योगसे शिक्षा, सफाई आदिके लिये कुछ धन एकत्र हो जाता था । १८६५-६६ तक मद्रास, बम्बई और निम्बमें इस तरह जो धन एकत्र होता था, वह लोकल सेस फण्ड कहाता था । लार्ड मैयोका मन्तव्य प्रकाशित होनेपर लोकल और जिला बोर्ड स्थापनकी चेष्टा होने लगी । पर १८८० में लार्ड रिपनके मन्तव्यसे ही इन्हें यथार्थ उत्तेजन मिला, यद्यपि भिन्न भिन्न प्रदेशोंमें इनकी आयके लिये कर बैठानेकी व्यवस्था हो चुकी थी । लार्ड रिपनने लिखा था कि (१) म्युनिसिपैलिटियोंके सिवा देहानोंमें लोकल बोर्डों का जाल फैला दिया जाय, पर बोर्डोंके अधीन इतना छोटा भूभाग हो कि प्रत्येक मेम्बरको उसका ज्ञान और अनुराग हो, (२) शहरी और देहाती सभी बोर्डों में गैरसरकारी मेम्बर ही अधिक हो, (३) जयसे प्रादेशिक सरकार उचित समझे तबसे मेम्बर का रिवांचन हुआ करे, (४) किसी प्रकारका एक जिला बोर्ड होना चाहिये, जिसका अधिवेशन निर्द्दगित समयपर हो और जो "लैंड मेन" किस हिसाबसे लगाना चाहिये आदि ऐसे प्रश्नोंका निर्णय करे जिनमें स्थानिक बोर्डों का समान स्वार्थ हो, (५) सरकारी नियंत्रण चाहरसे होना चाहिये, भीतरसे नहीं अर्थात् सरकारके प्रतिनिधि बोर्डोंके अध्यक्ष आदि बनकर उसकी नीति निर्द्धारित न करें, पर सरकारी तौरमें उसका नियंत्रण करे । नियम ऐसा होना चाहिये कि स्थानीय बोर्डोंके

चेयरमैन गैरसरकारी आदमी हों। इन्हीं सिद्धान्तोंके अनुसार १८८३ और १८८४ में जिला और लोकल बोर्डोंके विषयमें प्रत्येक प्रदेशमें ऐक्ट पास हुए। भिन्न भिन्न प्रदेशोंके अनुकूल ऐक्टोंमें सामान्य भेद भी रहे।

भारतके भिन्न भिन्न प्रदेशोंमें बोर्डों की दशा एकसी नहीं है।

बोर्डोंके भेद और कर्त्तव्य । मद्रास प्रदेश बोर्डोंकी स्थापनाके विषयमें सबसे बड़ाचढ़ा है। वहा ग्राम बोर्डोंसे लेकर जिला बोर्डतक हैं, पर अन्य प्रदेशोंमें ताल्लुक या सप डिविजनल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही हैं और कहीं कहीं तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी नहीं हैं। मद्रासका प्रत्येक बड़ा गाव अथवा कई गाव मिलाकर यूनियन बना दिये गये गये हैं और यूनियनके नियन्त्रणके लिये पञ्चायत नियुक्त है। इस पचायतसे हमारी प्राचीन पचायतमें अन्तर है। उस सपयकी पचायत ग्रामके लोगोंके प्रतिनिधियोंको सभा होती थी। माल-गुजारी वसूल करने और पहरा चौकी रखनेके लिये यह अपने कर्मचारी नियुक्त करती थी। दीवानी फौजदारी मामलोंका विचार यही करती थी और एक प्रकारसे छोटे प्रजातन्त्रके समान थी। यही कारण है कि देशमें चाहे जितना रक्तपात हुआ करता था और चाहे जो राजा होता था, ग्राम में स्थाणु ज्योंकी त्यों बनी रहती थी और प्रजा मुसुप्रपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। परन्तु ब्रिटिश शासनके प्रारम्भमें ही वे नष्ट की जा चुकी थीं और जो पञ्चायतें अब देख पडती हैं, वे कुछ ही वर्षोंसे

स्थापित हैं और उन अधिकारोंसे रहित हैं। रोशनीके लिये जो टैक्स गावोंमें मकानोंपर बैठाया जाता है, उसकी आमदनी ग्रनियनोंसे मिलती है और ये इसे विशेषकर सफाईमें खर्च करती हैं। इनके ऊपर ताल्लुक बोर्ड हैं। यहां ताल्लुक उसी प्रकार जिलेका हिस्सा है, जैसा युक्तप्रदेश और पञ्जाबमें तहसील है। ताल्लुकभरका प्रबन्ध इस ताल्लुक बोर्डके अधीन है। इनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट या जिला बोर्ड है जो जिलेभरके स्थानिक प्रबन्धका नियन्त्रण करता है। बर्मामें ग्रनियन नहीं है और ताल्लुक बोर्ड और जिला बोर्ड ही हैं। मङ्गाल, पञ्जाब और पश्चिमोत्तर सीमाप्रदेशमें कानूनन एक जिला बोर्ड होना चाहिये, पर स्थानिक बोर्डोंका स्थापन करना न करना प्रादेशिक सरकारके विचारपर अवलम्बित है। युक्तप्रदेशमें सब डिविजनल बोर्ड अनावश्यक समझकर १९०६ में उठा दिये गये हैं। मध्यप्रदेशकी व्यवस्था मद्रासमें मिलती जुलती है। आसाममें जिला बोर्ड नहीं, सब डिविजनल बोर्ड ही हैं। बर्मा और उल्चिस्तानमें दोमें एक भी नहीं है।

ग्राम बोर्डका प्रधान कर्तव्य सड़कोंका बनाना और उनकी मरम्मत करना, शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षाका प्रबन्ध करना, डाक्टरखानो, टोके, सफाई, पशुचिकित्साकी व्यवस्था करना, बाजार और सराय बनवाना और उन्हें दुरुस्त रखना और कानीहौस तथा उतारेकी नावोंपर कर बैठाना है। अपना फंड खर्चकर अकाल और बीमारियों, विशेषकर

प्लेगसे लोगोंकी रक्षा करनेके लिये उनसे कहा जा सकता है ।

म्यूनिसिपैलिटियोंकी अपेक्षा जिला बोर्डोंमें निर्वाचित बोर्डोंका सघटन सदस्योंकी संख्या कम होती है । पर और अधिकार । तोभी पश्चिमोत्तर सीमाप्रदेश, जहाँ १९०३ में निर्वाचनप्रथा उठा दी गयी है, पञ्जाब और कुर्गको छोड़ सर्वत्र निर्वाचित सदस्योंकी संख्या सरकारी या मनोनीत सदस्योंसे अधिक ही है । लोकल बोर्डोंके विषयमें यही बात नहीं कही जा सकती । आसाम, बम्बई, मध्यप्रदेश और पञ्जाबके लोकल बोर्डोंमें निर्वाचित और अन्य प्रदेशोंमें मनोनीत सदस्य अधिक हैं । भिन्न भिन्न प्रदेशोंमें इस प्रकारके न्यायिक रूप राज्यके विषयमें जो ऐक्य बने हैं, उनमें प्रादेशिक सरकारको इसका निर्णय करनेका अधिकार है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डका चेयरमैन निर्वाचित होगा या मनोनीत पर मध्यप्रदेशमें निर्वाचित होता है और साधारणतः वह गैरसरकारी आदमी ही होता है । युक्तदेशमें चेयरमैनके निर्वाचनकी व्यवस्था है, पर सरकार निर्वाचन रद्द कर सकती है । लोकल बोर्ड मध्य प्रदेशोंमें जिला बोर्डोंके अधीन हैं और इनके कर्मचारी मात्र समझे जाते हैं । उनके अधिकार और आयके मार्ग बहुत सीमाबद्ध हैं । पर मद्रासमें जिला बोर्डोंके निरीक्षणार्थीन रहकर साधारण मंडको, शिक्षा आदिके प्रबन्धमें स्वतन्त्र हैं । इन बोर्डोंका सरकार म्यूनिसिपैलिटियोंकी भाँति ही करती है ।

बोर्डों की आयका मुख्य मार्ग "लैंड सेस" है। सालाना लगान या, रयतवारी प्रदेशोंमें, सरकारी मालगुजारीपर एक आने रुपयेके हिसाबसे यह कर बैठानेका बोर्डों को अधिकार है। यह कर सरकारी मालगुजारीके साथ घसूत्र किया जाता है और उसी हिमायसे घटना उठता रहता है। १९०५ से बोर्डों की आमदनीकी चौथाई रकम सरकार भी उन्हें देती है। इसके सिवा जिला बोर्डों को प्रादेशिक सरकारोंसे भी कई कामोंके लिये बहुतसी रकम मिलती है। स्कूलों और डाक्टर-पानोंके सम्बन्धमें जो आय होती है, उसके सिवा कानोहौस और उनारेकी तथा मद्रासमें सडकोकी टोलकी आमदनी है। मद्रासमें ताल्लुक बोर्डों की जो आय होती है, उसकी आधी तथा और कुछ रकमें ताल्लुक बोर्डों को मिलती है। बोर्डों की आयके मार्ग मेले, प्रदर्शनिया, पशुचिकित्सा तथा सार्वजनिक उद्यानोंका भूमिकर भी है। बोर्डों के लिये जो कर देना पड़ता है, वह आदमी पीछे एक आनेसे तीन आनेतक है। मद्रास और बंगालमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपने एजिनियर नियुक्त करते हैं और यही व्यवस्था मध्यप्रदेशमें है, पर अन्य प्रदेशोंका एजिनियरी काम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट करता है। १९१२-१३ में कुल १६६ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और ५३६ सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे और इनकी आय ५, ६८, ०८, २६२) थी। इसी वर्ष शिक्षा और सफाईके लिये भारत सरकारसे इन्हें बड़ी रकम मिली थी। १९१३ से पहले लैंडसेस आय होती थी वह सारी बोर्डोंका नहीं

मिलती थी। बङ्गाल और बिहार उड़ीसेमें उसके दो भाग होते थे, एक रोड सेस और दूसरा पब्लिक वर्क्स सेस। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को रोड सेस ही मिलता था और पब्लिक वर्क्स सेस सरकार लेती थी। इससे वह अपने मनसे जितनी रकम चाहती थी, बोर्डों को देती थी। युक्तप्रदेश, पञ्जाब और पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेशमें कई कामोंके लिये इससे बहुतसी रकम प्रादेशिक सरकारें ले लिया करती थीं। १९१३ में भारतसरकारोंने प्रादेशिक सरकारोंको बहुतसी रकमें दी और तबसे लैंड सेसकी पूरी आय जिला बोर्डों को मिलने लगी। इससे बङ्गाल, युक्त प्रदेश और बिहार उड़ीसेके बोर्डोंकी आय फी सैकडे क्रमशः ६४, ४५ और ५५ बढ़ गयी। १९१६-२० में समस्त भारतमें कोई २०० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और ५३२ सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे तथा १,०२२ यूनियन कमिटिया थीं। यूनियन कमिटियोंको छोड़ इन बोर्डोंके १३,००० मेम्बर थे। जिनमें फी सैकडे ५७ निर्वाचित थे। सब बोर्डोंमें फी सैकडे १७ से अधिक सरकारी अफसर नहीं हैं। बोर्डोंकी कुल आमदनी १३ करोड ६५ लाख रुपये थी और हर जिला बोर्डकी सालाना औसत आमदनी ३ लाख ८० हजार रुपये है। इन बोर्डोंके अधीन २१ करोड ३० लाख मनुष्य थे।

बंगाल । १८८५ में बने हुए बङ्गाल लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट ऐक्टके अनुसार यहा काम होता है। दार्जिलिङ्ग और कुछ दूरके स्थानोंको छोड़ बङ्गालके सब जिलोंमें

डिस्ट्रिक्ट और प्रायः सर्वत्र लोकल बोर्ड स्थापित हैं। जिलोंमें ग्राम जिला बोर्डके आधे-मेम्बरोंका निर्वाचन लोकल बोर्डों द्वारा होता है और लोकल बोर्डोंके दो तिहाई मेम्बर करदाता निर्वाचित करने हैं। यूनियन कमिटियोंके मेम्बर भी साधारणतः निर्वाचित होते हैं। १९०८ में १८८५ के ऐक्टका जो सुधार हुआ था, उससे यूनियन कमिटियां डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंके अधीन कर दी गयीं और उन्हें अपने अग्रीन स्थानोंमें सफाई रखने और ग्रामवासियोंपर सामान्य कर वसूलनेका अधिकार दिया गया। साथ ही रोड सेसकी आय जिन कामोंका उल्लेख १८८० के सेस ऐक्टमें है उनके सिवा दूसरे कामोंमें लगानेका निषेध किया गया और पुलोंकी उतराई लेनेकी व्यवस्था की गयी। सब डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंके लिये आवश्यक कर दिया गया कि, सफाईके लिये कमिटियां और इन्स्पेक्टर नियुक्त करें। हकी रेलोंकी उन्नति की गयी और पलाइशटल करकेको उत्तेजन दिया गया। पहले १३ बोर्डोंके निर्वाचित मेम्बरोंको सख्या आधीसे दो तिहाई कर दी गयी थी और अब बाकी बोर्डोंकी भी कर दी गयी। सभी बोर्डोंको अपना चेयरमैन निर्वाचित करनेका अधिकार है। कोई सरकारी अफसर अब चेयरमानीका उम्मेदवार नहीं हो सकता और लोकल बोर्डोंके भी चेयरमैन जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें पदत्याग करना पड़ेगा। जिला बोर्डोंके प्रारंभ भी कानून अननुधाता है जिससे उन्हें विशेष स्वाधीनता मिलेगी और

गावोंका जलमय दूर करनेके लिये वे पवित्रक वर्क्ससेसकी निहाई एकम खर्च कर सकेंगे ।

आसाम । १९७६ के रेगुलेशनके अनुसार सड़कों, प्राथमिक शिक्षा और जिलेकी डाकके व्ययके प्रबन्धके लिये आसाम में जिला कमिटिया बनी थी, पर बाद तोड़ दी गयी और इनके बदले सत्र डिविजनल बोर्ड बने । ये और प्रदेशोंके डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंके समान हैं । इनके कुछ मेम्बरोंको चाय बगीचोंके यूरोपियन निर्वाचित करते हैं । १९११—१२ में कुल ३१६ मेम्बरोंमें १३३ यूरोपियन या ऐंग्लो इण्डियन थे और १८३ मेम्बर किर्वाचित हुए थे । आसामके लोकल बोर्ड कानूनी पायेपर नहीं चडे थे, इस लिये लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट बिल पास किया गया है ।

युक्तप्रदेश । १८८३ में नार्य वेस्टर्न प्राविन्सेज ऐण्ड अवध लोकल बोर्ड्स ऐक्ट बना था, जिसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट सत्र डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्थापित हुए थे । इसमें यह व्यवस्था थी कि जिला बोर्डोंमें लोकल बोर्डोंके कुछ या सत्र मेम्बर रहें और लोकल बोर्डोंके तीन चौथाई मेम्बर निर्वाचित हुआ करें । १९०६में यह ऐक्ट रद्द कर दिया और इसके बदले यूनाइटेड प्राविन्सेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट बना । इससे लोकल बोर्ड तोड़ दिये गये और डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंको स्थानीय कमिटिया नियुक्त करनेका अधिकार दिया गया । यह भी व्यवस्था हुई कि इनके तीन चौथाई मेम्बर निर्वा-

चित्त हुआ करें। युक्तप्रदेशकी कौन्सिलने भी बोर्डोंके सम्बन्धमें नया कानून पासकर उन्हें अधिक अधिकार दिये हैं तथा सरकारका प्रभाव कम किया है।

पंजाब । १९८३ में पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट बना था और वहा भाज भी उसीके अनुसार काम हो रहा है। इसके अनुसार हर जिलेमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होना चाहिये, पर लोकल बोर्डकी स्थापना प्रादेशिक सरकारकी इच्छापर निर्भर है। साधारणतः जिला बोर्डके दो तिहाई सदस्य गैरसरकारी सज्जन और कमसे कम आधे वहाँके जमीन्दार होने चाहिये। लोकल बोर्ड धीरे धीरे अनावश्यक समझे और उठा दिये गये। १९०१-२ में ११ जिलों में ४५ लोकल बोर्ड थे, पर १९११-१२ में ये ४ ही जिलोंमें रह गये और इनकी संख्या १७ थी। दशकके अन्तमें २६ डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में १७ में तथा १३ लोकल बोर्डोंमें निर्वाचित सदस्य भी थे। यहाँके लोग निर्वाचित होनेकी अपेक्षा मनोनीत होनेमें अपना सम्मान समझते हैं।

पश्चिमोत्तरसीमा प्रदेश । पंजाबके ऐक्टके अनुसार यहाँके पांच जिलोंमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं। १९०३ के पहलेतक हजारा जिला बोर्डके आधे मेम्बर निर्वाचित होते थे, पर इस वर्षसे पाँचों जिलोंके मेम्बरोंको चीफ कमिश्नर मनोनीत करते हैं। जो दो लोकल बोर्ड थे, वे भी १९०४ में तोड़ दिये गये।

मध्यप्रदेश और बरार । १९८३ के ऐक्टके अनुसार मध्य-प्रदेशके कई गाँव मिलकर "सर्कल" बना दिये जाते हैं और ये

प्रायः मद्रासके ग्रामियोंसे मिलने जुलते हैं। पर इनके नियंत्रण-के लिये पचायत नहीं है। कई सर्कलोंके ऊपर लोकल बोर्ड होता है और जिले भरके लोकल बोर्डों पर डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल होती है। लोकल बोर्डके मेम्बरोंमें एक तिहाई मनोनीत और दोतिहाई निर्वाचित होते हैं। हर सर्कलके गावोंके मुखियों द्वारा निर्वाचित मुखिये तथा व्यापारियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि लोकल बोर्डों में बैठते हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन्सिलके मेम्बर भी इसी प्रकार निर्वाचित होते हैं भेद केवल इतना ही है कि इनके लिये गावोंके मुखियोंके बदले लोकल बोर्डोंके प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। बरारमें १८८५ के कानूनसे हर जिलेमें जिला बोर्ड और हर ताल्लुकमें ताल्लुक बोर्ड होना चाहिये। ताल्लुक बोर्डके आधे मेम्बरोंका निर्वाचन करदाताओंद्वारा और डिस्ट्रिक्ट कौन्सिलके आधे मेम्बरोंका निर्वाचन ताल्लुक बोर्डोंके मेम्बरोंद्वारा होना चाहिये। १९११में लोकल बोर्डोंको काम और खर्च करनेके सम्बन्धके अधिक अधिकार दिये गये। १९१२ में नगरके ताल्लुक बोर्डोंको भी ये ही अधिकार दे दिये गये। नये लोकल सेक्ट गवर्नमेण्ट ऐक्टसे सरकारी चेरर देन नहीं रहा और सरकारी मेम्बर भी घट गये तथा बोर्डोंको नियंत्रणके अधिक अधिकार दिये गये हैं।

मद्रास । १८८४ के ऐक्टके अनुसार यहा जिला बोर्ड, ताल्लुक बोर्ड और ग्रामियत पचायते हैं। ग्रामियतमें एक वा अधिक गाव होते हैं। ताल्लुक बोर्ड हर ताल्लुकके लिये नहीं

होता, पर प्रादेशिक सरकारके इच्छानुसार एक या अधिक ताल्लुकोंके लिये होता है। जिला बोर्डके प्राय आधे मेम्बर ताल्लुक बोर्डों द्वारा निर्वाचित होते हैं। मनोनीत और "पदके कारण" सदस्योंकी संख्या चौथाई होती है। १९०६ तक ताल्लुका बोर्डोंके सब मेम्बर मनोनीत हुआ करते थे, पर इस वर्षसे तिहाई और १९१२ से चौथाई निर्वाचित होने लगे। यूनियन पञ्चायतोंमें यूनियनके अन्तर्गत गावोंके मुखिये और मनोनीत सदस्य होते हैं। इनमें गैरसरकारी सदस्योंकी संख्या ही अधिक है। ऐक्टके अनुसार जिला बोर्ड जिस ताल्लुक पर जितना कर बैठते हैं, उसका आधा बहाके ताल्लुक बोर्डको मिलना चाहिये। घरोंके टैक्ससे जो आय होती है, वह यूनियन पञ्चायतोंको मिलती है। घर पीछे एक रुपया टैक्स लगता है। मद्रास ऐक्टके अनुसार रेल बनानेके लिये (स्पेशल सेस) विशेष करकी व्यवस्था है। रेलोंसे डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंकी आय बढ़ी है। १९२०-२१ में जिला बोर्ड २५ और इनके मेम्बर ८६३ थे। सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ६७ से ११६ हो गये और जो अपना प्रेसिडेंट निर्वाचित करते थे, उनकी संख्या १३ से ३८ हो गयी।

बम्बई । १८८७ के लोकल बोर्ड्स ऐक्टमें डिस्ट्रिक्ट और ताल्लुक बोर्ड स्थापनाकी व्यवस्था है और इसके अनुसार आगेसे कम सदस्य निर्वाचित और मनोनीतोंमें आधेसे अधिक सरकारी कर्मचारी न होने चाहिये। जिस ताल्लुकमें ५,०० से

अधिककी चस्ती हो, उसके बोर्डके निर्वाचित मेम्बरोंमें ह्यूनिंसिपल विभागके कमिशनरों द्वारा निर्वाचित एक मेम्बर ताल्लु का बोर्डके सदस्य निर्वाचनके लिये जो ग्रामसमूह बनाये गये हैं, उनमें प्रत्येकका एक मेम्बर और जिन लोगोंने दूसरोंमें गाव लिये हैं, उनका निर्वाचित एक मेम्बर रहता है। जिल्ले के बोर्डके निर्वाचित मेम्बरोंमें ताल्लु का बोर्डों, बड़ी ह्यूनिंसिपल ट्रियो और बचे हुए गावोंके प्रतिनिधि होते हैं। अगस्त १९१५ में बम्बई सरकारने इस बानकी जाचने लिये कमिटी नियुक्त की थी कि जिल्ला और ताल्लु का बोर्डों की रचना और संचालनमें कौन कौन परिवर्तन किये जाय, जिससे इस ढङ्गके स्थानिक स्वराज्यकी और उन्नति हो। कमिटीकी रिपोर्टपर मई १९१६ के अन्तमें सरकारने मन्तव्य प्रकाशित कर कहा कि लोकल बोर्डों में जातियोंके अनुसार प्रतिनिधित्वके पक्षमें हम नहीं हैं और बिना प्रबल कारणोंके कमिटीका यह प्रस्ताव हमें स्वीकृत न होगा। कमिटीके आर्थिक प्रस्तावोंको तो उसने अमपूर्ण आधारोंपर बताया, पर जिल्ला और ताल्लु का बोर्डोंमें गैरसरकारी चयनमें नियुक्त करना निश्चय किया। गैर सरकारी चयनमें जाले बोर्डको अपने जिल्ले और सदरमें अपने हर्क और एकाउण्टेंट तथा जिल्ला बोर्डों के कर्मचारियोंके कामकी देखभालके लिये एक नॉफ अरुमर नियुक्त करना पडना है और नियमित कार्य अधीशको अधीन रखना है और कितने मनोनीत और कितने

विषयमें १८८४ के ऐक्टमें परिवर्तन किया गया और स्थान-विशेषका ध्यान रखकर कमिटीकी सम्मतिके अनुसार कार्य होने लगा। कमिशनरोसे पूछा गया कि आपके डिप्टी जनके किन किन जिला बोर्डों का काम कलेक्टरके जिना चल सकता है। उनका उत्तर आनेपर बोर्डोंकी पुनारचना होगी और कलेक्टर वा उसके कर्मचारियोंसे इनका सम्बन्ध न रहेगा। जो काम कलेक्टरके कर्मचारी करने थे, उमे करनेके लिये आदमी रखे गये और उनके वेतनादि मन्थे सरकार कुछ रकम देने लगी। नया ऐक्ट पान होनेसे डिस्ट्रिक्ट और ताल्लुका बोर्डों के प्रेसिडेंट गैरसरकारी आदमी बनाये जाने लगे हैं।

भारत सरकारने स्थानिक स्वराज्य विषयक अपने १९१५ के

मन्तव्यमें डिस्ट्रिक्ट बोर्डों तथा पञ्चा-सरकारकी नीति। यतोंके विषयमें भी अपनी भाषी नीति बतायी है। अग्रिमर विभाजक कर्मा-

शनकी सम्मति थी कि सर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सर प्रदेशोंमें स्थापित किये जाय और उनका कार्यक्षेत्र तहक के वा तहसील-से घडा न हो और उनको यथेष्ट धन तथा स्वतंत्र अधिकार दिये जाय। चम्पई, बङ्गाल, पञ्जाब, बिहार उडीने और मध्यप्रदेशके सर डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंके सफरनापूर्वक मञ्जालिन न होनेका कारण, उसके मतने, धन तथा स्वतंत्रताका अभाव ही है। युक्तप्रदेश और पश्चिमोत्तरगमीमा प्रेशनी सरकारी स

मतमे वहा सत्र-डिस्ट्रिक्ट या तहसील बोर्डों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो जिले छोटे हैं और गावों में जाने आनेके लिये सड़के अड़ो हैं और दूसरे उनके लिये योग्य मेम्बर नहीं मिलने । इससे तो तहसील या सत्र डिप्टीजनों के प्रमुख के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंकी जो कमिटिया बना दी जाती हैं, उनसे उन्नतिकी उड़ी आशा है । पञ्जाब सरकार भी ऐसी ही कमिटिया बतानेके पक्षमें है । मध्यप्रदेशके सिवा अन्य प्रदेशोंकी सरकारें समझती हैं कि सत्र डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंको अधिक अधिकार देनेसे जिला बोर्डोंकी शक्ति घट जायगी । इस लिये भारत सरकारने कमीशनकी यह सम्मति नहीं मानी । कमीशनकी दूसरी सूचना थी कि डिस्ट्रिक्ट और सत्र डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या बहुत अधिक हो और अल्पसंख्यक मनुष्यों की समाजों के उपयुक्त प्रतिनिधित्व तथा कार्यानुभवी कर्मचारियों की नियुक्तिके लिये ही सदस्य मनोनीत हुआ करे । बम्बई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेशको छोड़ सभी बड़े प्रदेशोंमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या मनोनीतोसे अधिक हैं । बम्बई सरकारका कहना है कि बोर्डोंमें निर्वाचितोंका बहुमत वर्तमान अवस्थाओंमें इष्ट नहीं है और पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेशमें फिकों के झगडोके कारण वहाकी सरकार इसे सम्भव नहीं समझती । कमीशनके प्रस्तावसे अन्य प्रदेशोंकी सहानुभूति है । कमीशनका तीसरा प्रस्ताव था कि डिस्ट्रिक्ट और सत्र डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंका अध्यक्ष

सरकारी अफसर ही रहे। यह भारतसरकार और प्रादेशिक सरकारोंको स्वीकार है, पर जहां गैरसरकारी चेयरमैन हैं, वहां उनको बनाये रखने अथवा जहां प्रादेशिक सरकार गैरसरकारी चेयरमैन नियुक्त करके इस कार्यकी परीक्षा करना चाहें वहां भारतसरकार बाधा न देगी। फमीशनका कहना था कि आने रुपयेसे अधिक लैंडसेस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड न बढ़ा सकें, क्योंकि लोग इसे पसन्द न करेंगे। भारत सरकारने इसके पक्ष या विपक्षमें कुछ कहकर बध जाना नहीं चाहा। फमीशनका पांचवा प्रस्ताव था कि हटकी रेलें या ट्रामवे बनानेके लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंको सालाना लगानकी रकमपर एक पैसा रुपया विशेष कर बैठानेका अधिकार दिया जाय। डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंके तीन चौथाई मेम्बर उसके अधिवेशनमें जयतक इस करके पक्षमें न हों और छ महीने बाद उतने ही सदस्य बोर्डोंके अधिवेशनमें इसे स्वीकार न करें तथा प्रादेशिक सरकार आज्ञा न दे, तयतक यह कर न बैठाया जाय। भारत सरकारने प्रादेशिक सरकारोंकी सम्मति तथा भारतसचिवकी अनुमतिसे इसे स्वीकार कर लिया है और प्रादेशिक सरकारोंको आशा दे दी है कि आवश्यकता होनेपर फातून बना लो। बङ्गाल के बोर्डके पास यथेष्ट धन है। मद्रास बोर्ड रेल बना ही रहे हैं। भारत सरकारको आशा है कि अन्य प्रदेशोंमें इस प्रस्तावके अनुसार कार्य होगा। रेलें दो तरहसे बन सकती है, एक

ना बोर्डके छर्वसे और दूसरी किसी कम्पनीको उसकी पूजीके व्याजकी गराएटी देकर । यदि पहले ढङ्गसे काम करना हो तो उसे बनानेका काम प्रधान रेलवेकी कम्पनीको सौंपना चाहिये । प्रत्येक अवस्थामें रेलवे डिपार्टमेण्टकी स्वोक्ति लेनी होगी जिसमें उसकी निश्चित लाइन ही डिस्ट्रिक्ट बोर्डकी लाइन भी न ठहरे । भारत सरकारने निश्चय किया है कि यदि किसी बोर्डके पास रेल बनानेको यथेष्ट धन न हो, तो वह बननेवाली रेल आर रेलवे सेसकी जमानतपर "डिवेचर" * काटकर धन संग्रह कर सकती है । इस मृणको चुकानेके लिये चोई "सिक्किंग फण्ड" बनानेकी भी आवश्यकता नहीं है । कमीशनका छठा प्रस्ताव है कि बोर्डोंको अपना बजेट पास करनेका अधिकार इस शर्तपर दिया जाय कि तुम्हारे पास इतनी रोकड चाकी होनी चाहिये । बम्बईमें ऐसा ही नियम है । प्रादेशिक सरकारें बजेटकी कड़ाई कम करनेके पक्षमें तो हैं, पर उसे पास करनेका अधिकार बोर्डोंको देना नहीं चाहती । भारत सरकारकी सम्मति है कि जत्र सरकारी अफसर बोर्डोंका प्रेसिडेण्ट होता है और निरीक्षण तथा नियन्त्रणका अधि-

* सम्पत्ति वा ध्यापपर श्रण लेनेके लिये जो कागज निकाले जाते हैं, उन्हें डिवेचर कहते हैं । उनपर व्याजकी दर भी लिखी रहती है । इस धणके चुकानेके लिये धन संग्रह करनेको जो गोसक बनाते हैं, उसे "सिक्किंग फण्ड" कहते हैं ।

कार भी सरकारी अफसरोंको है, तब कुप्रबन्धकी आशङ्का नहीं है। कमीशनका सातवा प्रस्ताव यह था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंको सडक आदि बनानेका पूरा अधिकार दे दिया जाय और उसके लिये उन्हें सरकारी स्वीकृतिकी आवश्यकता न हो। प्रादेशिक सरकार और भारत सरकारें अधिकार देना नहीं चाहती, पर जिस जिलेमें काम बहुत हो और वहाका बोर्ड अच्छा एजिनियर अच्छे वेतनपर रख सके, तो उसे अधिकार दिया जा सकता है।

अधिकार विभाजक कमीशनने ग्राम पञ्चायतोंकी स्थापना और उन्नति करनेका भी परामर्श पचायतों । दिया था। उसकी सम्मति थी कि इन्हे छोटे छोटे दीवानी और फौजदारी मामले फैसल करनेका अधिकार मिले और व्यय-निर्वाहके लिये लैंड सेसका कुछ हिस्सा, विशेष ग्राण्ट, कानीहोसों और बाजारोंकी आमदनी और दीवानी मामलों पर कुछ फीस इनको दी जाय। भारत सरकारने प्रस्ताव पसन्द किया और आवश्यक होनेपर विशेष कर बैठानेका अधिकार देना भी खोकार किया। बर्मा और मध्यप्रदेशकी सरकारोंकी समझसे वहा पञ्चायत प्रिन्सिपल नयी चीज होगी और इसपर लोगोंका प्रिवास न होगा। दूसरी स्पर्करें थोड़े हेर फेरसे पञ्चायतोंसे काम लेनेपर सम्मन हैं। पञ्चायतसे स्वेच्छासे लोग पचायतसे दीवानी मामले फैसल करगते हैं।

समझी जाय, जो किसी समय पूर्वोक्त ग्रुनियनोंके रूपमें बदल जाय । सरकार चाहती है कि ग्रुनियनोंके सरपंचोंसे सरकारी अफसर ऐसा बर्ताव करे जिससे उनकी प्रतिष्ठा जान पड़े । मद्रासकी व्यवस्थापिका सभामें सर हैरल्ड स्टुअर्टने सूचित किया कि छोटे दावानी और फौजदारी मामले फैसल करनेको ग्राम पंचायतें स्थापित करनेके लिये सरकार एक बिल तैयार करना चाहती है । गावके ऐसे ५, ७ या ६ आदमी पंच नियुक्त होंगे, जिनपर लोगोंका विश्वास होगा । तीन पंच उपस्थित होनेसे पंचायतका कार्य आरम्भ होगा । गावके मैजिस्ट्रेटके अधिकार भी इस पंचायतको दे दिये जायेंगे और दीवानी मामलोंका कार्य-क्षेत्र बढ़ाया जायगा, पर गावके मुन्सिफका पद न उठाया जायगा और विशेष प्रकारके मामलोंका विचार किगा करेंगे ।

भारत सरकार निम्नलिखित सिद्धान्तोंके अनुसार पंचायत स्थापन करनेके पक्षमें है —

- (१) ऐसे चुने हुए गावों या कस्बोंमें पंचायतें स्थापित की जाय जहा लोग साधारणत इसपर सहमत हो ।
- (२) कानूनकी आवश्यकता हो तो वह सार्वत्रिक और अनुमतिप्रद हो । हर गावकी पंचायतोंके कर्त्तव्य कार्य, चाहे वे शासनविषयक हो वा विचार सम्बन्धी, एकसे होनेकी आवश्यकता नहीं है ।
- (३) जहा पंचायतों को शासन और विचार सम्बन्धी अधिकार

देनेका प्रयोजन हो, वहा दोनो काम एकही सरथाको सौंप जाय ।

- (५) जहा कही शिक्षा या सफाईके लिये कोई कमिटी बनी हो वहा पंचायत स्थापित होनेपर ये सस्थाए उसके अन्तर्गत कर दी जाय ।
- (५) साधारणत मामले फैसल करनेका अधिकार अनुमतिप्रप्त होना चाहिये, पर जो लोग पंचायतसे अपने मामले फैसल करावे उनको उत्साहित करनेके लिये कुछ उचित सुनीति कर देने चाहिये । जैसे, यदि कोर्ट फी लगे तो बहुत कम विचारपद्धतिकी बारीकिया न रहें और जल्दी मामले फैसल हुआ करें ।
- (६) जहा इष्ट हो, वहा प्रादेशिक सरकारके नियन्त्रणके अनुसार पंचायतो को कर बैठानेका अधिकार दिया जाय, पर पंचायतपद्धतिकी उन्नतिके साथ हीकरो की भरमार न होने लगे ।
- (७) शासनकार्यमें पंचायतो का अन्य शासन सस्थाओ से क्या सम्यन्ध है इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये । यदि डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उन्हें आर्थिक सहायत देते हो, तो ऐसे बोर्डों के निरीक्षणपर आपत्ति न होनी चाहिये ।

बिलेज पंचायत ऐक्ट पास कर, पंजाब सरकारने पंचायत या कई गावों में पंचायत स्थापित करनेकी व्यवस्था की

हो तो ऋण लेकर वह पूरी की जा सकती है। म्यूनिसिपैलिटियों की अपेक्षा पोर्ट ट्रस्ट में सरकार का हस्तक्षेप अधिक है ।


स्थानिक स्वराज्य की दृष्टिसे इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट पोर्ट ट्रस्टों के समान ही हैं । नगर की उन्नति करनेके लिये कलकत्ते, बम्बई, रंगून, प्रयाग, लखनऊ और कानपुरमें इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्टों की सृष्टि हुई है । सड़की सड़के चौड़ी करना, धनी घस्तियों को हवादार बनाना और गरीबों और मजूरों को रहनेके लिये मकानों की व्यवस्था करना कलकत्ता नगरोन्नतिकारिणी सभाका कर्त्तव्य है । यह संस्था १९१२ में बनी है । इसमें अध्यक्ष समेत ११ सदस्य हैं । चेयरमैन सरकार नियुक्त करती है और यह ट्रस्टका वेतनभोगी कर्मचारी है । कांर्पोरेशनका चेयरमैन अपने पदके कारण ट्रस्टी या मेम्बर होता है । सदस्यों में ४ म्यूनिसिपैले कांर्पोरेशन, १ बङ्गाल चेम्बर ऑफ कामर्स और १ बङ्गाल नेवल चेम्बर ऑफ कामर्स निर्वाचित करती है, बाकी ३ सरकार मनोनीत करती है । अनुमान

ट्रस्टको ८ करोड २२ लाख	आवश्यकत
इसमें ५ करोड नयी सड़क	७२ "
और १॥ करोड मकान	५५ "
मध्ये ५० लाख भारत	और
३६ लाख जमीनसे ही	४
लाखका ऋण लेकर काम	।

लिये ६० वर्षतक वार्षिक १६,६५,०००) और १। लाख घटे बढ़के बढ़ाकर २०,६०.०००) की आयकी यह व्यवस्था की गयी है—स्थावरसम्पत्तिकी विक्री, वन्द्यक और दानपत्रपर २) सैकडेकी स्टाम्प ड्यूटी, ३० मील दूरसे कलकत्ते आने-वाले मुसाफिरपर एक आना टैक्स, जूटकी ४०० पाँडकी गाठपर दो आने कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी, कापेरेशनके टैक्सोपर २) सैकडे और १॥ लाख वार्षिककी सरकारी सहायता। वमर्ई इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्टकी व्यवस्था इससे मिलतीजुलती है। उसके १४ मेम्बरोमें १ चेम्बर आव कामर्सका, १ पोर्ट ट्रस्टका, १ मिलभोनर्स एसोसियेशनका और ३ कापेरेशनके प्रतिनिधि हैं, ३ सरकारने मनोनीत किये हैं, ३ अपने पदोके कारण मेम्बर हैं और १ चेयर-मैन है।



व्यवस्थापिका सभाएं ।



नये कानून बनाने और पुराने कानूनोंमें रद्दोबदल करनेके लिये

लेजिस्लेटिव

कौन्सिल ।

भारतमें व्यवस्थापिका सभाएं बनी हैं ।

नये शासनसंस्कारोंके पहले ब्रिटिश

भारतभरके लिये कानून कायदे बनाने

वाली सभा सुप्रीम लेजिस्लेटिव कौंसिल वा बड़ी व्यवस्थापिका सभा कहाती थी और प्रदेश-विशेषके लिये जो सभा कानून बनाती है, उसे उस प्रदेशकी व्यवस्थापिका सभा या लेजिस्लेटिव कौंसिल कहते थे और हैं । सुप्रीम लेजिस्लेटिव कौंसिलका असली नाम था "कानून और कायदे बनानेके लिये गवर्नर-जेनरलकी सभा ।"

* इससे जाना जाता है कि बड़ी व्यवस्थापिका सभा ब्रिटिश पार्लमेण्टकी तरह कोई स्वतन्त्र संस्था नहीं थी और भारत सरकारसे उसके कामोंके लिये यह जवाब तलब नहीं कर सकती थी, बल्कि कानून कायदे बनानेमें भारतसरकारकी सम्मति देना भर इसका काम था । जब बड़ी व्यवस्थापिका सभाकी स्थापना नहीं हुई थी, तब सरकार ही कानून बनाती थी । १७७२ के रेगुलेटिङ्ग ऐक्टसे गवर्नर जेनरल और

⊗ The Governor General-in Council at meet for the purpose of making laws and regulations

उनकी काँसिलको फोर्ट विलियम और उसके अधीन कोठियोंके सुशामनके लिये नियम आर्डिनैन्स और रेगुलेशन बनानेका अधिकार उसी समय मिला था और ८० वर्षतक वे ब्रिटिश भारतके लिये कानून कायदे बनाती रही । पार्लमेंट इतना ही चाहता थी कि इन कानूनोंसे पार्लमेण्टका कोई कानून न कटने पावे । कानून तोड़नेवालेपर जुर्माना करने और उसका माल जप्त करनेका अधिकार भी गवर्नर जनरल और उनकी काँसिलको दिया गया । पर ये कानून तबतक नाजायज ठहराये गये, जबतक सुप्रीम कोर्टमें रजिस्ट्री होकर प्रकाशित न हों । इसके बाद इंग्लैंडके महाराजको अधिकार रहा कि चाहे जिस कानूनको रद्द कर दें । १७७३ से १८३३ तक तो गवर्नर जनरल और उनकी काँसिल कायदे बनाती रही, पर १८३४ से एक कानूनदा भी काँसिलका मेम्बर बनाया गया । यह कम्पनीका नौकर न था और कानून बनानेके निवा काँसिलकी किसी मीटिंगमें उपस्थित नहीं होता था । सरकार कृपा करके इसे अपने कागजपत्र दिवाती थी । इन्ही समयसे काँसिलमें स्वतन्त्र व्यक्तिको स्थान मिला और वर्तमान व्यवस्थासदस्यके पद की सृष्टि हुई । मैकाले पहले व्यवस्थासदस्य नियुक्त हुए । इसके पहले कानून "रेगुलेशन" * कहाते थे, पर अन्ते

* १७७३ में गवर्नर-जेनरल और उनकी काँसिलको "रेगुलेशन" बनानेका अधिकार दिया गया था । १७६३ तक इस संस्थाने ४८

पेक्ट कहाने लगे । यदि “कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स” पेक्ट रूढ़ नहीं करता था, तो वह पार्लमेंटके ऐक्टके समान ही, समझा जाता था । इसी समयसे मद्रास और बम्बई सरकारोंका रेगुलेशन बनानेका अधिकार छीन लिया गया और भारत सरकारके लिये यह कौन्सिल ही कानून बनाने लगी ।

१८३३ के चार्टर ऐक्टके अनुसार बीस वर्षतक गवर्नर-जेनरल और उनकी कौंसिल एक कानूनदा मेम्बरकी मददसे उस समय सभाका पहला रूप । के ब्रिटिश भारतके लिये कानून बनाती रही । उस समयतक गवर्नर-जेनरल, कमाण्डर-इन-चीफ (प्रधान सेनापति) और चार आर्डिनिंगी मेम्बर ये छ ही व्यवस्थापक थे । पर १८५३ में जो चार्टर ऐक्ट पास हुआ, उससे छ मेम्बर और बढ़ाये गये थे और इस प्रकार

रेगुलेशन बनाये गये थे । इस वर्ष इनका सशोधन करके लार्ड कार्नवालिसने कोडका स्वरूप दिया । इसके बाद १८३४ तक ६५५ रेगुलेशन बने, पर इनमें केवल ८६ का पूर्ण अथवा आंशिक उपयोग अबतक होता है । ये बङ्गाल कोडमें मिले गे । बम्बई प्रेसिडेंसीमें १७६६ से रेगुलेशन बनने लगे थे और १८२७ में मोट स्यूअर्ट एलफिन्सटनने इनका कोड बनाया । १८३४ तक यह प्रेसिडेंसी भी रेगुलेशन बनाती रही । इसके २० रेगुलेशन अबतक काममें लाये जाते हैं । हाका व्योरा याम्बे कोडमें है । मद्रास प्रेसिडेंसीमें १८०० से १८३४ तक २५१ रेगुलेशन बने थे । इनमें २८ पूर्ण वा आंशिक रूपसे अबतक काममें लाये जाते हैं । ये मद्रास कोडमें मिले गे ।

व्यवस्थापिका सभाकी नींव पड़ी थी। ये छ मेम्बर थे,—फोर्ट विलियमके सुप्रीम कोर्टके चीफ जस्टिस और एक जज तथा हर प्रेसिडेन्सी और लेफ्टेनेण्ट गवर्नरीसे एक एक सिविलियन, जो १० वर्ष या अधिकसे कम्पनीका नौकर हो या जिसने १० वर्ष नौकरी की हो। इन समय बङ्गाल, बम्बई और मद्रास तीन प्रेसिडेन्सिया थीं और पश्चिमोत्तर प्रदेशकी लेफ्टेनेण्ट गवर्नरी थी। उसी समयसे व्यवस्थापिका सभाकी कार्यावली प्रकट रूपसे और प्रकाशित होने लगी। जो मेम्बर कम्पनीके नौकर न हों, उन्हें ५,००० पौण्ड वार्षिक देनेका नियम भी इस ऐक्टमें रहा। इस समयसे कानूनदा मेम्बर भी कम्पनीका नौकर ही हुआ और उसे शासनसम्बन्धी सब विषयोंपर मत देनेका अधिकार दिया गया। गदरके राइ १८५८ में कम्पनीने हिन्दु-स्थानका राज्य महारानी विक्टोरियाने ले लिया। १८५६में गवर्नर जनरलकी कौन्सिलके लेजिस्लेटिव मेम्बरका पद रिक्त हुआ और अर्थव्यवस्थादक्ष कोई मेम्बर कौन्सिलमें न होनेके कारण हमरा लेजिस्लेटिव मेम्बर न नियुक्त कर कम्पनीने पार्लमेंटके मेम्बर मि० विलसनको अर्थव्यवस्था करनेके लिये भारत भेजा। इस कारण दो वर्षतक जिना व्यवस्था सदस्यके ही व्यवस्थापिका सभाका काम चलता रहा। सात वर्ष-तक इस व्यवस्थापिका सभाका काम इस प्रकार हुआ जैसा पार्लमेंटका होता है। सर चार्ल्स वर्डउडने तो इस

अभिप्रायसे १८५३ का कानून बनवाया था कि जो और छ
 मेम्बर बढ़ाये जाते हैं, वे कानून बनानेमें सरकारकी मदद
 देंगे, पर उन्होंने सरकारके कार्यों पर टिकाटिप्पणी करना
 प्रारम्भ किया। वे विविध विषयोंके प्रश्न ही भारतसर-
 कारसे नहीं करते थे, बल्कि प्रस्ताव करते और कई विषयों-
 की ओर सरकारका ध्यान भी दिलाते थे। इस व्यवस्था
 पिका सभाके उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्टके चीफ जस्टिस सर
 वार्नेस पीकाक थे। ये भी प्रस्ताव उपस्थित कर सरकार
 के नाकों दम किया करते थे। टीपू सुल्तानके खान्दानके
 लोगोंको जो सरकारी वस्तीका मिलता था, उसकी पूरी
 खबर कौन्सिलको नहीं। १५ दिसम्बर १८६० के अधि-
 वेशनमें सर वार्नेसने प्रस्ताव पास किया कि सरकार ये
 बातें बतावे। सर वार्टेल क्रोयने सरकारकी ओरसे
 इसका विरोध किया। दोनो पक्षोंके मत लिये गये, तो
 बराबर निकले। सर वार्नेस अध्यक्षके आसनपर थे। उन्होंने
 अध्यक्षके नाते एक वोट और देकर इसे पास कर दिया।
 अन्तको २२ दिसम्बरको सरकारने ये बातें पतायीं। इस-
 पर सर चार्ल्स जैक्सनने (सर वार्नेस नहीं थे) प्रसन्नता
 प्रकट करते हुए कहा कि इससे कौन्सिलका विश्वास
 सरकारपर बढ़ेगा और दोनोमें मिलसे काम होगा जो अत्यन्त
 चाञ्छनीय है।" लार्ड कैनिङ्गने कम्पनीको लिखा कि यह
 कौन्सिल "हाउस आफ कामन्स" बनी जा रही है और

कौन्सिलके १२ सज्जनोंके कार्योंके नियन्त्रणके लिये १३६ आज्ञाप (नियम) हैं । इसके बाद व्यवस्थापिका सभाने भारतसरकार और भारतसन्निपिका किसी विषयका पत्र व्यवहार देपना चाहा । इसी समय इनकमट्रैबल रिजलपर भारत सरकार और मद्रास सरकारमें मतभेद हो गया । साथ ही नान रेगुलेशन प्रदेशोंमें बिना व्यवस्थापिका सभासे पास कराये ही कुछ कानून जारी होनेपर उनके जायज होनेका शक हुआ । इस लिये १८६२ में इण्डियन कौन्सिल्स ऐक्ट पास करके पार्लमेंटने भारत सरकारकी सब कठिनाइया दूर कर दीं ।

१८६२ के इण्डियन कौन्सिल्स ऐक्टसे कई महत्वके परिवर्तन हुए । पहले तो यह स्पष्ट कर दिया गया कि व्यवस्थापिका सभा केवल सम्मति देनेके लिये है,

पहला

कौन्सिल ऐक्ट ।

उसे पार्लमेंटकेसे अधिकार प्राप्त नहीं हैं । इस लिये इसमें कह दिया गया कि गवर्नर-जेनरलकी लेजिस्ट्रेटिव कौन्सिलमें पेश किये हुए किसी बिल, या किसी बिलके पेश करने तथा व्यवस्थापिका सभाके कार्यसञ्चालनके नियमोंके परिवर्तन या सशोधनादिपर ही विचार होगा, अन्य प्रस्तावों पर नहीं । सरकारी ब्रह्मण, सरकारी वामदनी, धर्म या धर्ममन्वन्धी अधिकारों और रीतियों, स्थल तथा जलसेनाके विनयानुशासन, विदेशी या देशी राज्योंसे सरकारके सम्बन्ध-

घपयक प्रस्ताव उपस्थित करनेके लिये गवर्नर जेनरलके स्वीकृति आवश्यक कर दी गयी। इसके बाद यदि कोई बिल कौन्सिलसे पास हो जाय, तो तबतक वह ऐक्ट नहीं माना जा सकता, जबतक गवर्नर-जेनरल उसपर "स्वीकृत" लिखकर हस्ताक्षर न कर दें। इसके उपरान्त भी सम्राट् उसे अस्वीकार कर सकते हैं और इस प्रकार अस्वीकृत होनेपर वह रद्द कर दिया जायगा। इन नियमोंसे व्यवस्थापिका सभाका सरकारी कामोंकी आलोचना और उनमें हस्तक्षेप करना बन्द हुआ। दूसरे, गवर्नर जेनरलको अपनी कौन्सिलके अनाग्रारण और साधारण सदस्यों तथा जिस प्रदेशमें व्यवस्थापिका सभाकी धैठक हो उसके टेफ्टनेट गवर्नरके सिवा कमसे कम छ और अधिकसे अधिक १२ सदस्योंको अपनी व्यवस्थापिका सभाके सदस्य मनोनीत करनेका अधिकार दिया गया और नियम हुआ कि इनमें कमसे कम आधे सदस्य गैरसरकारी सज्जन होंगे। कानून बनानेके समयके सिवा इन्हें कौन्सिलमें बैठनेका अधिकार न मिला। इनका कार्यकाल दो वर्ष नियत हुआ। इसी समयसे सुप्रीम कोर्टके चीफ जस्टिस और एक जजका मेम्बर नियुक्त होना बन्द हुआ। तीसरे, १८३४ में मद्रास और बम्बई सरकारोंसे कानून बनानेका जो अधिकार छीन लिया गया था, वह उन्हें मिल गया और इनके लिये उनकी भी व्यवस्था सभाएँ बनीं, जिनमें ऐडवोकेट जेनरल

के सिवा ४ से ८ मेम्बर तक नियुक्त करनेका अधिकार गवर्नरोंको दिया गया । इनमें कमसे कम आधे गैरसर-सरकारी मेम्बरोंका होना भावश्यक ठहराया गया । चीथे, अन्य प्रदेशोंमें भी व्यवस्थापिका सभाएं स्थापित करने और इनके लिये सदस्य मनोनीत करनेका अधिकार गवर्नर जेनरलको दिया गया । इसके अनुसार १८६२ में बङ्गालमें, १८८६ में पश्चिमोत्तर प्रदेशमें, १८९८ में पञ्जाब और बर्मा में और १९०५ में पूर्व बङ्ग और आसाममें व्यवस्थापिका सभाएं स्थापित हुई । पाचवें, गवर्नर जेनरलको अधिकार मिला कि देशमें शांति और सुशासनके लिये आर्डिनैन्स बनायें और छ महीनेतक यह कानून समझा जाय । छठे, नान रेगुलेशन प्रदेशोंके लिये जो आइना तथा रेगुलेशन गवर्नर-जेनरलने प्रचारित किये थे, वे भी कानून ठहराये गये । सातवें, गवर्नर-जेनरलकी अनुपस्थितिमें शासनकारिणी सभाके सीनियर (सबसे पुराने) आर्डिनरी मेम्बरको व्यवस्थापिका सभाके अध्यक्षका आसन ग्रहण करनेका अधिकार मिला । आठवें, गवर्नर जेनरलको अधिकार दिया गया कि शासनकारिणी सभाके कार्यसञ्चालनार्थ नियम बनायें और नियमोंके अनुसार जो कार्य हो, वह गवर्नर-जेनरलकी कौंसिलका कार्य समझा जाय । इस नियमने सरकारके विभागोंकी सृष्टि की और प्रत्येक मेम्बर अपने अधीन विभागके सम्यन्धकी आज्ञा भारत सरकारके नामसे जारी

करने लगा । प्रेसिडेंटियोंके गवर्नरोंको भी नियम बनानेका अधिकार है । इनसे सेक्रेटेरियटका कोई अफसर "सरकार" हो सकता है । इनके सिवा गवर्नर-जेनरलको और भी अधिकार मिले जिनका व्यवस्थापिका सभाओंसे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

इस ऐक्टके बाद भारतीय व्यवस्थापिका सभाओंसे सम्बन्ध रखनेवाले तीन ऐक्ट पार्लमेंटने ओर व्यवस्थापकी अधिकारवृद्धि । पास किये, पर इनसे उनकी रचनामें कुछ अन्तर नहीं पडा । १८६६ के ऐक्टमें भारतकी सीमाके भीतर और बाहर भी महारानी विक्टोरिया और उनके उत्तराधिकारियोंको अपनी भारतीय प्रजाके लिये कानून बनानेका अधिकार दिया गया । साथ ही इसके पहले जो कानून कायदे गवर्नर जेनरल और मद्रास तथा बम्बईके गवर्नरोंने ब्रिटिश भारतके बाहरके भारतीयोंके लिये बनाये थे, वे भी ठीक ठहराये गये । १८७० के ऐक्टसे भारत-सरकारको भारतके भिन्न भिन्न भागोंके लिये उनके शासकोंके प्रस्तावनानुसार "रेगुलेशन" बनानेका अधिकार दिया गया और निश्चय हुआ कि इस ऐक्टके अनुसार बने रेगुलेशन और व्यवस्थापिका सभामें बने कानूनकी नकल भारतसचिवको भेजी जाय । १८७६ के ऐक्टने मद्रास और बम्बईके गवर्नरों तथा बङ्गालके लेफ्टनेण्ट गवर्नरकी कौंसिलमें बने हुए उन कानूनोंको जायज ठहराया, जिनमें मङ्गरेजोंको दण्ड देनेकी व्यवस्था थी और उन

पेस्टांको इण्डियन कॉन्सिल्स ऐक्टके अनुसार रह करानेका भी उन्हें अधिकार दिया । पर विशेष और महत्वपूर्ण परिवर्तन १८६२ के इण्डियन कॉन्सिल्स ऐक्टसे हो हुए । एक तो कॉन्सिलों के सदस्योंकी संख्या बढ़ी और दूसरे भारत तथा बड़े प्रदेशोंकी व्यवस्थापिका सभाओंमें यजेटरपर विचार प्रकट करने और शासन सम्बन्धीय घातोंपर प्रश्न करने और उनको ओर सरकारका ध्यान आकृष्ट करनेका अधिकार सभासदोंको मिला । परन्तु वे किसी प्रकारका प्रस्ताव नहीं कर सकते थे । बड़ी व्यवस्थापिका सभाके लिये १० से १६ सदस्यतक मनोनीत करनेका अधिकार गवर्नर-जेनरलको मिला । इससे गवर्नर-जेनरलको छोड़कर बड़ी कॉन्सिलमें २४ सदस्य हुए । इनमें छ तो गव-जेनरलकी शासनकारिणो सभाके सदस्य थे, बाकी ८ सरकारी अफसर और १० मनोनीत सज्जन थे । सरकारी अफसरोंमें सभी बड़े प्रदेशोंके प्रतिनिधि थे । गैर-सरकारी सज्जनोंमें ५ जो तो गवर्नर-जेनरल स्वेच्छासे थार ५ को कुछ संस्थाओंकी निष्कारिणसे मनोनीत करते थे । पिछले पांच सदस्योंमें कलकत्ता चैम्बर आफ कामर्स तथा मद्रास, बम्बई बङ्गाल और युक्तप्रदेशकी व्यवस्थापिका सभाओंके गैर-सरकारी सदस्योंके प्रतिनिधि थे । मद्रास और बम्बईकी कॉन्सिलोंके लिये उक्त प्रदेशोंके गवर्नरोंको ८ से २० सदस्य तथा बङ्गाल और युक्तप्रदेशकी कॉन्सिलोंके लिये अधिकसे अधिक २० और १५ सदस्य मनोनीत करनेका अधिकार गवर्नर-जेनरलको दिया गया ।

कौन्सिलोमे कमसे कम कितने गैर-सरकारी सज्जन होने चाहिये इसका नियम पूर्ववत् ही रहा। पञ्जाब और बर्माकी कौन्सिलोमे एक भी निर्वाचित सदस्य नहीं था, और उनके सदस्योंकी सख्या भी ६ से अधिक नहीं थी। बजेटपर विचार प्रकट करनेके समय सदस्य शासनसम्बन्धीय बातोंकी झालोचना भी करते थे। शासनसम्बन्धीय कोई समाचार जाननेके लिये ही प्रश्न किया जा सकता था। उसमें सयत भाषाका प्रयोग होता था और व्यङ्ग, कटाक्ष, दोषारोप आदि नहीं होता था।

१९०६ के इण्डियन कौन्सिल्स ऐक्ट और उसके अनुसार

कौंसिलोंकी पूर्व
रचना।

भारत सरकारके बनाये हुए रेगुलेशनोंसे व्यवस्थापिका सभाओंका स्वरूप बहुत कुछ बदल गया, यद्यपि इसमें बहुत

सन्देह है कि १८५३के चार्टर ऐक्टके अनुसार भारतकी व्यवस्थापिका सभाको जो अधिकार थे अथवा उसके बाद जिन अधिकारोंका वह उपयोग कर रही थी, वे उसे प्राप्त हुए या नहीं। इस ऐक्टसे कौंसिलोंके सदस्योंकी सख्या ही नहीं बढ़ी, बल्कि उन्हें अधिक अधिकार भी मिले। पहले फेयल प्रश्न करनेका ही अधिकार था, पर इस ऐक्टने प्रश्नपर प्रश्न अर्थात् प्रश्नसे उत्पन्न किसी विषयपर प्रश्न करनेका अधिकार भी मेम्बरोको दिया। पहले जिस दिन बजेट पेश होता था, उसी दिन उसपर रुक होती थी और यह पास कर दिया जाता था। पर

इस ऐक्टके अनुसार बजेटकी महो तथा शासनके अन्य प्रश्नोंपर प्रस्ताव किये जा सकते थे और कॉंसिलका मतामत जाननेके लिये पक्ष और विपक्षके मेम्बर अलग अलग कराये जा सकते थे । पर प्रस्ताव सिफारिशके तौरपर होते थे और सरकार उनसे वाध्य नहीं होती । गैर सरकारी मेम्बर किसी विषयका कानून बनानेके लिये कॉंसिलमें बिल उपस्थित कर सकते थे, पर गवर्नर जनरल तथा प्रादेशिक सभामें गवर्नर, ले० गवर्नर अथवा चीफ कमिशनरसे बिल उपस्थित करने और प्रस्ताव करनेकी आज्ञा लेनी पड़ती थी । इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ था कि पहले जहा सभी मेम्बर गवर्नरमेंटकी इच्छासे मनोनीत अथवा दूसरोंकी सिफारिशसे मनोनीत होते थे, वहा इस नये ऐक्टके अनुसार बहुतसे निर्वाचित होते थे ।

१९०६का ऐक्ट छोटा था और इसमें सभी विषयोंका समावेश नहीं था । इस लिये कॉंसिलके कॉन्सिलोंके मेम्बर । मेम्बरोंके निर्वाचन, उसकी कार्यपद्धति और नियमादि भारतसचिवकी स्वीकृतिसे भारतसरकारके बनाये रेगुलेशनोंके अनुसार निर्धारित हुए थे । १९१२ में रेगुलेशनोंका संशोधन होनेपर कॉंसिलोंका रूप इस प्रकार हुआ था,—

बड़ा व्यवस्थापिका सभा ।

पदोंके कारण सदस्य ।

शासनकारिणी सभाके ६ साधारण और २ असाधारण

(प्रधान सेनापति और विल्लोके चीफ कमिश्नर वा पञ्जाबके लेफ्टिनेण्ट गवर्नर) सदस्य

अतिरिक्त सदस्य ।

मनोगीत सदस्योंमें २८ से अधिक अफसर, न थे, जिनमें ६ अफसर तो प्रदेशोंके प्रतिनिधि थे । ३ गैरसरकारी मेम्बर पञ्जाबके जमीन्दारों, पञ्जाबके मुसलमानों और भारतीय व्यापारियोंद्वारा निर्वाचित होते थे ।

१९१५ में एक भारतीय योद्धा भी था ।

निम्नलिखित नस्थाओंद्वारा निर्वाचित

(अ) बङ्गाल, बम्बई, मद्रास और युक्तप्रदेशकी व्यवस्थापिका सभाओंके गैरसरकारी सदस्योंद्वारा २।० तथा विहार उड़ीसे, पञ्जाब, बर्मा, आसाम और मध्यप्रदेशकी व्यवस्थापिका सभाओंके गैरसरकारी सदस्योंद्वारा ३।१

(आ) बङ्गाल, बम्बई, मद्रास, युक्तप्रदेश, विहार उड़ीसे और मध्यप्रदेशके जमीन्दारों द्वारा १।१

(इ) बङ्गाल, बम्बई, मद्रास, युक्तप्रदेश और विहार-उड़ीसेके मुसलमानोंद्वारा

(ई) पारी बारीसे युक्तप्रदेश और बङ्गालके मुसलमान जमीन्दारोंद्वारा

(उ) बम्बई और कलकत्तेकी चेम्बर आफ कामर्सद्वारा

मद्रासकी 'व्यवस्थापिका सभा ।

पत्रके कारण सदस्य ।

शासनकारिणी सभाके सदस्य	३
पेडवोकेट जेनरल	१

अतिरिक्त सदस्य ।

मनोनीत सदस्योंमें १६ से अधिक अफसर न थे और एक भारतीय व्यापारियोंका प्रतिनिधि था	२१
मनोनीत विशेषज्ञ जो चाहे अफसर हों या गैर सरकारी आदमी	२

निम्नलिखित सभाओंद्वारा निर्वाचित सदस्य

(अ) मद्रास कापरिशान	१	
(आ) म्यूनिसिपैलिटिया और जिला बोर्ड	६	
(इ) मद्रास विष्णुविद्यालय	१	
(ई) जमीन्दार	५	
(उ) प्लैटर	१	
(ऊ) मुसलमान	२	
(ऋ) मद्रास चेश्वर प्राय कामर्न	१	
(ऌ) मद्रास ट्रेड्स एसोसियेशन	१	२१

कुल ४८

या गवर्नर समेत

४६

बम्बईकी व्यवस्थापिका सभा ।

पदके कारण सदस्य ।

शासनकारिणी सभाके सदस्य

ग्रेडवोकेट जेनरल

अतिरिक्त सदस्य ।

मनोनीत सदस्य जिनमें १४ से अधिक अफसर न थे

मनोनीत विशेषज्ञ जो चाहे सरकारी अफसर हों या
गैरसरकारी आदमी

इन सस्थाओंद्वारा निर्वाचित

(अ) बम्बई कार्पोरेशन	१
(आ) न्यूनिस्पैलिटिया	४
(इ) जिला बोर्ड	४
(ई) विश्वविद्यालय	१
(उ) जमीन्दार	३
(ऊ) मुसलमान	४
(अ) बम्बई चेम्बर आफ् कामर्स	१
(अ) कराची " " "	१
(ल) बम्बई और अहमदाबादकी मिलओनर्स एसो शियेशन	१
(ल) भारतीय व्यापारी	१ २१

४८

या गवर्नर समेत

४९

बंगालकी व्यवस्थापिका सभा ।

पदके कारण सदस्य ।

शासनकारिणी सभाके सदस्य

३

अतिरिक्त सदस्य ।

मनोनीत जिनमें १६ से अधिक अफसर न थे,

कलकत्ते और चटगावके यूरोपियन व्यापारियोंका १ और

भारतीय व्यापारियोंका १ प्रतिनिधि

२०

मनोनीत विशेषज्ञ जो चाहे सरकारी अफसर हो

या गैरसरकारी आदमी

२

निम्नलिखित सस्याओंद्वारा निर्वाचित सदस्य

(अ) कलकत्ता कापोरेशन	१
(आ) म्यूनिसिपैलिटिया	५
(इ) जिठा बोर्ड	५
(ई) विश्वविद्यालय	१
(उ) जमीन्दार	४
(ऊ) मुसलमान	५
(ऋ) बङ्गाल चैम्बर अाव कामर्स	२
(ऌ) कलकत्ता ट्रेड्स एसाशियेशन	१
(ल) चटगावके पोर्ट कमिशनर	१
(लू) (गवर्नमेण्टके मनोनीत कमिशनरोंको	
(छोड कलकत्ता कापोरेशनके कमिशनर	१
(ए) टी प्लैटिङ्ग एन्डोशियेशन	१

आसामकी व्यवस्थापिका सभा ।

मनोनीत सदस्योंमें ८ से अधिक अफसर न थे १३

मनोनीत विशेषज्ञ चाहे अफसर हों या गैरसरकारी आदमी १४

निम्नलिखित सस्थाओंद्वारा निर्वाचित सदस्य

(अ) म्यूनिसिपैलिटिया	२	
(आ) लोकल बोर्ड	२	
(इ) जमीन्दार	२	
(ई) मुसलमान	२	
(उ) टी प्लैटर (चाय बगीचोंके गोरे)	३	११

२५-

२६

या चीफ कमिश्नर समेत

विहार-उड़ीसेकी व्यवस्थापिका सभा ।

पदके कारण सदस्य ।

शासनकारिणी सभाके सदस्य ३

अतिरिक्त सदस्य ।

मनोनीत सदस्य जिनमें १५ से अधिक अफसर न थे १६

मनोनीत विशेषज्ञ चाहे अफसर हों या गैरसरकारी आदमी १७

निम्नलिखित सस्थाओंद्वारा निर्वाचित

(अ) म्यूनिसिपैलिटिया

(आ) जिला बोर्ड

(इ) जमीन्दार	५	
(ई) मुसलमान	४	
इण्डिगो प्लैटर (निलहे गोरे)	१	
(ऊ) कोयलेकी खानवाले	१	२१

४४

या लेफ्टेनेण्ट-गवर्नरसमेत

४५

मध्यप्रदेश और वरार व्यवस्थापिका सभा ।

मनोनीत सदस्य जिनमें १० से अधिक अरुबर न थे और ३ वरारके गैरसरकारी आदमी या वगरकी म्यूनिसिपैलिटियों, जिला बोर्डो और जमीन्दारोंद्वारा निर्वाचित)

१७

मनोनीत विशेष चाहे अरुबर हो वा गैरसरकारी आदमी निम्नलिखित सभाओंद्वारा निर्वाचित सदस्य

१

(अ) म्यूनिसिपैलिटिया

३

(आ) जिला बोर्ड

२

(इ) जमीन्दार

२

७

२५

या चीफ कमिशनर समेत

२६

ऊपरके विवरणसे मालूम होगा कि प्रादेशिक सभाओंमें गैरसरकारी मेम्बरोकी संख्या अधिक है, पर बड़ी व्यवस्थापिका सभामें गैरसरकारोसे सरकारी मेम्बर अधिक रखे गये हैं। लार्ड मिण्टोको तो इन सभामें भी गैरसरकारी मेम्बरोके मताधिक्यपर आपत्ति न थी, पर लार्ड मोरलेने इसमें सरकारों मताधिक्य ही आवश्यक समझा और तदनुसार ही नियम आदि बने। लार्ड मोरलेने यह मताधिक्य इस लिये रखा था कि यदि किसी प्रदेशके गैरसरकारी मेम्बर किसी कानूनके पगानेका एक स्वरसे विरोध करे और सरकार उसे बनाना ही चाहे, तो भारत सरकार अपने अधिकारोका उपयोग कर वह कानून बना सके। प्रादेशिक शासक वा शासकमण्डल निर्धारित संख्यासे अधिक सदस्य नहीं मनोनीत कर सकते थे।

व्यवस्थापिका सभाओके सभासदोंकी जो संख्या और वर्णन ऊपर दिया गया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सभासदोमें मुख्य दो भेद हैं, एक, एक्सेक्यूटिवो अर्थात् पदके कारण और दूसरा, पेडिशिनल वा अतिरिक्त। शासनकारिणी सभाओके साधारण सदस्य अपने पदोके कारण व्यवस्थापिका सभाके सदस्य होते थे। प्रधान सेनापति और दिल्लीके चीफ कमिश्नर वा पञ्जाबके लेफ्टिनेण्ट गवर्नर भी अपने पदोके कारण सदस्य होते हैं। इनके सिवा

जितने सदस्य हैं, सभी एडिशनल या अतिरिक्त कहाते हैं । इन एडिशनल मेम्बरोंके भी दो भेद हैं, एक निर्वाचित (इलेक्टेड) और दूसरा मनोनीत (नामिनेटेड) । नामिनेटेड मेम्बरके लिये किसी प्रकारकी योग्यताकी आवश्यकता नहीं होती । सरकार चाहे जिने नामिनेट कर सकती हैं, पर पागल, नागालिग और स्त्रिया मेम्बर मनोनीत नहीं होतीं । मनोनीत सदस्यके लिये अङ्गरेजो जानने वा ब्रिटिश प्रजा होनेकी भी आवश्यकता नहीं है । पर इलेक्टेड वा निर्वाचित मेम्बरके लिये विधिनियम हैं । जो मनुष्य (अ) ब्रिटिश प्रजाजन न होगा, (आ) अफसर होगा, (इ) खी होगा, (ई) अदालतसे बर्हास ठहराया गया होगा, (उ) २५ वर्षसे कम उम्रका होगा, (ऊ) सर्टिफिकेट पाया हुआ वा पारिज दियालिया न होगा (ऋ) सरकारी नौकरीसे बर्खास्त हुआ होगा, (त्र) किसी फौजदारी अदालतसे ऐसे अपराधके लिये दण्डित हुआ होगा, जिन्मे ६ महीनेसे अधिककी जेल या काले पानीकी सजा हो सकती हो या फौजदारी कानूनके अनुसार जिससे नेकचलनीकी जमानत मागी गयी हो और यह सजा या हुकम रद्द न हुआ हो या दोषाको क्षमा न मिली हो, (ल) किसी उपयुक्त अधिकारीकी आज्ञासे बकालत करनेसे रोक दिया गया हो, या (ए) जिनका निर्वाचन भारत सरकारकी दृष्टिमें लोकापकारक हो वह सदस्य नहीं निर्वाचित नहीं हो सकता । (ऋ) (त्र), (ल) और (ए) में वर्णित दोष भारत सरकारकी आज्ञासे दूर हो सकते हैं ।

व्यवस्थापिका समाजोंके लिये सदस्य मनोनीत कर
 अधिकार सरकारको और निर्वा
 मताधिकार । करनेका प्रजाको है । पर जिस प्र
 सब प्रकारके लोग सभासद नहीं
 सकते, उसी प्रकार सभी निर्वाचक भी नहीं हो सकते । सि
 नावालिगों, बद्धवालों, दिवालियों और दण्डितोंको निर्वाच
 समय किसीको वोट वा मत देनेका अधिकार नहीं है । स
 मनुष्योंहीको मताधिकार प्राप्त है । सम्पत्तियोंकी दो श्रेणियाँ
 हैं, (१) प्रत्यक्ष सम्पत्ति अर्थात् जमीन्दार जो सरकारको म
 गुजारी देते हैं, और (२) अप्रत्यक्ष सम्पत्ति अर्थात् स्था
 संस्थाओंके मेम्बर । स्थानिक संस्थाओंकी मेम्बरी बिना टै
 दिये नहीं मिल सकती, इसलिये इनके मेम्बर भी सम्
 सम्भवे जाते हैं । मुसलमानोंके लिये साम्प्रतिक योग्यता
 खान कम किया गया है । सरकारसे पेंशन पानेवाले त
 पीढी दर पीढीके पदवीधर अथवा सरकारसे पदवी प
 हुए लोगोंको भी मताधिकार प्राप्त है । परन्तु किसीको
 स्थानके लिये एकसे अधिक वोट वा मत देनेका अधिकार
 नहीं है । जिन संस्थाओं द्वारा व्यवस्थापिका सभाके सद
 निर्वाचित होते हैं, वे इलेक्टोरेट्स (निर्वाचनी संस्थाएँ) क
 लाती हैं । ये संस्थाएँ तीन प्रकारकी हैं, एक जन
 इलेक्टोरेट, दूसरी क्लास इलेक्टोरेट और तीसरी स्पेशल इ

निर्वाचक होते हैं। बड़ी व्यवस्थापिका सभाकी जेनरल इलेक्टरेटमें प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाओंके गैरसरकारी मेम्बर ही होते थे और प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाओंकी जेनरल इलेक्टरेट म्यूनिसिपैलिटिया और जिला बोर्ड हैं। क्वास इलेक्टरेट दो प्रकारकी हैं, एक जमीन्दारों, ताल्लुकेदारों, जागीरदारों और सरदारोंकी और दूसरी मुसलमानोंकी। स्पेशल इलेक्टरेटोंमें त्रिभुविद्यालय, व्यापारी और वणिक् समाज, प्लैण्टर और खानवाले हैं।

नाधारण निर्वाचिनी स स्थामें वोट देनेका अधिकार जिन लोगोंको होता है, उनकी एक सूची जेनरल एलेक्टरेट । रहती है, जो "इलेक्टरेल रोल" वा निर्वाचकोंकी नामावली कहाती है। प्रति वर्ष जुलाईमें निर्वाचकोंकी कच्ची नामावली प्रकाशित होती थी। इसपर जिसे जो आपत्ति करना होती थी, वह अपनी आपत्ति करता था और कलेक्टर उसके औचित्य या अनौचित्य का निर्णय करके १ ली अक्टूबरको अन्तिम नामावली प्रकाशित करता था। इस प्रकार प्रत्येक निर्वाचनके समय वे ही लोग मत दे सकते थे, जिनके नाम इलेक्टरेल रोलमें होते थे। मद्रासकी जेनरल इलेक्टरेटमें वे ही इलेक्टरेल वा निर्वाचक हो सकते थे, जो (१) नामावली प्रकाशित होनेके पहले ३० जूनको उस स्थानके अन्तर्गत म्यूनिसिपल काँसिल, जिला या ताल्लुक बोर्डोंके गैरसरकारी मेम्बर हों, जिसके लिये मेम्बर

निर्वाचित होता था, या (२) उस तारीखको समाप्त होनेवाले दस वर्षमें कमसे कम तीन वर्ष म्यूनिसिपल कौन्सिल, जिला या ताल्लुक बोर्डके मेम्बर रहे थे, या (३) पदवीधर थे अथवा सरकारसे रावसाहयसे बड़ी कोई पदवी पाये हुए थे । मद्रासके इन जिलोकी म्यूनिसिपैलिटियों, जिला और ताल्लुक बोर्डोंको तथा अन्य निर्वाचकोंको सदस्यनिर्वाचनका अधिकार था, (१) गञ्जाम और विजगापट्टम (२) गोदावरी कृष्णा और गण्डूर (३) नीलोर, कडप्पा और चिचूड (४) कर्नूल, बेलारी और अनन्तपुर (५) चिङ्गलपट और साउथ अर्कट (६) सेलम, कायमवटूर और नीलगिरी (७) दक्षिण कानडा और मलवार (अंजेजों और टनासरी समेत) (८) तञ्जोर और द्विचनापली (९) मदुरा, रामनद और टिनेवली । बम्बईमें डेलिगेटों या प्रतिनिधियों द्वारा मेम्बरोंका चुनाव होता था । जिस म्यूनिसिपैलिटीमें ५ से १० हजार मनुष्योंकी वस्ती होती थी, उससे एक डेलिगेट चुना जाता था । १० से २० हजार तककी वस्तीवाली म्यूनिसिपैलिटीसे दो डेलीगेट और इससे ऊपर प्रति १० हजार या इसके अशक्ये लिये एक डेलीगेटका चुनाव होता था । जिला बोर्डोंके डेलिगेट जिलेकी वस्तीके अनुसार चुने जाते थे । एक लाखकी वस्तीवाला बोर्ड एक और दो लाखवाला दो डेलीगेट चुनता था, पर दो लाखसे ऊपर फी लाख या उसके अशक्ये लिये एक डेलिगेट चुना जाता था । ये डेलीगेट इकट्ठे

होकर अपने अपने डिवीजनके लिये सदस्य निर्वाचित करते थे। यद्वात्में आमदनीपर स्थानिक संस्थाओंको घोट देनेका अधिकार दिया गया था। ५ हजारसे १० हजारकी आमदनीवाली म्यूनिसिपैलिटी एक, १० हजारसे २० हजारवाली दो, २० हजारसे ५० हजारवाली तीन और ५० हजारसे ८० हजारकी आमदनीवाली म्यूनिसिपैलिटी चार घोट दे सकती थी। इससे ऊपर प्रति ३० हजार या उसके अंशके लिये एक घोट था। कौन म्यूनिसिपैलिटी कितने घोट दे सकती है इसकी सूचना समय समयपर सरकारी प्रादेशिक गजेटमें निकलती थी। निर्वाचनके समय वे ही कमिशनर घोट दे सकते थे, जिन्हें घोट देनेका अधिकार था और जो सरकारी कर्मचारी नहीं थे। डिस्ट्रिक्ट और लोकल बोर्डों के घोटोंकी व्यवस्था इस प्रकार थी कि पिछले सालकी रोकडवाकी ओर ऋण लिया हुआ धन छोडकर ७½ हजार वार्षिक आयवाले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक घोट और ७½ हजारसे अधिक तथा १। लाखसे कमवाले २ घोट दे सकते हैं। इससे ऊपर हर ५० हजार या १। लाखतक ५० हजारके अंशके लिये १ घोट निर्धारित था। हर जिलेके डिस्ट्रिक्ट और लोकल बोर्डोंको मिलकर कितने घोट देनेका अधिकार है यह समय समयपर प्रादेशिक सरकार गजेटमें प्रकाशित करती थी। निर्वाचनके समय हर जिलेके डिस्ट्रिक्ट और लोकल बोर्डों के मेंबर घोट देते थे जिन्हें अधिकार था और जो सरकारी कर्मचारी नहीं

थे । जिस डिवीजनके लिये जितने मेम्बर निर्वाचित होते थे, उतमेसे अधिक वोट म्यूनिसिपैलिटीका कोई कमिश्नर या बोर्डका मेम्बर नहीं दे सकता । प्रत्येक निर्वाचनमें प्रेसिडेंसी बर्दवान, ढाका और राजशाही डिवीजनोंके म्यूनिसिपल कमिश्नर एक एक मेम्बर निर्वाचित करते थे । एक निर्वाचनका अन्तर देकर प्रति तीसरे निर्वाचनमें चटगाव डिवीजनसे एक मेम्बर निर्वाचित होता था तथा प्रेसिडेंसी और बर्दवान डिवीजनकी म्यूनिसिपैलिटिया भी एक मेम्बर निर्वाचित करती थीं । इस प्रकार प्रति निर्वाचनमें बङ्गालकी म्यूनिसिपैलिटियोंकी ओरसे ६ या ५ मेम्बर निर्वाचित होते थे । हर डिवीजनके डिस्ट्रिक्ट और लोकल बोर्ड एक एक मेम्बर निर्वाचित करते थे ।

युक्तप्रदेशमें बड़ी म्यूनिसिपैलिटियों और छोटी न्यूनिसिपैलिटियों तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों द्वारा १३ मेम्बर निर्वाचित होते थे । बड़ी म्यूनिसिपैलिटियोंके दो विभाग किये गये थे । एकमें मेरठ, आगरा, प्रयाग और लखनऊकी तथा दूसरेमें बरेली, कानपुर, बनारस और फैजाबादकी म्यूनिसिपैलिटिया थीं । एक निर्वाचनमें पहली चार म्यूनिसिपैलिटिया चार मेम्बर निर्वाचित करती थी और दूसरेमें दूसरी चार । इसी प्रकार इन्हें वारी वारीसे मेम्बर निर्वाचित करनेका अधिकार था । बाकी ६ मेम्बरोंकी मेरठ, आगरा, रहेलखण्ड, भासी, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, लखनऊ और फैजाबाद डिवीजनों-

की म्यूनिसिपैलिटिया और जिला बोर्ड निर्वाचित करते थे । इसकी रीति यह थी कि डिवीजनके सर जिला बोर्ड और जिलोंके सदस्यों या ऐसे स्थानोंके म्यूनिसिपल बोर्डों के डेलीगेट मैन्यर निर्वाचित करते थे, जहां पिछली मनुष्यगणनाके अनुसार २०,००० मनुष्य बसते थे अथवा जिनका नाम १६ जुलाई १८६६ के लेफ्टनेट गवर्नरके नोटिफिकेशनमें था । बड़ी म्यूनिसिपैलिटियोंद्वारा निर्वाचनके नियमोंके अनुसार जिल म्यूनिसिपल बोर्डका प्रतिनिधि व्यवस्थापिका सभामें होता था अथवा जिसे मैन्यर चुननेका अधिकार होता था, वह इन नियमके अनुसार मैन्यर न निर्वाचित कर सकता था । ५ लाखसे कमकी बस्तीवाले जिले दो, ५ से ७॥ लाखतककी बस्तीवाले तीन, ७॥ से १० लाखतक चार, १० से १२॥ लाखतक पांच, १२॥से १५ लाखतक छ और १५ लाखसे अधिककी बस्तीवाले जिलोंको ७ डेलीगेट चुननेका अधिकार था । इसी प्रकार २० हजारकी बस्तीवाले शहर एक, २० और ५० हजारके बीचकी बस्तीवाले दो, ५० हजार हजारसे एक लाखतककी बस्तीवाले तीन और इससे अधिककी बस्तीवाले ४ डेलीगेट चुन सकते थे । विहारमें निर्वाचनके नियम बङ्गालके समान ही थे । हर डिवीजनके म्यूनिसिपल कमिशनरोंद्वारा एक मैन्यर और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों द्वारा एक मैन्यर इस प्रकार ५ डिवीजनोंमें १० मैन्यर निर्वाचित होते थे । पञ्जाबमें सिस-सतलज, सेन्ट्रल (मध्य) और वेस्टर्न (पश्चिमी) जिलोंकी म्यूनिसिपल

और कौन्सिलमे एट कमिश्नरिया तीन तथा, जिला बोर्ड तीन मेंबर निर्वाचित करते थे। थालामकी म्यूनिसिपैलिटिया और लोकल बोर्ड ४ मेंबर निर्वाचित करते थे। १० हजारसे कम की वार्षिक आयवाली म्यूनिसिपैलिटी एक, १० हजारसे अधिक और २० हजारसे कमकी आयवाली दो, २० हजारसे अधिक और ५० हजारसे कमकी आयवाली तीन, ५० हजारसे अधिक और ८० हजारसे कमकी आयवाली म्यूनिसिपैलिटी ४ चोट दे सकती थी। इससे ऊपर हर ३० हजार या इसके अशके लिये एक चोट नियत था। इसी प्रकार १,००,०००) की वार्षिक आयवाले लोकल बोर्डको एक चोट देनेका अधिकार था। इससे ऊपर हर १,००,००० या इसके हिस्सेके लिये एक चोट निर्धारित था। इस आयमें पिछले वर्षकी रोकडवाकी, और ऋणसे प्राप्त धन नहीं माना जाता था।

श्रेणी या समाजविशेषकी ओरसे कौन्सिलके लिये सदस्य निर्वाचन करनेका अधिकार जिन जमीन्दार सभ्याओंको था, वे क्लास इलेक्टरेट इलेक्टरेट । कहाती थीं। जमीन्दारों और मुसलमानोंको अपने अपने प्रतिनिधि, निर्वाचन करनेका स्वतन्त्र अधिकार था। बड़ी व्यवस्थापिका सभाके लिये मद्रासके वेही जमीन्दार अपना प्रतिनिधि निर्वाचित कर सकते थे, जिनकी वार्षिक आय १५ हजारसे कम नहीं थी अथवा जिन्हें सरकारसे

कमसे कम १५ हजार चार्जिकका मालिकाना मिलता था।
 वयस्वतके वे ही भूम्यधिकारी सदस्य निर्वाचित कर सकते थे,
 जो यातो सिन्धके जागीरदार या जमीन्दार हें या गुजरात
 अथवा महाराष्ट्रके सरदार हें। बङ्गालमें प्रेसिडेन्सी और
 बर्दवान डिप्टीजनोंके १० हजार सालाना मालगुजारी या ५
 हजार सालाना रोड और पब्लिक वर्क्स सेस देनेवाले जमी-
 नदार सदस्य निर्वाचित कर सकते थे। राजशाही, ढाके
 और चटगावके जमीन्दारोंकी मालगुजारी और सेस इसका
 आधा होना चाहिये। नवाब या राजाकी उपाधि पाये हुए
 लोगोंको भी बोट देनेका अधिकार था। युक्त प्रदेशके अवध
 भागमें लखनऊ ब्रिटिश रेजिड्यन् एक्सेक्यूटिवको और आगरा
 भागमें १० हजार सालाना मालगुजारी देनेवाले या इतनी
 माफ़ी पानेवाले जमीन्दारोंको बोट देनेका अधिकार था जिनकी
 जमीनकी मालगुजारी अनुमानसे १० हजार चार्जिकसे कम
 न हो। महाराज, राजा या नाना उपाधिकारी भी बोट दे
 सकते थे। जिनकी परम्परागत राजवर, रायबहादुर, राय
 बहादुर, राय, मिर्जा, चौधरी या दीवान उपाधिया सरकारने
 स्वीकार की हैं, उन्हें भी बोट देनेका अधिकार था। बिहारके
 उन्हीं जमीन्दारोंको निर्वाचनके समय बोट देनेका अधिकार
 था, जो कमसे कम १० हजार सालाना मालगुजारी या
 २,५००) रोड और पब्लिक वर्क्स सेस देते थे। मध्यप्रदेशके
 ये ही जमीन्दार बोट दे सकते थे, जिनका जमीनपर माल-

गुजारी ५ हजार लगायी गयी हो । दरवारी और आनरेरी मैजिस्ट्रेट भी वोट दे सकते थे ।

मद्रासमें रैयतवारी बन्दोबस्त होनेके कारण जमीन्दारोंके सिवा और लोगोंके पास भी जमीन है, पर वे जमीन्दार नहीं कहाते । इससे दोनोको प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाके लिये सदस्य निर्वाचन करनेके अधिकार दिये गये थे । मद्रास प्रेसिडेंसीके अन्तर्गत भूमिसे जिस जमीन्दारकी आय ३ हजार हो या जिसे सरकारसे ३ हजार साल मालिकाना मिलता था, वही इस निर्वाचनमें वोट दे सकता था । जिस स्थानकी ओरसे भूम्यधिकारियोंका प्रतिनिधि चुना जाता था, उसमें जिस भूम्यधिकारीकी एक हजार वार्षिक आयवाली भूमि थी, वही निर्वाचनके समय वोट दे सकता था । बम्बई सरकारने महाराष्ट्र और गुजरातके उन सरदारोंकी सूचियां यार कर रखी थी, जिन्हे प्रादेशिक सभाके लिये जमीन्दारोंके निर्वाचनके समय वोट देनेका अधिकार था । सिन्धके अब्बल ओर दोयम दर्जेके जागीरदारों और हजार रुपये साल माल-गुजारी देनेवाले जमीन्दारोंको वोट देनेका अधिकार था । बङ्गालकी व्यवस्थापिका सभाके लिये सदस्य निर्वाचनके समय वे ही जमीन्दार वोट दे सकते थे, जो प्रेसिडेंसी और वर्दवान डिवीजनोंमें वार्षिक ६ हजार मालगुजारी या १,०००) रोड और पब्लिक वर्क्स सेस या (२) राजशाही, टाका और चटगात्र डिवीजनोंमें ३ हजार मालगुजारी या ७५०)

रोड और पब्लिक वर्क्स सेस देते थे । राजा या नवाब उपाधिकारी भी वोट दे सकते थे । युक्तप्रदेशके आगरा भागमें ५ हजार साल मालगुजारी देनेवाले जमीन्दार या ऐसे माफीदार निर्वाचक हो सकते थे, जिनकी माफीपर ५ हजार साल मालगुजारी लग सकती थी । नवाब, राजा महाराजा उपाधि पाये या सरकारद्वारा स्वीकृत परम्परागत राजवर, रावबहादुर, रायबहादुर, मिर्जा, सा बहादुर, चौधरी या दीवान उपाधिकारी व्यक्ति भी वोट दे सकते थे । अग्रधमें लखनऊकी ब्रिटिश इण्डियन एसोशियेशन अपने असाधारण अधिवेशनमें सदस्य निर्वाचित करती थी । बिहारमें पटना तिरहुत और भागलपुर डिवीजनोंके ४ हजार मालगुजारी या एक हजार सेस और उडीसा छोटानागपुर डिवीजनोंके ३ हजार मालगुजारी या ५००) सेस देनेवाले जमीन्दार या राजा अथवा नवाब निर्वाचक हो सकते थे । आसाममें किसी डिवीजनमें यदि कोई जमीन्दार ५००) मालगुजारी या १२५) सेस देता था तो वह निर्वाचक हो सकता था ।

बम्बई, बङ्गाल, मद्रास, बिहार उडीसा और युक्तप्रदेश इन मुसलमान पांचो प्रदेशोंके मुसलमानोंको बड़ी व्यवस्थापिका सभामें मेंबर भेजनेका इलेक्टरेट । अधिकार था । पर बम्बई प्रदेशमें केवल

प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाके मुसलमान सदस्य ही इसे निर्वाचित कर सकते थे । बङ्गालमें व्यवस्थापिका सभाके

जमीन या मुकररी पट्टेकी (१२५) मालगुजारी या ३१।) सेस तथा राजशाही, ढाका और चटगांव डिवीजनोमें १००) मालगुजारी या ५०) सेस अथवा पहले दोनो डिवीजनोमें ३ हजार या पिछले तीनो डिवीजनोमें १ हजारपर इनकम टैक्स देते थे या ५०) पेनशन पाते थे वे भी निर्वाचक हो सकते थे। वक्फ की हुई जायदादके मुतवाली भी यदि ऊपर लिखी मालगुजारी या सेस देते थे तो निर्वाचक हो सकते थे। बिहारके नियम भी प्रायः ऐसे ही थे। पर उनमें मुसलमान वकील वैरिस्ट्रो, डाक्टरों और एंजिनियरोके मताधिकारका उल्लेख नहीं था। साथ ही वही विहारी मुसलमान निर्वाचनके समय मत दे सकता थे, जिसे त्रैजुएट हुए दस वर्ष हो चुके थे अथवा जो उड़ीसा या छोटा नागपुर डिवीजनोमें (१२५) मालगुजारी या ३१।) सेस या २०००) की आमदनीपर इनकम-टैक्स देता था। पटना, भागलपुर और तिहृत डिवीजनोके मुसलमानोंको इनसे दूनी मालगुजारी, सेस या इनकमटैक्स देना चाहिये। आसामके नियम बंगालके ढाका, राजशाही और चटगांव डिवीजनोकेसे ही थे, पर इनमें वकील वैरिस्ट्रो, डाक्टरो, एंजिनियरो और शिक्षकोके निर्वाचनाधिकारका उल्लेख नहीं था। जो मुसलमान डिवीजनमें ५०) साल मालगुजारी देते थे या ग्वालपाडा जिलेमें जोतदार थे और २५०) साल लगान देते थे, या एक हजारकी आमदनीपर इनकम टैक्स देते थे या ५०) महीना पेनशन पाते थे, वे निर्वाचक हो सकते थे।

व्यवस्थापिका सभाकी मेंबरीके इच्छुक प्रायः प्रादेशिक सभाकी मेंबरीके उम्मेदवार नहीं होते थे, क्योंकि उनके लिये प्रादेशिक व्यवस्थापिकाके सदस्य होना आवश्यक नहीं था। पर कुछ लोग, जिन्हें बड़ी व्यवस्थापिका सभाके लिये अपने निर्वाचित होनेका सन्देह रहता था, पहले प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाके लिये उम्मेदवार होते थे और निर्वाचित हो चुकनेपर बड़ी व्यवस्थापिका सभाकी मेंबरीके लिये खड़े होते थे। इस निर्वाचनमें यदि वे सफल होते थे, तो प्रादेशिक सभामें उनका स्थान रिक्त हो जाता था और इसके लिये फिर निर्वाचन होता था।

निर्वाचनकी विधि यह थी कि पहले गवर्नर जनरल या गवर्नर नोटिफिकेशन निकालकर इलेक्टरेटों या निर्वाचिनी सभाओंसे कहते थे कि अमुक तारीखतक रेगुलेशनोंके अनुसार तुम मेंबर निर्वाचित करो। सब व्यवस्थापिका सभाओंका कार्यकाल प्रायः एक साथ ही समाप्त हो जानेके कारण देशमें निर्वाचनोंकी एक प्रकारकी धूमसी मच जाती थी। बड़ी व्यवस्थापिका सभाके जमोन्दार और मुसलमान मेंबरोंके निर्वाचकोंकी सूची प्रादेशिक सरकारें प्रकाशित करती थीं। इस प्रकार इलेक्ट्रल रोल तैयार रहते थे। पहले कमसे कम दो वोटर फार्मपर उम्मेदवारोंके नाम लिखकर उन्हें मनोनीत करते थे। एक स्थानके लिये एक या दोके लिये दो ही उम्मेदवार हुए तो तुरत कह दिया जाता था कि वे निर्वा-

बिन हो गये । पर यदि अधिक हुए तो घोटरोके वोट लिखनेके लिये तारीख पढ जाती थी और उस दिन सब घोट इकट्ठे होते थे । जहा घोट लिखे जाते थे वहा साक्षी स्वरूप एक अफसर रहता था जिसे पेटेस्टिग अफसर कहते थे । यह सब घोट इकट्ठे कर दूसरे अफसरको भेज देता था, जो रिटर्निंग अफसर कहलाता था । रिटर्निंग अफसरके सामने भी घोट दिये जा सकते थे । गजिस्ट्री किये हुए लिफाफेके अन्दर भी रिटर्निंग अफसरको घोट भेजा जाता था । पेटेस्टिग और रिटर्निंग अफसर जिलेके कलेक्टर और डिबीजनोके कमिशनर होते थे । जेजिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटके सेक्रेटरी भी यह काम करते थे । निर्वाचनका फल प्रकाशित होनेपर जो उम्मेदवार निर्वाचित न होता, वह सरकारसे इस बातकी शिकायत कर सकता था कि अमुकका वोट लिपना अथवा न लिखना या किसीको मनोनीत करना उचित या अनुचित हुआ है या निर्वाचनके लिये किसी उम्मेदवारने निर्वाचक या निर्वाचकोंको रिश्वत दी थी या धमकाया था या लालच दिया था । सरकार सब बातोंपर विचार करके निर्णय सुना देती थी । निर्वाचनके ऐसे मामलोंमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करते थे । निर्वाचन रह होनेपर दूसरा निर्वाचन होता था । गजेट आब इण्डियामें निर्वाचनका फल वा मनोनीत होनेकी सूचना प्रकाशित होनेपर मेम्बरका कार्य काल आरम्भ होता था ।

व्यवस्थापिका सभाके पहले अधिवेशनमें प्रत्येक तीनों सदस्योंको राजभक्तिकी शपथ करनी पड़ती थी । कौन्सिलके अधिवेशन दिनको ११ से ४ वजेतक होते थे । बड़ी

व्यवस्थापिका सभामें अध्यक्ष समेत सात सदस्योंके उपस्थित होनेपर कार्य आरम्भ होता था । पर कमसे कम १५ अतिरिक्त सदस्योंकी उपस्थिति बिना कोई कानून नहीं बनाया जा सकता था । यहा प्रधान सेनापति अध्यक्षकी दाहिनी ओर, लेफ्टेनेण्ट गवर्नर सामने और सबसे नया मेंबर बायी ओर बैठता था । कौन्सिलमें उपस्थित किसी विषयपर यदि कोई मेंबर कुछ कहना चाहे तो बैठेही बैठे कह सकता था । प्रस्तावकके वक्तव्यके बाद अध्यक्षकी बायी ओरके मेंबरसे प्रारम्भ कर क्रमशः सभी मेंबरोंको मत प्रकट करनेका अधिकार था । सत्रके बोल चुकनेपर प्रस्तावक उत्तर दे सकता था और कोई मेंबर चाहे तो, अध्यक्षकी अनुमतिसे अपना वक्तव्य समझा सकता था । पर यदि किसी बिलमें संशोधन करनेका प्रस्ताव होता था, तो प्रस्तावकके बाद बिल उपस्थित करनेवाला मेंबर बोल सकता था । वादानुवादके समय यदि किसी मेंबरको दूसरेसे कुछ पूछना हो तो वह अध्यक्षद्वारा ही पूछ सकता था । अङ्गरेजी न जाननेवालेकी ओरसे दृमग मेंबर बोल सकता था । प्रत्येक प्रस्तावका बहुमतसे निपटारा होता था । मतविभागके समय 'सेक्रेटरी' अध्यक्षकी बायी ओर

बैठे मॅम्बरोंसे प्रारम्भ कर क्रमसे घोट लेता था । घोट लिये जाने बाद फिर उस विषयपर विचार नहीं होता था । कोई मॅम्बर यदि फौंसिलमें कोई कागजपत्र उपस्थित कराना चाहता था तो अध्यक्ष उसी या उसीके बादके अधिवेशनमें बताते थे कि वे कागजपत्र दिये जा सकते हैं या नहीं । बिलोंके बारेमें किसी सस्था या व्यक्तिको पत्र वा प्रार्थनापत्रादि भेजना हो, तो कलकत्ता हाईकोर्टको छोड़ सबको प्रादेशिक सरकारद्वारा भेजना होता था । कौन्सिलका सेक्रेटरी इनकी नकल सब मॅम्बरोंको भेज देता था ।

कानूनका मसविदा बिल कहलाता है । सभी मॅम्बर

फौंसिलमें विचारार्थ बिल उपस्थित

बिल ।

कर सकते थे, पर उन्हें अपने बिलके

नाम तथा उसके उद्देश्योंकी सूचना

तीन दिन पहले सेक्रेटरीको देनी पडती थी । सेक्रेटरी उस

बिल और उसके कारणों तथा उद्देश्योंको छपाकर एक एक

प्रति सब मॅम्बरोंको भेज देते थे । आवश्यक होनेपर किसी

मॅम्बरके लिये इनका उत्था हिन्दुस्थानीमें भी किया जाता

था । बिल पेश हो चुकने बाद कौन्सिलके इच्छानुसार वह

प्रकाशित किया जाता था । जब कोई बिल पेश हो चुकता

था, तब पेश करनेवाला उसी समय या उसके बाद प्रस्ताव

करता था कि (अ) यह सिलेक्ट कमिटीमें विचारार्थ भेजा

जाय, या (आ) इसपर कौंसिल अभी या अमुक दिन विचार

करे, या (इ) मत जाननेके लिये यह प्रचारित किया जाय। जबतक सब मेम्बरोंको विल और उसके उद्देश्यों तथा कारणोंकी प्रति न मिलती, तबतक उक्त प्रस्ताव नहीं हो सकते थे और यदि हों, तो चाहे जो मेम्बर प्रस्तावपर यह कहकर आपत्ति कर सकता था कि सात दिन पहले विल आदिकी प्रति नहीं मिली और यदि अध्यक्ष कार्यक्रमके नियम शिथिल न कर देते तो यह आपत्ति ग्राह्य होती थी। जिस दिन ऐसा प्रस्ताव होता अथवा जिस दिनके लिये विलपर विचार स्थगित होता, उस दिन विलके सिद्धान्त और उसकी मुख्य मुख्य बातोंपर ही विचार होता था। उक्त कोई प्रस्ताव स्वीकृत होनेपर कारणों और उद्देश्यों समेत विल गजेट आघ इण्डिया तथा और गजेटोंमें प्रकाशित किया जाता था। गवर्नर-जेनरल यदि उचित समझते तो विना विल पेश हुए ही गजेटमें उसके प्रकाशनकी आज्ञा दे सकते थे। कौंसिलमें पेश होनेके बाद ऐसा विल फिर गजेटमें नहीं प्रकाशित किया जाता था।

किसी विलपर विचार करनेके लिये कुछ चुने हुए मेम्बरोंकी जो कमिटी बनायी जाती मिलेक्ट कमिटी। है, वह सिलेक्ट कमिटी कहाती है। इसमें व्यवस्था सदस्य और विलके उपस्थापकके सिवा प्रस्तावकके सूचनानुसार चार पांच मेम्बर रहते थे। इसका अध्यक्ष व्यवस्था सदस्य और उसकी अनु

पस्थितिमें विलका उपास्थापक होता था। दोनों ओर समान संख्यक मत होनेपर अध्यक्षको एक वोट और देनेका अधिकार होता था। कमिटी इस विषयमें सशोधन, परिवर्तन, परिमर्दन आदि करती थी। वह अपनी रिपोर्टमें यह भी लिखती थी कि विलमें ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिनसे उसके फिर प्रकाशित करनेकी आवश्यकता है या नहीं। यदि उसके मतसे आवश्यकता हुई तो सेक्रेटरी उसकी एक प्रति उस विभागके सेक्रेटरीको भेज देता था, जिससे विलका सम्बन्ध था। पुनर्प्रकाशनके विषय कारणोंका उल्लेख भी कमिटी करती थी। सिलेक्ट कमिटीकी रिपोर्ट छपाकर सेक्रेटरी सब मेम्बरोंको उसकी एक प्रति भेज देता था और यदि कमिटी या अध्यक्ष आज्ञा देती तो उसे सशोधित विल समेत गजेट आव इण्डियामें छपा देता था। आवश्यक होनेपर हिन्दुस्थानोंमें इसका उल्लेख भी करा देता था। विलका उपस्थापक सिलेक्ट कमिटीकी रिपोर्ट काँसिलमें पेश करता था और यथावकाश काँसिल उसपर विचार करती थी। इस अपसर पर सात दिन पहले रिपोर्टकी प्रति न पानेके कारण कोई मेम्बर आपत्ति कर सकता था।

काँसिलमें विलपर विचार होनेके समय कोई मेम्बर उसमें सशोधनका प्रस्ताव कर सकता था।

विलपर विचार। पर उसे तीन दिन पहले इसकी सूचना सेक्रेटरीको देनी पड़ती थी और वह सब मेम्बरोंको उसकी प्रति भेजता था। यदि सूचना

तीन दिन पहले न दी गयी हो तो कोई मेंबर आपत्ति कर सकता था। विलके अंशोपर क्रमसे ही विचार होता था। मेंबरोको यह प्रस्ताव करनेका अधिकार था कि सिलेक्ट कमिटी या कौंसिलने इसमें ऐसे परिवर्तन किये हैं जिससे इसका पुनर्प्रकाशन या पुनर्विचार होना चाहिये। यदि पुनर्विचार अथवा पुनर्प्रकाशन स्वीकृत होता, तो अध्यक्ष वैसी आह्वा दे देते थे। यदि कोई सशोधनात्मक प्रस्ताव न हुआ, तो विल उसी अधिवेशनमें पास हो जाता था, अन्यथा मेंबर आपत्ति कर सकता था कि उसी अधिवेशनमें न पास किया जाय। आपत्ति ग्राह्य होनेपर दूसरे अधिवेशनमें पास होता था। विल पास होनेके बाद उसकी एक प्रतिपर अध्यक्षके हस्ताक्षर होते थे और जब गवर्नर-जेनरल उसपर "स्वीकृत" लिखकर हस्ताक्षर कर देते थे, तो वह सरकारी गजेटोंमें गवर्नर जेनरलकी कौन्सिलके ऐक्ट स्वरूप सेक्रेटरीके हस्ताक्षरसे प्रकाशित होता था।

१८६२ के कौंसिल्स ऐक्टके अनुसार कम्प्रोलोर और आडि-
 भायिक विवरण टर जेनरल बजेट तैयार करके अर्थ-
 और प्रस्ताव। व्यवस्था सदस्यको भेजते थे। ये
 उसकी जाचकर व्ययके लिये आय वा
 बढ़तीकी रकम पर्व करनेके प्रस्तावोंमें कुछ सुधार करते
 थे। इसके बाद गवर्नर-जेनरलकी शासनकारिणी सभामें
 यह पास होता था। अनन्तर अर्थव्यवस्थासदस्य व्यवस्था-

पिका-सभामें आर्थिक विवरण सुनाते थे । एक सप्ताहके उपरान्त सदस्योंकी वक्तृताएं होती थीं, जिनमें शासनसम्यग्धी सभी विषयोंपर टीकाटिप्पणी रहती थी । अन्तमें अग्रदूतकी वक्तृता होकर बजेटकी बहस समाप्त होती थी और बजेटमें एक पार्सका भी हेरफेर नहीं होता था । मेम्बरोंकी वक्तृताओंका यदि कुछ फल होता था, तो अगले वर्षके बजेटमें कुछ सुधारभरके लिये । परन्तु १९०६ के कौन्सिल्स ऐक्टके अनुसार एक महीनेतक बजेटका भ्रमेला रहने लगा । पहले गवर्नर जेनरलके निर्धारित दिन (बहुधा १ ली मार्च अथवा रवि वार होनेपर २ री मार्चको) अर्थव्यवस्था सदस्य आयव्ययका विवरण कौन्सिलमें उपस्थित करते और उसे समझानेके लिये व्याख्यान देने लगे । यह विवरण और व्याख्यान दोनों छपे रहते हैं और इनकी एक एक प्रति हर मेम्बरको दी जाती है । विवरणमें अगले वर्षके आयव्ययका आरम्भिक अनुमान रहता है । इसे हम कच्चा बजेट कह सकते हैं । इस दिन और कोई काररवाई नहीं होती, केवल इस विवरण पर विचार करनेके लिये एक दिन नियत होता था । इस दिन पहले तो अर्थव्यवस्थासदस्य विवरणके अङ्गोंमें कुछ परिवर्तनकी सूचना देते थे, बाद में मेम्बर टैक्समें परिवर्तन, नये ऋण या प्रादेशिक सरकारको आर्थिक सहायता आदि देनेके विषयमें प्रस्ताव उपस्थित करते थे, जो उनकी सूचना पहलेसे दे रखते थे । कौन्सिलमें इनपर विचार हो चुकनेके

बाद दूसरी अवस्था प्रारम्भ होती थी । इन समय एक एक मह-
 पर विचार होता था । पहले उस महसे सम्बन्ध रखनेवाला
 मेम्बर उसे पेश करना था और कुछ ऐसी बातें बताता जो
 विवरणमें नहीं होतीं, बाद मेम्बर उसके विषयमें प्रस्ताव
 करते थे । यह प्रस्ताव सिफारिशके तौरपर हो और इसमें
 तर्क वितर्क, अनुमान, व्यङ्ग तथा अपमानजनक बातें न हों
 चाहिये और पूरे दो दिन पहले सेक्रेटरीको इसकी सूचना
 और प्रति मिलनी चाहिये । अध्यक्ष कोई प्रस्ताव वा उसका
 अंश उपस्थित करनेसे यह कहकर मेम्बरको रोक सकते थे
 कि इससे सार्वजनिक अहित हो सकता है अथवा इसे
 प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभामें उपस्थित करना चाहिये ।
 जिन प्रस्तावोंके उपस्थित करनेकी आज्ञा मिलती थी, वे ही
 कौन्सिलके कार्यक्रममें लिये जाते थे । प्रस्तावक और
 प्रस्तावकी महसे सम्बन्ध रखनेवाला मेम्बर दोनो ३०।३०
 मिनिट बोल सकते थे, पर अन्य सदस्य १५ मिनिटसे अधिक
 किसी विषयपर नहीं बोल सकते । यदि कोई मेम्बर किसी
 प्रस्तावपर वोट लिये जानेका प्रस्ताव न करता, तो प्रस्तावक
 उसे वापस भी ले सकता था । अध्यक्ष यदि समझते कि किसी
 विषयपर अच्छी तरह वादानुवाद हो चुका है, तो वे प्रस्ता-
 वकसे उत्तर देने और उस महके मेम्बरसे अपना वक्तव्य
 सुनानेको कह सकते थे । यदि किसी प्रस्तावमें कई भाग हों
 तो अध्यक्ष अलग अलग कर उनपर मत ले सकते थे । हा-

था नहीं शब्दोंसे वा कौन्सिलको विभक्त करके घोट लिये जाते थे । विभक्त करके घोट लेनेकी पद्धति अध्यक्ष फिर करते थे । जिस प्रस्तावके लिये जितना समय अध्यक्ष निर्दिष्ट कर देते थे, उसमें यदि उसपर वोट न लिया गया, तो वह वापस लिया गया समझा जाता था । जिस विषयपर कौन्सिलमें विचार हो चुका था जिस प्रस्तावको उरखित करनेकी अनुमति नहीं मिली या जो वापस ले लिया गया, उसपर एक वर्षके अन्दर फिर विचार नहीं हो सकता था । स्वीकृत प्रस्ताव सिफारिशके तीरपर समझे जाते थे और सरकार उनसे राध्य नहीं होती थी ।

२४ मार्चके पहले प्रति वर्ष अर्थव्यवस्था सदस्य कौंसिलमें बजेट (पक्का बजेट) उपस्थित करते हैं ।

बजेट ।

राज्यके भाय व्ययके जो हिसाब, अनुमान और प्रस्ताव ग्रासकामएडल

व्यवस्थापकोंकी स्वीकृतिके लिये व्यवस्थापिका सभामें उपस्थित करता है, वह बजेट कहाता है । इसके उपस्थित करनेका यह उद्देश्य है कि व्यवस्थापिका सभाको निश्चय रहे कि साधधानी और द्रिदश्रयितासे काम लिया जाता है । इस समय अर्थव्यवस्था सदस्य बताते थे कि आय व्ययके विचरण और बजेटके अङ्गोंमें कहा क्या अन्तर है और और फौन प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकृत किया गया । बजेटकी एक कृपी प्रति प्रत्येक मेम्बरको दी जाती थी । इसके बाद अध्यक्ष

बजेटपर विचार प्रकट करनेके लिये एक दिन नियत करती थी । पर इस दिन कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता था और न बजेट पास करनेके लिये सदस्योंके मत ही लिये जाते थे । अध्यक्षको मेम्बरोंकी स्पीचोंके लिये समय निर्धारित करनेका भी अधिकार था । वाद अर्थव्यवस्था सदस्य मेम्बरोंकी बातोंका उत्तर देते थे, और अन्तको अध्यक्षका व्याख्यान होता था । किसी विषयपर बोलनेके समय प्रत्येक मेम्बरका पढ़े होना और अध्यक्षके खड़े होते ही बैठ जाना कर्तव्य था । अध्यक्षको सम्योधन करके ही बोलनेका नियम था । नियमका उल्लङ्घन होता हो तो चाहे जो मेम्बर उस ओर अध्यक्षका ध्यान आकृष्ट कर सकता था । आय न्ययके विवरण वा बजेटवाले दिनके लिये अध्यक्ष अपने या उपाध्यक्षके बदले किसी मेम्बरको अध्यक्ष नियुक्त कर सकते थे । यही बजेटकी बहस थी ।

भारतकी कोई व्यवस्थापिका सभा पार्लमेंटकी भाँसा पाबे प्रिना ऐसा कानून नहीं बना सकती थी विचारणीय विषय । जिससे (अ) १८६१ के बाद पार्लमेंटका बनाया हुआ कोई कानून फटता हो (आ) भारतसचिव और उनकी काँसिलको भारतके शासनके विषयमें पार्लमेंटका दिया ऋण लेनेका अधिकार छिनना हो, (इ) पार्लमेंटका प्रभुत्व या इङ्ग्लैण्ड भादि संयुक्त राज्योंका कोई ऐसा अलिखित नियम फटता हो जिसपर किसी अंशमें भी किसी

व्यक्तिकी राजनिष्ठा अपलम्बित हो भयवा जिससे ब्रिटिश भारत वा इसके किसी भशपर महाराजके राजत्वमें यात्रा पडती हो । भारतसचिव और उनकी काँसिलकी अनुमति लिये बिना भारतसरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे हाईकोर्टके सिवा कोई और न्यायालय यूरोपमें जन्मे हुए किसी ब्रिटिश प्रजाजन या उसके वंशजोका विचार कर सके वा कोई हाईकोर्ट उठ सके।

उल्लिखित विषयोंके सिवा बड़ी व्यवस्थापिका सभामें किसी विदेशी राज्य या देशी राज्यसे ब्रिटिश सरकार या भारत सरकारके सम्बन्ध भयवा किसी न्यायालयके विचारार्थीन विषयपर विचार न हो सकता था । बजेटकी बहसके समय बड़ी व्यवस्थापिका सभामें किन विषयोंपर विचार हो सकता था और किनपर नहीं यह इस अध्यायके अन्तमें दिये कोट्टरसे जाना जायगा ।

बजेटके सिवा शासन सम्बन्धीमें अन्य विषयोंके प्रस्ताव करनेका भी मेम्बरोंको अधिकार था । काँन्सिलका सभ कार्य समाप्त हो चुकने पर प्रस्ताव उपस्थित किये जाते थे ।

अन्य विषयोंके प्रस्ताव ।
पूरे १५ दिन पहले इस प्रस्तावकी सूचना और प्रति सेक्रेटरीको भेज देनी पडती थी, पर अध्यक्षकी आज्ञासे यह समय घट बढ़ सकता था । सेक्रेटरी अध्यक्षको प्रस्ताव दिखाते थे । इसके बाद अध्यक्ष निश्चय करते थे कि प्रस्ताव करनेकी अनुमति दी

जाय या नहीं । यदि अनुमति देनेकी ठहरी तो कार्यक्रम प्रस्ताव लिख लिया गया और यदि वह नियमानुसार न हुआ तो सुधारनेके लिये प्रस्तावकको भेज दिया जाता था । यदि यथासमय सुधारकर न आ गया तो समझ लिया जाता था । प्रस्तावकने उसे वापस ले लिया है । कमसे कम तीन दिनों पहले सेक्रेटरीको सूचना देकर कोई मेम्बर मूल प्रस्तावक संशोधक प्रस्ताव उपस्थित कर सकता था । पर इसका मूल प्रस्तावको रद्द करना न होना चाहिये । यदि समय मिला तो सेक्रेटरी संशोधक प्रस्तावको छुपाकर सब मेम्बरोंको भेज देता था । किसी प्रस्तावके नियमोंमें एक वा अधिका संशोधक प्रस्ताव किये जाते थे, तो मूल प्रस्ताव और संशोधक प्रस्तावोंको पढ़कर अध्यक्ष चाहे मूल प्रस्ताव या किसी संशोधक प्रस्तावपर वोट लेते थे । बड़ी व्यवस्थापिका सभामें उन सब विषयोंके प्रस्ताव हो सकते थे, जिनका प्रादेशिक सरकारोंसे सम्बन्ध नहीं था अथवा जिनके विचारका निषेध नहीं था ।

व्यवस्थापिका सभाओंका कार्य आरम्भ होनेपर पहले प्रश्नोंके उत्तर ही दिये जाते हैं । शासन कौंसिलमें प्रश्न । सम्बन्धीय कोई बात जाननेके लिये सरकारसे प्रश्न किया जा सकता है । पर प्रश्न बहुत बड़ा न होना चाहिये तथा काल्पनिक बातका उत्तर चाहनेके लिये प्रश्न न होना चाहिये । प्रस्तावमें जिन बातोंका निषेध है, वे प्रश्नमें भी न होनी चाहिये । प्रश्नकर्ता-

को १० दिन पहले अपने प्रश्नकी प्रति समेत सेक्रेटरीको सूचना देनी चाहिये । अध्यक्षकी इच्छासे यह समय घट बढ़ सकता था । प्रश्न भी नियमानुसार न होनेसे सुधारनेके लिये प्रश्नकर्ताके पास भेजा जाता था और सुधारकर समयपर न आनेसे समझ लिया जाता था कि वापस कर लिया गया । पर किसी प्रश्नके वापस लिये जानेपर यदि अध्यक्षकी समझसे उसका उत्तर देनेमें सार्वजनिक हित समझा जाता था, तो उत्तर दिया जाता था । सार्वजनिक हितपर दृष्टि रखकर अध्यक्ष किसी प्रश्न या उसके अंशको पूछनेकी अनुमति नहीं भी दे सकते थे । अपने प्रश्नके उत्तरको पूर्ण करानेके लिये बिना सूचना दिये ही पूरक प्रश्न अथवा प्रश्नपर प्रश्न किये जा सकते थे । पर उत्तरदाताको अधिकार था कि वह इसके लिये, पूर्व सूचना चाहे । ऐसी अवस्थामें दूसरे अधिवेशनमें स्वतन्त्र प्रश्नकी भाँति यह पूछा जा सकता था । प्रश्न वा उसके उत्तरके विषयमें किसी प्रकारका वादविवाद न होता था ।

भारत सरकारके लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट वा व्यवस्थापक सेक्रेटरीके कर्तव्य विभागका सेक्रेटरी ही कौंसिलका और अध्यक्षके सेक्रेटरी होता था । जिन कार्यों का अधिकार । उल्लेख ऊपर हो चुका है, उनके सिवा

सेक्रेटरीके निम्नलिखित कर्तव्य थे, —

(१) सब मेम्बरोंको कमसे कम दो दिन पहले कौंसिलके अधिवेशनमें होनेवाले कार्यों की सूची भेजना ।

(२) कौन्सिलका कार्यविवरण लिखनेके लिये पुस्तक रखना और अधिवेशनके उपगत उसे अध्यक्षसे स्वीकार करा उनके हस्ताक्षर कराना ।

(३) अधिवेशनके कार्यविवरण तथा मेम्बरोंके चक्रव्यकी रिपोर्ट तैयार करके गजेट आव इण्डियामें छपाना तथा उसकी एक प्रति स्थायी सहाकारी भारतसचिव और कौन्सिलके सब मेम्बरोंको भेजना ।

(४) सरकारी विलों, उनके कारणों और उद्देश्योंके मसविदे तथा उनपर विचार करनेवाली सिलेक्ट कमिटियोंकी रिपोर्टें तैयार करना ।

(५) गवर्नर जनरलके हस्ताक्षर होने बाद विल तथा कौन्सिलके अन्य कागज पत्र रखना ।

(६) अधिवेशन होनेवाले कार्योंकी सूची कौन्सिलके सामने रखना ।

(७) कौन्सिल और कमिटीको उसके आज्ञानुसार सहायता देना ।

(८) यदि किसी अतिरिक्त सदस्यको कोई विल उपस्थित करनेकी आज्ञा मिली हो, तो जिस विभागसे उसका सम्बन्ध हो, उसे उसकी एक प्रति भेजना ।

(९) अतिरिक्त सदस्योंके भेजे हुए विलोंकी जांच करना और अध्यक्षको उनकी सूचना देना जिनके अश विशेष १८६१ के इण्डियन कौन्सिलस ऐक्टकी १६ वीं और २२ वीं धाराओंके अन्दर आते हों ।

(१०) कौन्सिल अथवा अध्यक्ष या सिलेक्ट कमिटी अथवा अथवा शासकस्यकी आज्ञासे पत्र लिखना । लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंटके गेसिस्ट्रिएट सेक्रेटरीका विशेष वर्तव्य था कि अङ्गरेजी न जाननेवाले मेम्बरोंके लिये जिलों, उनके कारणों थीं उद्देश्यों, सिलेक्ट कमिटियोंकी रिपोर्टों और विलोंके सशोधनोंका हिन्दुस्थानीमें उच्चा कगना और उन्हें समझाना तथा जिस प्रकारकी सहायताकी उन्हें आवश्यकता हो, देना ।

अध्यक्षको अधिकार था कि, ये सब या इनमें कोई नियम शिथिल कर दें, कौन्सिलमें शांति रखे, नियमानुकूलता वा प्रतिफलताका निर्णय करें और बाहरी आदमियोंको कौन्सिल चेम्बरमें आकर व्याख्यानदि सुनने और कार्यावली देखनेकी आज्ञा दें, तथा किसी मेम्बरके परनामपर बाहरी आदमियोंसे बले जाने कहें । (सेक्रेटरीसे लिखकर प्रार्थना करनेपर कौन्सिल चेम्बरमें प्रवेश करनेकी आज्ञा मिल सकती थी ।)

भारतमें जो नये कानून बनते हैं या पुराने कानूनोंका सशोधन होता है, उनके लिये भारत-सचिवकी इच्छा आवश्यक है । १८६१के इण्डियन कौन्सिल्स ऐक्टने तो भारतमें

भारतसचिव और
कानून ।

नये कानूनको स्वीकार व अस्वीकार करनेका अधिकार राजसिंहासनको दिया था और इस प्रकार भारतसचिव आगे जिम्मे कानूनको रद्द करा सकते थे, क्योंकि इन्हींकी सम्मतिपर राजसिंहासनकी स्वीकृति वा अस्वीकृति अवलम्बित है ।

(२) कौन्सिलका कार्यविवरण लिखनेके लिये पुस्तक रखना और अधिवेशनके उपरांत उसे अध्यक्षसे स्वीकार करा उनके हस्ताक्षर कराना ।

(३) अधिवेशनके कार्यविवरण तथा मेम्बरोंके वक्तव्यकी रिपोर्ट तैयार करके गजेट भाव इण्डियामें छपाना तथा उसकी एक प्रति स्थायी सहकारी भारतसचिव और कौन्सिलके सब मेम्बरोंको भेजना ।

(४) सरकारी विलों, उनके कारणों और उद्देश्योंके मसविदे तथा उनपर विचार करनेवाली सिलेक्ट कमिटियोंकी रिपोर्टें तैयार करना ।

(५) गवर्नर जनरलके हस्ताक्षर होने बाद विल तथा कौन्सिलके अन्य कागज पत्र रखना ।

(६) अधिवेशन होनेवाले कार्योंकी सूची कौन्सिलके सामने रखना ।

(७) कौन्सिल और कमिटीको उसके आह्वानुसार सहायता देना ।

(८) यदि किसी अतिरिक्त सदस्यको कोई विल उपस्थित करनेकी आज्ञा मिली हो, तो जिस विभागसे उसका सम्बन्ध हो, उसे उसकी एक प्रति भेजना ।

(९) अतिरिक्त सदस्योंके भेजे हुए विलोंकी जांच करना और अध्यक्षको उनकी सूचना देना जिनके अंश विशेष १८६१ के इण्डियन कौन्सिलस ऐक्टकी १६ वीं और २२ वीं धाराओंके अन्दर आते हैं ।

(१०) कौन्सिल अथवा अध्यक्ष या मिलेक्ट कमिटी अथवा व्यवस्थासदस्यकी आज्ञासे पत्र लिखना । लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंटके ऐसिस्टेंट सेक्रेटरीका विरोध वर्तमान था कि बङ्गरेजी न जाननेवाले मेम्बरोंके लिये विलों, उनके कारणों और उद्देश्यों, मिलेक्ट कमिटीशोंकी रिपोर्टों और विलोंके सशोधनोंका हिन्दुस्थानीमें उच्चा कर्मा और उन्हें समझाना तथा जिस प्रकारकी सहायताकी उन्हें आवश्यकता हो, देना ।

अध्यक्षको अधिकार था कि, ये सब या इनमें कोई नियम शिथिल कर दें, कौन्सिलमें शांति रहे, नियमानुकूलता वा प्रतिकूलताका निर्णय करें और बाहरी आदमियोंको कौन्सिल चेम्बरमें आकर व्याख्याननादि सुनने और कार्यावली देखनेकी आज्ञा दें तथा किसी मेम्बरके प्रस्तावपर बाहरी आदमियोंसे बले जाने कहें । (सेक्रेटरीसे लिखकर प्रार्थना करनेपर कौन्सिल चेम्बरमें प्रवेश करनेकी आज्ञा मिल सकती थी ।)

भारतमें जो नये कानून बनते हैं या पुराने कानूनोंका सशोधन होता है, उनके लिये भारत-भारतसचिव और सचिवकी इच्छा आवश्यक है । १८६६के कानून । इण्डियन कौन्सिल ऐक्टने तो भारतमें

वने कानूनको स्वीकार व अस्वीकार करनेका अधिकार राजसिंहासनको दिया था और इस प्रकार भारतसचिव चाहे जिस कानूनको रद्द करा सकते थे, क्योंकि इन्हींकी सम्मतिपर राजसिंहासनकी स्वीकृति वा अस्वीकृति अवलम्बित है ।

सम्वन्धके कागजपत्र भारतसरकारके लेजिस्लेटिव डिपार्ट-
मेंटके सेक्रेटरीको भजती थी और उन्हें अपनी व्यवस्थापिका
सभामें उपस्थित करनेकी आज्ञा मागती थी। यदि बिलका
ऐसे विषयोंसे सम्वन्ध होता था जिनका कानून प्रादेशिक सर-
कारें बिना गवर्नर-जेनरलकी आज्ञाके नहीं बना सकती थी तो
पत्रमें उनका उल्लेख अवश्य होता था। यदि कोई बिल
भारतसचिवकी स्वीकृतिके लिये भेजा जाता था, तो दो महीनेके
अन्दर यदि उन्होंने आपत्ति न की और गवर्नर-जेनरलने आज्ञा
दे दी, तो वह पेश किया जा सकता था। साधारण या आव-
श्यक विषयोंके अथवा ऐसे बिल जिनके सिद्धान्त भारतसचिव
और भारतसरकारको स्वीकृत हैं, बिना उनकी आज्ञा लिये
भी पेश किये जा सकते थे। ऐसी अवस्थामें पूर्व सूचना न
देनेके कारणोंसहित भारतसचिव और भारतसरकारको पत्र
लिखा जाता था।

अधिवेशनके ३ दिन पहले कार्यक्रमकी प्रति सब मेंबरोंको
नेजी जाती थी। मेंबर और अध्यक्ष एडे होकर ही बोलते थे।
जो मेंबर कोई प्रस्ताव या बिल उपस्थित करना चाहते थे,
उन्हें कमसे कम ६ दिन पहले सेक्रेटरीको उसकी सूचना
देनी पडती थी। यदि बिल उपस्थित करनेकी आज्ञा किसी
मेंबरको मिल जाती थी तो सेक्रेटरी उसे प्रादेशिक सरकारी
गजेटमें छपा देते थे। जब बिल उपस्थित किया जाता था, तब
वह कौन्सिलमें पढ़ा जाता था और उसके मूल सिद्धान्तोंपर

बादानुवाद होता था । अनन्तर उस सिलेक्ट कमिटीमें भेजनेका प्रस्ताव होता था और कहा जाता था कि अमुक तारोखतक कमिटी अपनी रिपोर्ट दे दे । यह अवधि अध्यक्षकी आज्ञासे बढ़ भी सकती थी । विलका उपस्थापक सिलेक्ट कमिटीका अध्यक्ष होता था और उसीके प्रस्तावानुसार इसके सदस्य चुने जाते थे । सिलेक्ट कमिटी चाहे तो कुछ पूछनेके लिये किसी अन्य मनुष्यको भी अपने अधिवेशनोंमें बुला सकती थी । किसी अन्य विषयपर विचार करनेके लिये भी सिलेक्ट कमिटी नियुक्त की जा सकती थी । सिलेक्ट कमिटीकी रिपोर्टपर कौन्सिलमें तब विचार होता था, जब सब मेबरोंको १५ दिन पहले वह भेज दी जाती थी और गजेटमें उसे प्रकाशित हुए २१ दिन हो जाते थे । इसके लिये विलका उपस्थापक प्रस्ताव करता था । इस दिन विलके अशॉपर विचार होता था, मूल सिद्धान्तपर नहीं । जब बहुमतसे विल पास हो जाता था, तब सेक्रेटरी उसे नियमानुसार ठीक करके लिखता था और गवर्नरके सामने स्वीकृतिके लिये उपस्थित करता था । गवर्नर इसपर स्वीकृत या अस्वीकृत लिख देते थे और अगले अधिवेशनमें कौन्सिलको इसकी सूचना दे दी जाती थी । स्वीकृत होने बाद ऐक्ट गवर्नर जनरलकी स्वीकृतिके लिये भेजा जाता था और उनकी स्वीकृति मिलनेपर प्रादेशिक गजेटमें यह ऐक्ट प्रकाशित कर दिया जाता था । कौन्सिलके अधिवेशनका कोई नियम अध्यक्षकी इच्छासे शिथिल हो सकता था ।

प्रति वर्ष आर्थिक विवरणपर विचार करनेके लिये अध्यक्ष कोई १२ मेंबरोंकी फाइनेन्स कमिटी बनाते थे, जिसमें गैरसरकारी और सरकारी मेंबर रहते थे। सरकारी मेंबरोंको गवर्नर मनोनीत करते और गैरसरकारी मेंबरोंको कौन्सिलके गैरसरकारी मेंबर निर्वाचित करते थे। इस विवरणमें ये विषय रहते थे (१) पिछली रोकड़वाकी, (२) प्रादेशिक बढे खातोंकी आनुमानिक आय, (३) प्रादेशिक विशिष्ट खातोंका तथा पेसा व्यय जिसे प्रादेशिक सरकार आवश्यक और सामान्य समझती है, (४) जो बडीसे बडी रकम प्रति वर्ष व्यय की जा सकती है और नयी स्कीमोंपर जितनी नोट रकम खर्च की जा सकती है। यह "अन-एलाटेड एक्सपेंडिचर" खातेमें दिखायी जाती थी। (यह किस तरह खर्च होगी इसे बतानेवाला कागज इसीके साथ नथी रहता था।) (५) अगले वर्षकी रोकड़वाकीकी अन्दाजी रकम। इस विवरणपर फाइनेन्स कमिटी अच्छी तरह विचार करती थी और अन्तको प्रादेशिक सरकारके पास अपनी रिपोर्ट भेजती थी। इसपर विचार कर अपनी सम्मति सहित प्रादेशिक सरकार उक्त विवरण भारत सरकारको भेज देती थी। इसके प्राय दो महीने बाद संशोधित आर्थिक विवरण कौन्सिलमें उपस्थित किया जाता था। इसके एक सप्ताह पहले भारतसरकारके अस्थायी सशोधनोंसमेत कच्चे चिट्ठेकी नकले सब मेंबरोंको भेज दी जाती थी। संशोधित विवरणके प्रत्येक खातेपर

विचार होता था और प्रस्ताव उपस्थित किये जाते थे । यदि प्रस्ताव स्वीकृत हुए और उनके अनुसार कुछ परिवर्तन वार्षिक विवरणमें किया गया, तो वह भारतसरकारकी स्वीकृतिके लिये फिर भेजा जाता था । भारतसरकारका स्वीकृत विवरण बजेट कहलाता था । जिस दिन यह पेश होता था, उस दिन मंत्री इसपर अपने विचार प्रकट कर सकते थे, पर प्रस्ताव नहीं कर सकते थे । मंत्रोंके वोटोंसे यह पास नहीं होता था । अन्तमें सरकारके अर्थव्यवस्थापक मंत्रोंकी टीकाओंका उत्तर देने थे और अध्यक्षका भाषण होकर बजेटकी बहस समाप्त हो जाती थी । इन सभाओंमें प्रश्नादि करनेके नियम उड़ी व्यवस्थापिका सभा जैसे ही थे ।

नौचेके कोष्ठकसे जाना जायगा कि पुरानी व्यवस्थापिका सभाओंमें आय व्ययके किन खर्तोंपर विचार हो सकता था और किनपर नहीं —

आयके वे खाते जिनपर विचार, व्ययके वे खाते जिनपर विचार, न हो सकता था

आयके वे खाते जिनपर विचार, न हो सकता था	व्ययके वे खाते जिनपर विचार, न हो सकता था	न हो सकता था	हो सकता था
१—मालगुजारी	४—स्टाम्प	१—फिरता और छूट	२—जागीर
२—अफीम	७—कस्टम	३—मालगुजारी	और बदला
३—नमक	८—निर्धारित कर	४—अफीम	१३—ऋणका
५—एक्साइज	११—वैशी राख्यौका कर	५—नमक	व्याज
६—प्रादेशिक कर	१६—(अ) न्यायालय *	६—स्टाम्प	२३—ईसाई धर्मोपवेश
६—जङ्गल	३२—सेना	७—एक्साइज	२५—राजनीतिक
१०—रजिस्ट्रेशन	३३—जलसेना	८—प्रादेशिक कर	२७—भौतिक और राजनीतिक
१२—व्याज	३४—फीजी इमारतें	९—एक्साइज	पेनशन
१३—ड्याक		८—प्रादेशिक कर	३८—सरकारी
१४—तार		१०—निर्धारित कर	रेल्वे +
१५—टकसाल		११—जङ्गल	४२—बड़ी नहरें
१६—(आ) जेल		१२—रजिस्ट्रेशन	ऋणका व्याज
१७—पुलिस		१४—और ऋणोंपर व्याज	
१६—शिक्षा		१५—ड्याक	
		१६—तार	

४६—सेना	प्रादेशिक व्यय
४६—(अ) जल- सेना	और उन प्रदेशों में विभक्त छातों- से उत्पन्न होने वाला व्यय, जिनमें व्यवस्थापिका समाप्त थी ।
४७—फीजी इमारतें	
४७—(अ) विशेष रक्षाके लिये दुर्ग आदि	

१७—टंकसाठ	अन्य छोटे विभाग
१८—साधारण शासन	२८—सिचिल फलों और अनुपस्थितोंको
१९—(अ) न्यायालय ।	मत्ता
१९—(आ) जेल	२९—बुढापेके कारण मत्ते और पेनशन
२०—पुलिस	३०—स्टेशनरी और छपाई
२२—शिक्षा	३१—एक्सचेंज
२४—डाकूरी	
२६—वैज्ञानिक तथा अन्य छोटे विभाग	
२८—सिचिल फलों और अनुपस्थितोंको	
२९—मत्ता	
२९—बुढापेके कारण मत्ते और पेनशन	
३०—स्टेशनरी और छपाई	
३१—एक्सचेंज	

प्रादेशिक आय
तथा उन प्रदेशों
में विभक्त छातों
से उत्पन्न होने
वाली आय
जिनमें व्यवस्था
पिका समाप्त
थी ।

२०—डाकूरी	२६—आयपाशी, घडी नहरें
२१—वैज्ञानिक तथा अन्य छोटे छोटे विभाग	३०—छोटी नहरें और नौका सञ्चालन
२२—बुढापेके कारण पेनशन आदिमें आयी रकमें	३१—सिचिल व्यय
२३—स्टेशनरी और छपाई	
२४—एक्सचेंज	
२५—विविध	
२६—सरकारी रेलवे	
२८—सहायता पानेवाली कप निया	
२९—आयपाशी, घडी नहरें	
३०—छोटी नहरें और नौका सञ्चालन	
३१—सिचिल व्यय	

अंगरेजोंकी भारतीय नीति ।

- १३०६ -

वंगभङ्गके कारण भारतमे स्वराज्यका जो आन्दोलन खडा हुआ था, वह १९०६ के गवर्नमेण्ट वगभगसे जाग्रति । आव इण्डिया ऐक्ट पास होने और उसके अनुसार कार्य होनेसे भी बन्द नहीं हुआ । एक भारतवासीके भारतसरकारके ला मेंबर और दो भारतवासियोंके भारतसचिवकी कौन्सिलके मेम्बर तथा प्रादेशिक गवर्नरोंकी कौन्सिलोमे भी एक एक भारतवासीके मेंबर नियुक्त किये जानेका भी इस आन्दोलनपर विशेष प्रभाव नहीं पडा । इसका कारण यह था कि सरकारने लोकमतका आदर करना नही सीपा था और वंगभङ्ग नहीं रह किया था । १९११ में लार्ड हार्डिङ्गने ब्रिटिश सरकारसे प्रस्ताव किया था कि श्रीमान् महाराज पञ्चम जार्ज भारतके सम्राट् रूपसे दिल्लीमें दरवार करे और इस दरवारमें वङ्गभङ्ग रह करने और राजधानीको कलकत्तेसे दिल्ली हटा ले जानेकी घोषणा करे । लार्ड हार्डिङ्गने २५ अगस्त १९११ को जो पत्र भारतसचिव लार्ड क्रूको लिखा था, उसमें राजधानीको अमेरिकन राजधानीकी भाति किसी प्रदेशमें न रखनेका यह हेतु भी दिया था कि सब सरकारे अपना अपना काम करे

और भारतसरकारका किसीसे घनिष्ठ सम्बन्ध न रहे जिसमें कालान्तरमें उन्हें प्रादेशिक स्वराज्य मिल जाय और भारत सरकार अत्यन्त आवश्यकताके विना उनके कार्यों में हस्तक्षेप न करे। दिसम्बर १९११ में महाराज जार्जके दरवारके अग्रसरपर इस खरीतेके प्रकाशित होनेसे भारतीय राजनीतिक नेताओंने प्रादेशिक स्वराज्यकी इस कल्पनाको भी अपनाकर आन्दोलनका एक अङ्ग बना लिया। सम्राट् जार्जकी घोषणाके अनुसार बङ्गालके दोनो टुकड़े जुड़ गये और आसाम तथा बिहार उड़ीसा दो स्वतन्त्र प्रदेश बने।

इस व्यवस्थासे स्वराज्यका आन्दोलन कुछ ठण्डा हुआ

स्वराज्यका

ही था कि १९१४ में यूरोपमें महासमर

आन्दोलन ।

छिड़ गया और ब्रिटिश सरकारने बत

लाया कि हम स्वतन्त्रताकी रक्षा करने-

के लिये इसमें सम्मिलित हुए हैं। युद्धके समय कोई आन्दोलन

न हो और सरकारके साथ पूर्ण रीतिसे सहयोग किया जाय

यह समझाकर सरकारने कुछ समयतक आन्दोलन नहीं होने

दिया। राजनीतिक नेता भी चुप रहे। पर जब उन्होने

देखा कि राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रता और स्वभाग्यनिर्णय आदिका


नाम लेकर इस महायुद्धमें सहायता मागी जा रही है, तब

धीरे धीरे उन्होंने आन्दोलनमे हवा भरी। १९१६ में मालूम

हुआ कि मॉन्ट्रॉज्यके शासनकी एक स्कीम तैयार हो रही है

और इसके अनुसार उसके स्वराज्यप्राप्त अङ्ग अधीन देशोंपर

अंगरेजोंकी भारतीय नीति ।



बंगभङ्गके कारण भारतमें स्वराज्यका जो आन्दोलन खड़ा हुआ था, वह १९०६ के गवर्नमेण्ट बंगभंगसे जाग्रति । आव इण्डिया ऐक्ट पास होने और उसके अनुसार कार्य होनेसे भी बन्द नहीं हुआ । एक भारतवासीके भारतसरकारके ला मेंबर और दो भारतवासियोंके भारतसचिवकी कौन्सिलके मेम्बर तथा प्रादेशिक गवर्नरोंकी कौन्सिलमें भी एक एक भारतवासीके मेंबर नियुक्त किये जानेका भी इस आन्दोलनपर विशेष प्रभाव नहीं पडा । इसका कारण यह था कि सरकारने लोकमतका आदर करना नहीं सीखा था और बंगभङ्ग नहीं रह किया था । १९११ में लार्ड हार्डिंजने ब्रिटिश सरकारसे प्रस्ताव किया था कि श्रीमान् महाराज पञ्चम जार्ज भारतके सम्राट् रूपसे दिल्लीमें दरबार करे और इस दरबारमें बङ्गभङ्ग रह करने और राजधानीको कलकत्तेसे दिल्ली हटा ले जानेकी घोषणा करे । लार्ड हार्डिंजने २५ अगस्त १९११ को जो पत्र भारतसचिव लार्ड क्रूको लिपा था, उसमें राजधानीको अमेरिकन राजधानीकी भाँति किसी प्रदेशमें न रखनेका यह हेतु भी दिया था कि सब सरकारे अपना अपना काम करे

और भारतसरकारका किसीसे घनिष्ठ सम्बन्ध न रहे जिसमें कालान्तरमें उन्हें प्रादेशिक स्वराज्य मिल जाय और भारत सरकार अत्यन्त आवश्यकताके विना उनके कार्योंमें हस्त-क्षेप न करे। दिसम्बर १९११ में महाराज जार्जके दरबारके अवसरपर इस खरीतेके प्रकाशित होनेसे भारतीय राजनीतिक नेताओंने प्रादेशिक स्वराज्यकी इस कल्पनाको भी अपनाकर आन्दोलनका एक अङ्ग बना लिया। सम्राट् जार्जकी घोषणा के अनुसार बङ्गालके दोनो टुकड़े जूड़ गये और आसाम तथा बिहार-उड़ीसा दो स्वतन्त्र प्रदेश बने।

इस व्यवस्थासे स्वराज्यका आन्दोलन कुछ ठण्डा हुआ
 स्वराज्यका ही था कि १९१४ में यूरोपमें महासमर
 आन्दोलन। छिड़ गया और ब्रिटिश सरकारने बत
 लाया कि हम स्वतन्त्रताकी रक्षा करने
 के लिये इसमें सम्मिलित हुए हैं। युद्धके समय कोई आन्दोलन
 न हो और सरकारके साथ पूर्ण रीतिसे सहयोग किया जाय
 यह समझकर सरकारने कुछ समयतक आन्दोलन नहीं होने
 दिया। राजनीतिक नेता भी चुप रहे। पर जब उन्होने
 देखा कि राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रता और स्वभाग्यनिर्णय आदिका
 नाम लेकर इस महायुद्धमें सहायता मागी जा रही है, तब
 धीरे धीरे उन्होने आन्दोलनमें हवा भरी। १९१६ में मालूम
 हुआ कि साम्राज्यके शासनकी एक स्कीम तैयार हो रही है
 और इसके अनुसार उसके स्वराज्यप्राप्त अङ्ग अधीन

शासन करेंगे तथा भारतसरकारने भी शासन संस्कारोंके विषयमें अपनी स्कीम लण्डन भेजी है, तब बड़ी व्यवस्थापिका सभाके १६ निर्वाचित सभासदोंने भारतसरकारको शासन संस्कारोंके सम्बन्धमें अपना स्मरणपत्रक वा मेमोरेण्डम दिया और इसी वर्ष दिसम्बरमें लखनऊमें कांग्रेस और मुस्लिम लीगने इसीको बढ़ाकर देशकी मागके रूपमें पेश किया। यह स्कीम कांग्रेस-लीग स्कीम नामसे प्रसिद्ध हुई और इसीके लिये आन्दोलन होने लगा।

कांग्रेसके अधिवेशनके अवसरपर ही मि० लायोनल ब्रिटिश सरकारकी कर्टिसका साम्राज्य शासन स्कीमसे सम्बन्ध रखनेवाला एक पत्र मि० बी० जी० हार्निमैनके हाथ पड गया और इसके प्रकाशित होनेसे लोगोंको भारतको स्वराज्य देनेकी अङ्गरेजोंकी नीयतपर भी सन्देह होने लगा। इससे स्वराज्य आन्दोलनकी तीव्रता बहुत बढ़ गयी। इधर आन्दोलनको भयङ्कर रूप धारण करते देख भारतसरकारने भारतसचिवको तारपर तार देने आरम्भ किये कि अब अपनी भारत शासन नीति बताने बिना काम नहीं चल सकता, उधर महासमरने चिकराल रूप धारण किया। ऐसे समय भारतवासियोंको ज्ञात करनेके लिये २० अगस्त १९१७ को मि० मांटैग्यूने पार्लमेंटमें सूचना दी कि ब्रिटिश सरकारकी नीति है और इससे भारतसरकार पूर्ण सहमति है कि शासनके प्रत्येक

विभागसे भारतवासियोंका अधिकधिक सम्बन्ध हो और धीरे धीरे स्वराज्य सस्थाओंकी उन्नति तो जिसमें ब्रिटिश साम्राज्यके अङ्गस्वरूप भारतमें स्वराज्यकी उत्तरोत्तर प्राप्ति हो । परन्तु स्वराज्यकी ओर कौन कदम कर बढ़ाया जायगा- इसका निर्णय ब्रिटिश और भारत सरकारें करेगी और पहले क्या किया जाय इसकी जाच करने भारतसचिव भारत जायगे ।

इस नीतिके पिछले अंशपर बड़ा असन्तोष प्रकट किया गया, क्योंकि इससे भारतके भाग्यके निर्णयका अधिकार अन्य लोगोंको प्राप्त होता है । अन्तको मि० माटेग्यू हिन्दुस्थान आये और लार्ड चेम्सफर्डको साथ ले बहुत जगह घूमका- सब प्रकारके विचारोंके लोगोंकी बातें सुनीं ।

दोनोंकी रिपोर्ट १९१८ के अप्रैलमें प्रकाशित हुई । यह माटेग्यू-चेम्सफर्ड वा माटेग्यू रिपोर्ट और ही १९१९ के गवर्नमेंट आच इण्डिया ऐक्टका आधार है । इसके प्रकाशनके

बाद लार्ड साउथवराकी अध्यक्षतामें दो कमिटिया बनीं, जिनमें एकने मताधिकार किसको देना चाहिये और किस नहीं यह बताया और दूसरीने इसकी सिफारिश की कि अमुक विभाग भारतसरकारके अधीन रहे या प्रादेशिक सरकारके तथा प्रदेशोंमें अमुक विभागका प्रबन्ध गवर्नरकी शासन समा करे और अमुकका उसके मन्त्री करे । इसके बाद

१९१६ में एक कमिटी इन बातों को राय देनेके लिये बनी कि इङ्ग्लैण्डमें भारतके शासनकी जो व्यवस्था है, उसमें क्या परिवर्तन होने चाहिये। इन तीनों कमिटियों और माट-फर्ड रिपोर्टके आधारपर पार्लमेंटकी कामन्स सभामें बिल पेश किया गया और इसपर विचार करनेके लिये पार्लमेंटकी दोनों सभाओंके कई मंत्रियोंकी एक संयुक्त कमिटी बनी जिसने शासनसंस्कारोंकी सारी व्यवस्थापर पूर्ण विचार करके कानूनका स्वरूप ठीक कर दिया और इसीके अनुसार पार्लमेंटने गवर्नमेंट आव इण्डिया ऐक्ट पास कर दिया और इसे २३ दिसम्बर १९१६को श्रीमान् सम्राटने स्वीकृति दे दी। १९२० में भारतसरकारने इस ऐक्टको काममें लानेके लिये कुछ नियम बनाये जो "डेवोल्यूशन रूल्स" कहाये। वम, इस नियमावली और कानूनको १९१६ के शासनसंस्कारोंका शास्त्र समझना चाहिये।



नयी शासन व्यवस्था ।

— ❧ —

१९०६ के गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्टके बाद भारत-पुरानी और नयी शासन पद्धतिमें परिवर्तन करनेवाला कानून १९१६ का गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट ही हुआ । पुराने कानूनका पद्धति ।

अभिप्राय भारतवासियोंको कुछ विशेष राजनीतिक अधिकार देना भर था, और यह बात लार्ड मोरलेने स्पष्ट ही कह दी थी, परन्तु इस नये कानून या माटेग्यू ऐक्टका अभिप्राय भारत-वासियोंको स्वराज्यकी सड़कपर खड़ा कर देना बताया गया है । इस ऐक्टने भारतसरकारकी रचनामें कोई हेरफेर नहीं किया और पार्लमेंटके सामने उसका उत्तरदायित्व ज्योंका त्यों बनाये रखा, परन्तु बड़े प्रदेशोंकी शासनव्यवस्थामें महत्वके परिवर्तन किये हैं । इसके सिवा विशेष सुधार व्यवस्थापिका सभाओंकी रचना और अधिकारोंमें हुए हैं । पहले लोगोंको प्रत्यक्ष निर्वाचनाधिकार नहीं था और वे जिला बोर्डों, म्यूनिसिपैलिटियों तथा अन्य सस्थाओंद्वारा चुने जाते थे, परन्तु नये कानूनने लोगोंको और कोई ६० लाख लोगोंको निर्वाचनाधिकार दिया है और सब व्यवस्थापिका सस्थाओंमें निर्वाचित सदस्योंका बहुमत कर दिया है ।

शासनके सुभीतेके लिये ब्रिटिश भागन १५ प्रदेशोंमें बड़ा
 ब्रिटिश भारतके है और इनमें नौ प्रदेशोंमें म० माटेग्यूते
 विभाग । स्वराज्यके बीज बोये हैं। जो छ
 प्रदेश इस कृपासे वञ्चित हैं, वे अब भी

पुराने ढङ्गसे शासित होते हैं। उनके नाम हैं दिल्ली, अजमेर
 मेरवाडा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश, कुर्ग,
 अण्डमन--निकोबार टापू। पर कृपापात्र प्रदेश हैं बङ्गाल,
 प्रेसिडेंसी, चम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी आगरे और
 अवधके युक्तप्रदेश, बिहार-उड़ीसा, पञ्जाब, मध्यप्रदेश और बरार,
 आसाम और चर्मा। दिल्ली और अण्डमान निकोबारको छोड़
 पूर्वोक्त प्रदेशोंका शासन भारतसरकारके परराष्ट्र विभाग तथा
 दिल्ली और अण्डमन--निकोबारका शासन स्वराष्ट्र विभाग-
 वा होम डिपार्टमेंटके एजेण्ट करते हैं, जो चीफ कमिशनर
 कहते हैं। परराष्ट्र विभागके एजेण्ट या तो किसी राज्यके
 रेसिडेंट होते हैं, या कई राज्योंके समूहके लिये गवर्नर-जेनरल
 के एजेण्ट होते हैं। राजपुताना राज्योंमें गवर्नर-जेनरलके
 एजेण्ट अजमेर-मेरवाडेके और बलूचिस्तानकी कलात, और
 लास बेला रियासतोंमें गवर्नर-जेनरलके एजेण्ट ब्रिटिश बलू-
 चिस्तानके चीफ कमिशनर हैं तथा दीर, स्वात, चित्राल और
 वजीरिस्तान आदि स्वतंत्र राज्योंमें गवर्नर-जेनरलके एजेण्ट
 पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेशके चीफ कमिशनर हैं। इसी प्रकार
 मैसूरके रेसिडेंट कुर्गके चीफ कमिशनर हैं।

जिन प्रदेशों पर क़रा कर उतकी शासनपद्धतिमें परिवर्तन
 किये गये हैं, वे गवर्नरके प्रदेश कहते
 हैं। उनका शासन गवर्नर अपनी
 शासनकारिणी सभा और मन्त्रियोंकी
 सहायतासे करते हैं। शासनके सुभीतिके लिये प्रदेशोंसे
 सम्बन्ध रखनेवाले विषय दो भागोंमें बाटे गये हैं एक
 रक्षित वा रिजर्व्ड, दूसरा हस्तान्तरित वा ट्रान्सफर्ड।

रक्षित विषयोंकी सुव्यवस्थाके लिये गवर्नर और उनकी
 शासन सभा भारतसरकार और भारतसचिवद्वारा अप्रत्यक्ष
 रूपसे पार्लमेंट अथवा ब्रिटिश मतदाताओंके सामने उत्तर-
 दाता है और हस्तान्तरित विषयोंके लिये गवर्नरके मन्त्री
 अप्रत्यक्ष रूपसे भारतीय मतदाताओंके सामने उत्तरदाता हैं।
 मन्त्री गवर्नरके परामर्शदाता हैं, यद्यपि विशेष अवस्थाओंमें
 इनके मतके विरुद्ध कार्य करनेका गवर्नरको अधिकार है।
 परन्तु शासन सभाके बहुमतके विरुद्ध गवर्नर आचरण नहीं
 कर सकता। मेम्बरों और मन्त्रियोंमें एक अन्तर यह भी
 है कि वे सम्राट्के आज्ञापत्र द्वारा नियुक्त होते हैं, परन्तु
 मन्त्रियोंकी नियुक्ति करने और हटानेका अधिकार गवर्नरको ही
 है। यद्यपि मन्त्रीकी नियुक्ति गवर्नरके हाथमें है, तथापि
 व्यवस्थापिका सभाओंको मन्त्रीका वेतन निर्दिष्ट करनेका
 जो अधिकार है, उससे मन्त्री एक ओर गवर्नरको और
 दूसरी ओर व्यवस्थापकोंको प्रसन्न रखनेके लिये बाध्य है।

पार्लमेंटके सामने प्रादेशिक सरकारोंका उत्तरदायि
 भारतीय और घटनेके साथ ही यह आवश्यक ही ग
 प्रादेशिक विषय कि भारतसचिव और भारतसरका
 विभाग के प्रादेशिक सरकारोंके नियन्त्रण अ
 निरीक्षणके अधिकार भी घटाये जाय ।' इनलिये १९१६
 ऐक्टमें भारतसरकारको ऐसे नियम बनानेका अधिकार दि
 गया, जिनसे वह शासन सम्बन्धी विषयोंको भारतीय अ
 प्रादेशिक इन दो भागोंमें बांट दे। भारतीय विषय अर्द्ध
 में सेन्ट्रल सब्जेक्ट्स और प्रादेशिक प्राविनशल सब्जेक्ट
 कहाते हैं। भारतसरकारको ही प्रादेशिक एातोंमें रजि
 (रिजर्व्ड) और हस्तान्तरित (ट्रान्सफर्ड) विभाग करने
 भी अधिकार दिया गया। परन्तु जबतक आर्थिक अथ
 आयव्ययका विभाग भारतसरकार और प्रादेशिक सरकार
 न हो जाय, तब तक विषय भारतीय और प्रादेशिक रूप
 नहीं बांटे जा सकते थे। इस लिये यह विभाग करनेके वि
 नियम बनानेका अधिकार भी इस ऐक्टमें भारतसरकार
 दिया गया। इन अधिकारोंके अनुसार भारतसरकारने "डेव
 ल्यूशन रूल्स" (क्रमावतरण नियम) बनाकर १६ दिसम्बर १९१६
 को अपने नोटिफिकेशन न० ३०८ एस्० द्वारा प्रसिद्ध किये।

परन्तु भारतसरकारकी रचनामें शासनसम्बन्धी कि
 भारतशासन- प्रकारका परिवर्तन नहीं किया ग
 व्यवस्थामें परि- केवल गवर्नर जनरलकी शास
 र्त्तन । कारिणी सभाके मेंबरोंकी जो स
 पहले निर्धारित हुई थी, वह हटा दी गयी अर्थात् ६ से :

अधिक मंत्र उक्त सभामें बैठ सकते हैं। इसलिये प्रधान सेनापति सहित शासन सभाके आठ सदस्य रह चुके हैं और आजकल सात हैं जिनमें तीन भारतवासी हैं। कौंसिलमें आजकल दो यूरोपियन और एक हिन्दुस्थानी कुल तीन सिविलियन हैं। पहलेकी तरफ किसी प्रदेशका गवर्नर इस सभाका मेम्बर नहीं रह सकता, चाहे उसके प्रदेशमें ही शासनकारिणी सभा या एग्जिक्यूटिव कौन्सिलके अधिवेशन होते उन्हें। उदाहरणार्थ शिमलेमें भारत सरकार सालमे कई महीने रहती है। पहले पञ्जाबके लेफ्टिनेण्ट गवर्नर, क्योंकि पञ्जाबके अन्तर्गत ही शिमला है, उन दिनों इस कौंसिलके असाधारण सदस्य हुआ करते थे। पर नये ऐक्टने उन्हें यह अधिकार नहीं दिया। दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि अब चकील भी व्यवस्था सदस्य वा ला मंत्र हो सकता है। पहले यह पद वैरिस्टर या स्काटलैंडके ऐडवोकेटको ही मिलता था। इसके अनुसार पहले डा० तेजमहादुर सप्रू और फिर मिया मुहम्मद शकी व्यवस्था सदस्य नियुक्त हुए हैं।

१९०६ के ऐक्टके पहले भारतसरकारका सब प्रदेशोंसे कई वर्षों के लिये आर्थिक "बन्दोबस्त" आर्थिक व्यवस्था। होता था। इसके अनुसार जो रकम उन्हें मिलती थी, उसीमें वे गुजर करते थे। पर १९०६ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्टके साथही आर्थिक व्यवस्थाके खाते भारतवाय ओर प्रादेशिक खातोंमें इस तरह

घाटे गये कि एक ही खाता कमी कमी प्रादेशिक और भारतीय भी रहा । परन्तु भारत सरकार और भारतसचिवके निष्पत्त्यकी कड़ाईमें कमी नहीं हुई । १९१६ के ऐक्टसे प्रदेशोंमें उत्तरदायित्वका प्रवेश करावैके लिये यह आवश्यक हुआ कि खातोंका बंटवारा स्पष्ट हो और आयके कुछ खाते प्रादेशिक सरकारोंको दे दिये जाय और इनके बदले उनसे भारत सरकार सालाना वधी रकम लिया करे । साधारण मापमें कहा जा सकता है कि भावली या बटैयाके बदले नकद मालगुजारी हो गयी । परिवर्त्तनोंमें यह परिवर्त्तन हुआ कि भारतय आयके खातोंमें इनकमटैक्स और जेनरल स्टाम्प बढ़ा दिये गये और प्रादेशिकमें मालगुजारी, भावपाशी, एक्ससाइज और जुड़ीशल स्टाम्प बढ़े । इसी कारण अकालके कष्टके निवारण और खेतीकी रक्षाके लिये भावपाशीका खर्च प्रादेशिक सरकारोंपर डाला गया, यद्यपि अकाल कष्टनिवारणके विषयमें प्रादेशिक सरकारोंके कर्णव्यविमुख होनेपर भारत सरकारका उत्तरदायित्व बना हुआ है ।

भारत सरकारसे जिन नौकरियों और कार्यों का सम्बन्ध है, उनके पर्व और प्रगतिका अनुमान करके आयके ऐसे खाते उसे दे देने चाहिये जिनसे यह खर्च निकल आवे और बाकी सब खाते प्रादेशिक सरकारोंको दे देने चाहिये इस सिद्धान्तपर घटवारा हुआ । परन्तु जो खाते भारतसरकारके

पले, उनसे पूरा नहीं पडता, इसलिये प्रादेशिक सरकारोंसे मागाना पर्व लेना निश्चय हुआ । १९२१-२२ में कौन प्रदेश क्या मागा इसका यह निर्णय किया गया यद्यपि कई प्रदेश इससे असन्तुष्ट ही रहे —

मद्रास	३४८००००००)	बर्मा	६४००००००)
बम्बई	५८००००००)	मध्यप्रदेश वगैर	२२००००००)
पंजाब	६३००००००)	आसाम	१५००००००)
		बिहार	१७५००००००)

१९२२-२३ से भारतसरकारको ६८३००००००) चाहिये और यह रकम उक्त प्रदेशोंकी सरकारें देंगी । यदि इस रकममें कमी होगी तो उन्हीं प्रदेशोंसे कम रकम ली जायगी जिन्होंने पिछले साल नीचे लिखे हिसाबसे अधिक दिया है उनकी दी हुई रकमके हिसाबसे उनके दानमें कमी की जायगी —

मद्रास	१७	६०	भाग	बर्मा	६०	भाग
--------	----	----	-----	-------	----	-----

छोड़ दिया। फल यह हुआ कि १९०२-०३ में बङ्गालकी रकम छोड़नी पड़ी, मद्रासने भारतसरकारसे ऋण लेकर ही रकम पूरी की और युक्तप्रदेशने भी उधार लेकर ही अपने हिस्सेकी बहुत सी रकम दी। इसने स्पष्ट है कि यह नियम शीघ्र बदला जायगा।

प्रदेशोंको रचराज्य देना इस ऐक्टका उद्देश्य बताया गया भारतसरकार और हे और इसका आरम्भ "हस्तान्तरित" भारतसचिवका विषयोंसे किया गया है। इस लिये - नियन्त्रण। इन विषयोंकी व्यवस्थामें भारतसरकारका हस्तक्षेप भी कम कर दिया गया है। भारतसरकार भारतीय विषयोंके प्रबन्धकी सुरक्षा करने और दो प्रदेशोंका भगडा मिटाने, हाई कमिशनरके कार्योंकी व्यवस्था, भारतसचिव और कौन्सिलके नामसे प्रादेशिक आयपर ऋण लेने और उसकी शर्तों, सिविलियनोके वेतन, अधिकारों, पेनशन, तथा सिविल सर्विस कमीशन और आडिटर जनरलकी नियुक्तिके सम्बन्धमें ही हस्तान्तरित विषयोंमें हस्तक्षेप कर सकती है। प्रादेशिक सरकारें भारतसचिवकी स्वीकृति बिना न तो ऐसे किसी नये स्थायी पदकी सृष्टि कर सकती हैं जिसपर सिविलियन नियुक्त हो सकता है और न उसे उठा ही सकती है। १२००) मासिकसे अधिक वेतनके स्थायी पदकी सृष्टि वा किसी पदकी १२००) से वृद्धि करना, ४०००) मासिक वेतनका अस्थायी पद अथवा दो वर्षसे अधिक १२००) से ऊपर

मासिक घेतनवाले अस्थायी पदकी अवधि बढ़ाना, नियमोंके विरुद्ध किसी अफसरका भत्ता, पेननश या इनाम बढ़ाना भ्रूयवा विदेशोंसे आनेवाले स्टोर्स या स्टेशनरीका र्च बढ़ाना भी भारतसचिवकी स्वोक्ति विना प्रादेशिक सरकारोंकी शक्तिके बाहर है। भारतसरकार भारतसचिवकी ओरसे व्ययकी आज्ञा दे सकती है अथवा यदि उसे प्रादेशिक सरकारका प्रस्ताव नापसन्द हो, तो भारतसचिवको प्रस्ताव भेजते समय अपनी सम्मति दे सकती है अथवा उसके चारमें और भी कुछ प्रादेशिक सरकारसे पूछ सकती है। पहले पहल इस कानूनने प्रादेशिक सरकारोंको, भारतसचिव या भारतसरकारकी आज्ञासे ही क्यों न सही, ऋण लेनेका अधिकार दिया है।



नयी व्यवस्थापिका सभाएं ।

— ❧ —

नये गवर्नमेंट भाव इण्डिया ऐक्टसे जो महत्वके परिवर्तन हुए हैं, उनका सम्बन्ध व्यवस्थापिका उत्तरदायित्वका अर्थ । सस्थाओंसे ही अधिक है । १९०६ के ऐक्टका उद्देश्य इस देशके लोगोंको कुछ विशेषाधिकार देना मात्र था, परन्तु इसका उद्देश्य भारतवासियोंको स्वराज्य या उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देना बताया जाता है और उत्तरदायित्वका केन्द्र व्यवस्थापिका सस्था है । पाश्चात्य राजनीति शास्त्रके अनुसार निर्वाचकोंके सामने शासकमण्डल उत्तरदाता होना चाहिये और इन निर्वाचकोंको व्यवस्थासभाओंमें अपने निर्वाचित प्रतिनिधियोंद्वारा अपने अधिकारोंका उपयोग करना चाहिये अर्थात् यदि शासकमण्डलपर प्रतिनिधियोंका विश्वास न हो, तो उसे पदत्याग कर देना चाहिये । इस प्रकार शासनशक्तिका केन्द्र व्यवस्थापिका सस्था है । इंग्लैण्डमें राजनीतिक सिद्धान्तोंपर पार्टियां बनी हुई हैं और जिस पार्टीके अधिक मेम्बर पार्लमेंटकी कामन्स सभाके निर्वाचनमें चुने जाते हैं, उसीका नेता प्रधान मन्त्री नियुक्त

होता है और जबतक उसकी नीति पार्लमेंटको पसन्द आती है और उसका बहुमत रहता है, तबतक उसका मन्त्रिमण्डल वा शासक मण्डल रहता है। यद्यपि इस अवस्थामें पार्लमेंटकी वह शक्ति जाती रहती है और वह केवल मन्त्रिमण्डलकी कड़पुतली हो जाती है, तथापि वहा यही उत्तरदायित्वपूर्ण शासन कहलाता है। यही शासनपद्धति यहा प्रचलित करने अर्थात् ब्रिटिश भारतको स्वराज्य देनेके लिये व्यवस्थापिका सभाओंके अधिकारों, शक्ति और योग्यतामें परिवर्तन किये गये हैं।

उत्तरदायित्वका बीज प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाओंमें ही बोया गया है, इस लिये पहले मतधिकार । इन्हीकी चर्चा करनी चाहिये। पुराने ऐक्टके अनुसार सभाओंके चोट थे, व्यक्तियोंके नहीं, परन्तु नये ऐक्टने कोई ६०००००० व्यक्तियोंको मतधिकार दिया है। इनमें मद्रासमें १२,४८,१५६, बम्बईमें ५,४८,४७६ व गालमें १०,२१,४१८ युक्तप्रदेशमें १३, ४०,२७८ पञ्जाबमें ५,०५,३६१, बिहार-उड़ीसेमें ३२,७५६४ मध्यप्रदेशमें १४४७३७ और आसाममें २०३,१६१ हैं। इनके सिवा बर्माके अनुमान २५,००,००० लोगोंको मतधिकार दिया गया है। भिन्न भिन्न प्रदेशोंके लोगोंकी अवस्थाके अनुसार उनके मतधिकारकी योग्यता ठहरायी गयी है। प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाओंको स्त्रियोंको मतधिकार देनेका अधि-

कार है और बंगाल आदि कई प्रदेशोंकी समावेनि इसका उपयोग भी किया है। इससे आशा है कि मताधिकार प्राप्त व्यक्तियोंकी संख्या अगले निर्वाचनके लिये ६०,००,००० से अधिक हो जायगी। सम्पन्न मनुष्योंको ही नगरों और गावोंमें मताधिकार दिया गया है। जो मालगुजारी, सेस, इनकम टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, या चौकीदारी टैक्स देते हैं, अथवा मजान मालिक या किरायेदार हैं उन्हींने मताधिकार पाया है। परन्तु पेंशनिये या पुराने फौजी सिपाहियोंको भी मताधिकार मिला है और इनके लिये हैसियतका पचड़ा नहीं लगाया गया है।

कौन्सिलके मंत्रोंको निर्वाचित करनेके लिये मतदाताओंका

इलेक्टरेट । जो समूह होता है, वह इलेक्टरेट कहाता है। इलेक्टरेट तीन प्रकारका

होता है, जेनरल, स्पेशल और कम्यू

नल । जेनरल इलेक्टरेटमें गैर-मुस्लिम ही होते हैं। पञ्जाबमें

सिक्ख भी जेनरल इलेक्टरेटमें शामिल किये गये हैं, क्योंकि

इसका नाम जेनरल नान मुहम्मडन (गैरमुस्लिम) इलेक्टरेट रखा

गया है। स्पेशल इलेक्टरेटमें जमीन्दार, विश्वविद्यालय, व्यापार

वाणिज्य तथा उद्योगधन्धों और पानवालों तथा नील या चायक

पेती करनेवालोंकी संस्थाएँ हैं। कम्यूनल इलेक्टरेटमें धर्म व

जातिविशेषके निर्वाचक होते हैं। इनमें मुसलमानों, ईसा

, यूरोपियनों, और यूरोशियनोंके निर्वाचक होते हैं। सबके

निर्वाचनकी व्यवस्था अलग अलग है। मैमुन्सिने की मुस्लिमोंके इलेक्टरेट दो भागोंमें बटे हैं एक शहरी और दूसरा देहाती। माटोग्यूचेम्सफर्ड रिपोर्टमें यह निश्चय किया गया था कि भारतीय जनता देशकोंमें ही रहती है इसलिये शहरी लोगोंके प्रतिनिधि कम और देशतियोंके प्रतिनिधि अधिक रखे जाय। इसके अनुसार इंग्लैण्डमें देशतियोंके प्रतिनिधि तिगुनेसे छ गुने और कर्नाटकमें इन्होंने भी अधिक रखे गये हैं। कुछ लोगोंकी सलाह है कि इन अग्रिक सिद्धित, योग्य, सननतिह जी अनुभव होत है इसलिये उनका सत्प्रधिद्वय नौकरशाहीको फलदायी है।

निर्वाचनविधिमें पहलेसे कोई विशेष बदल नहीं है।

उम्मेदवारकी

योग्यता ।

निर्वाचकोंकी नामावली इंग्लैण्डमें जिन लोगोंके नाम रूलेमें हैं वे ही निर्वाचन होते हैं।

कारी इलेक्टरल रोल तैयार करता है वह रजिस्ट्रार रिट्टी कहलाता है। परन्तु जिनो अनुभवसे कि मेरा नाम इलेक्टरल रोलमें नहीं है वह रोल अथवा अनुभवका नाम है और वह रोल जो अक्सर इलेक्टरल रोलका नाम होता है, वह जिन अर्थारिटों कहलाता है। इस प्रकारका नाम याद रोलका जो अन्तिम रूप होता है उसमें नाम होते हैं, वे ही निर्वाचनमें बने रहनेवाले हैं।

कार है और बंगाल आदि कई प्रदेशोंकी सभाओंने इसका उपयोग भी किया है। इससे आशा है कि मताधिकार प्राप्त व्यक्तियोंकी संख्या अगले निर्वाचनके लिये ६०,००,००० से अधिक हो जायगी। सम्पन्न मनुष्योंको ही नगरों और गावोंमें मताधिकार दिया गया है। जो मालगुजारी, सेस, इनकम टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, या चौकीदारी टैक्स देते हैं, अथवा मजान मालिक या किरायेदार हैं उन्हींने मताधिकार पाया है। परन्तु पेनशनिये या पुराने फौजी सिपाहियोंको भी मताधिकार मिला है और इनके लिये हैसियतका पचडा नहीं लगाया गया है।

कौन्सिलके मंत्रोंको निर्वाचन करनेके लिये मतदाताओंका जो समूह होता है, वह इलेक्टरेट इलेक्टरेट। कहाता है। इलेक्टरेट तीन प्रकारका होता है, जेनरल, स्पेशल और कम्यू नल। जेनरल इलेक्टरेटमें गैर मुस्लिम ही होते हैं। पञ्जावमें सिक्ख भी जेनरल इलेक्टरेटमें शामिल किये गये हैं, क्योंकि इसका नाम जेनरल नान मुहम्मदन (गैरमुस्लिम) इलेक्टरेट रखा गया है। स्पेशल इलेक्टरेटमें जमीन्दार, विश्वविद्यालय, व्यापार वाणिज्य तथा उद्योगधन्धों और खानवालों तथा नील या चायकी खेती करनेवालोंकी संस्थाएँ हैं। कम्यूनल इलेक्टरेटमें धर्म वा निर्वाचक होते हैं। इनमें मुसलमानों, ईसा- और यूरोशियनोंके निर्वाचक होते हैं। सबके

पंजाबकी व्यवस्थापिका समाने निर्वाचकमें इनमें कोई गुण होना चाहिये—इलेक्टरल रोल बननेके पहले १२ महीने तक (१) मालगुजारी देनेवाली जमीनको छोड़ पेसी स्थावर सम्पत्तिका मालिक हो, चाहे यह उस जमीनपर मकान ही क्यों न हो जिसकी लागत कमसे कम ४०००) हो या जिसका सालाना किराया ६६) हो, (२) ५०) पर म्यूनिसिपल या कैम्पूनमेंट टैक्स देता हो, (३) जेठदार, इनामदार, सन्नेदपोश या लम्बरदार हो, (४) कमसे कम २०) सालाना मालगुजारी देनेवाला पट्टेदार हो । परिषदके निर्वाचकको १५०००) की लागतका मकान या बगलेके मालिक या ३३०) सालानाका किरायेदार या १००) मालगुजारी या ५०००) पर इनकम टैक्स देना चाहिये ।

बिहार-उड़ीसेमें जो (१) कमसे कम ३) सालाना म्यूनिसिपल या कैम्पूनमेंट टैक्स या अन्य टैक्स देता हो, या (२) जमीन्दारीका मालिक या हिस्सेदार हो और अपने नामसे १२) सालानालोकल सेस सरकारी खजानेमें देना हो, या (३) जमीनका पट्टा लिये हो और लोकल सेसके लिये १००) का उसका पट्टा माना जाता हो, या (४) रैयतकी हैसियतसे (अ) उड़ीसे और छोटे नागपुरमें १६) लगान और आठ आने सेस या (आ) पटना और मुंगेर जिलोंमें ६५) लगान और २) सेस, या (इ) सन्याल परगनेमें २४ लगान और बारह आने सेस या (ई) अन्यत्र ४८) लगान और १॥) सेस देता हो, चढ़ी निर्वाचक हो

सार कमसे कम १) रोड और पब्लिक वर्क्स सेस देता हो ।
 (३) २) चौकीदारी टैक्स या यूनियन रेट देता हो । परिषद्के
 लिये २४) के बदले ६०) टैक्स केलकत्तेमें, ३) के १०)
 चीतपुर-काशीपुर और हवडेमें तथा १) के बदले ५) रोडसेस
 और ५०००) पर इनकम टैक्स देना आवश्यक है ।

युक्तप्रदेशकी व्यवस्थापिका सभाका निर्वाचक वही
 हो सकता है जो निर्वाचनस्थानकी सीमाके दो मीलके
 अन्दर रहता हो और यदि वह स्थान शहर हो और (१) उसमें
 हाउस टैक्स लगता हो और उस मकानका भाडा कमसे कम
 ३६) हो, जिसमें वह मनुष्य रहता हो, या (२) हाउस टैक्स न
 लगता हो तो वह २००) की सालाना आमदनीपर म्युनिसिपल
 टैक्स या इनकम टैक्स देता हो, या (३) जहा हाउस टैक्स या
 म्युनिसिपल टैक्स न लगता हो, वहा कमसे कम ३६) सालाना
 किरायेके मकानमें रहता हो, या (३) मुकररी जमीनपर २५)
 सालाना मालगुजारी देता हो या माफीकी इतनी जमीन उसके
 पास हो जिसपर यदि मालगुजारी लगती तो कमसे कम
 २५) लग सकती, या (४) कुमायूकी पट्टियोंका रहनेवाला हो,
 "फी-सिम्पल" इस्टेटका मालिक हो या मालगुजारी देता हो या
 स्थायकार हो, या (५) टेनेंट हो और उसके पास इतनी जमीन
 हो जिसके लिये ५०) या उतनेका क्षेत्र वह लगानमें देता हो ।
 परिषद्के लिये १८०) सालाना भाडेके मकानमें रहना या १०००)
 पर म्युनिसिपल टैक्स देना या १५०) मालगुजारी देना चाहिये ।

पञ्जाबकी व्यवस्थापिका सभाके निर्वाचकमें इनमें कोई गुण होना चाहिये — इलेक्टरल रोल बननेके पहले १२ महीने तक (१) मालगुजारी देनेवाली जमीनको छोड़ ऐसी स्थावर सम्पत्तिका मालिक हो, चाहे यह उस जमीनपर मकान ही क्यों न हो जिसकी लागत कमसे कम ४०००) हो या जिसका सालाना किराया ६६) हो, (२) ५०) पर म्यूनिसिपल या कौन्सिलमेंट टैक्स देता हो, (३) जेठदार, इनामदार, सफेदपोश या लम्बरदार हो, (४) कमसे कम २०) सालाना मालगुजारी देनेवाला पट्टेदार हो । परिषदके निर्वाचकको १५०००) की लागतका मकान या चगलेके मालिक या ३३०) सालानाका किरायेदार या १००) मालगुजारी या ५०००) पर इनकम टैक्स देना चाहिये ।

बिहार-उड़ीसेमें जो (१) कमसे कम ३) सालाना म्यूनिसिपल या कौन्सिलमेंट टैक्स या अन्य टैक्स देता हो, या (२) जमीन्दारीका मालिक या हिस्सेदार हो और अपने नामसे १२) सालानालोकल सेस सरकारी खजानेमें देना हो, या (३) जमीनका पट्टा लिये हो और लोकल सेसके लिये १००) का उसका पट्टा माना जाता हो, या (४) रैयतकी हीसियतमें (अ) उड़ीसे और छोटे नागपुरमें १६) लगान और आठ आने सेस या (आ) पटना और मुर्गेर जिलोंमें ६५) लगान और २) सेस, या (इ) मन्थाल परगनेमें २४) लगान और बारह आने सेस या (ई) अन्यत्र ४८) लगान और १॥) सेस देता हो, चर्चा निम्न

सकता है। परिषद्के चोटकरके लिये (१) अपने नामसे सरक
खजानेमें अपनी जमीन्दारी या हिस्सेके लिये पटना डिवीजन
३०), भागलपुर-तिहुत डिवीजनमें २४) तथा उड़ीसे
छोटे नागपुरमें १२) सेस देना, या (२) पट्टेपर जमीन ले
जो सेसके लिये पटनेमें ४००) या छोटे नागपुरमें ३००)
या भागलपुरमें २००) या तिहुतमें १५०) या उड़ीसे
१००) की समझी जाती हो, या (३) रैयतकी हैसियतसे पटना
डिवीजनमें १६०) लगान और ५) सेस, या तिहुत डिवीजन
६६) लगान और ३) सेस, उड़ीसा डिवीजनमें ६४) लगान और
१२) सेस, छाटनागपुर डिवीजनमें ४०) लगान और १) सेस
भागलपुर और मुंगेर जिलोंमें १४५) लगान और ४) सेस
पूर्निया और सन्थाल पर्वना जिलोंमें ६६) लगान और ३) सेस
या ३८४०) पर इनकम टैक्स देना आवश्यक है।

मध्य प्रदेशकी कौन्सिलके चोटकरको (१) किसी मकानके
मालिक या किरायेदार होना चाहिये जिसका किराया ३०)
सालानासे कम न हो, या जहां मकान या इमारतपर टैक्स
लगता हो, वहां २००) सालानापर म्यूनिसिपल या हैसियत
टैक्स देना चाहिये, या (३) किसी महाल या पट्टीका लम्बे
दार या (४) किसी महाल या इस्टेटका मालिक या ठेकेदार
या हिस्सेदार होना चाहिये, जिसकी मालगुजारी या कामि
जमा १००) से कम न हो, या (५) सौर या खुदकाशत जमीन
का मालिक, या ठेकेदार होना चाहिये, जिसे मालिकाना हक

हो या जो मालिक मकबूजा हो और जिसकी जमीनकी रायपुर किलासपुर, द्रग, चादा और बेंतूल जिलोंमें कमसे कम ३० और भडारा गालाघाट, नीमाड, छिदगाड़ा और सिवनी जिलोंमें ४० और दूसरे जिलोंमें ५० मालगुजारी लगती या लग सकती हो । परिषदके घोटरके मकानका किराया नागपुर और जबलपुरमें २४० और अन्यत्र १८० तथा घोटरकी जमीनकी कामिल तमा १०० के बदले ३०० और इन जिलोंमें ३० के बदले ६०, ४० के बदले १२० और ५० के बदले १५० मालगुजारी होनी चाहिये ।

आसाममें वही कौन्सिलका घोटर हो सकता है, जो शिलागमें कमसे कम ३ या नवगावमें २ या सिलहटमें ११) सालाना म्यूनिसिपल या कनटूनमेंट टैक्स या (२) १) यूनियन रेट या (३) सिलहट, कछाड, और ग्वालपाडा जिलोंमें १) चौकीदारी टैक्स देता हो या (४) १५) सालाना मालगुजारीकी जमीनका मालिक हो या १) सेस देता हो । परिषदके निर्वाचकको २०) म्यूनिसिपल या कनटूनमेंट टैक्स, या १०) यूनियन रेट, या २) चौकीदारी टैक्स देना या ४५) सालाना मालगुजारीकी जमीनका मालिक या ३) सेस या ३६००) पर इनकम टैक्स देना चाहिये ।

बर्मामें परिषदके निर्वाचकको अपर वर्गमें १००) गौर लोअर वर्गमें १५०) मालगुजारी या २५) "तथामेव" टैक्स अथवा इनकम टैक्स देना चाहिये ।

दिल्लीमें चोटर कमसे कम १५०००) की लागतके ३३६) सालाना किरायेके मकान या इमारतका मालिक १००) मालगुजारी या ५०००)पर इनकम टैक्स देनेवाला चाड़िये ।

व्यवस्थापिका परिषद्के लिये जमीन्दारों और व्यापारियोंके लिये प्रतिनिधित्वकी यह व्यवस्था है कि मद्रास लैंडहोल्डरों और बम्बईमें गुजरात और महाराष्ट्रके सरदारों व सिन्धके जमीन्दारों तथा अब्जल और द्योयम दर्जेके जागीरदारों निर्वाचकोंकी सूचीमें जिनके नाम होंगे, वे ही चोट दे सकेंगे पर बंगालके प्रेसिडेन्सी और चर्दवान डिवीजनमें ६००) मालगुजारी या १५००) सेस तथा ढाका, राजशाही और चटगा डिवीजनमें ४०००) मालगुजारी और १०००) सेस देनेवाले, बिहार-उड़ीसेमें १००००) मालगुजारी या २५००) सेस देनेवाले, युक्तप्रदेशमें ५०००) पंजाबमें १०००) और मध्यप्रदेश ५०००) मालगुजारी देनेवाले जमीन्दार चोटर हो सकते हैं मद्रासमें १००००) पर इनकम टैक्स देने और कमसे कम १२ दिन रहनेवाले व्यापारी, बम्बईमें १ इंडियन मर्चण्ट्स चेम्बर एंड गुरो, धाम्बे मिलभोनर्स एसोशियेशन तथा अहमदाबाद मिलभोनर्स एसोशियेशनके सदस्य और बंगालमें बंगाल नेशनल चेम्बर ऑफ कामर्स, बंगाल महाजन सभा और मारवाड एसोशियेशनके 'मेम्बर' हिन्दुस्थानी व्यापारी निर्वाचित कर सकते हैं ।

प्रादेशोंमें जमीन्दार इलेक्टकी यह व्यवस्था है कि मद्रासमें उनकी योग्यता वही रखी गयी है जो राज्यसभाके निर्वाचककी है। बम्बईमें गुजरात और महाराष्ट्रके सरदार और इनामदार तथा सिन्धके जागीरदार और जमीन्दार निर्वाचक होते हैं। बंगालमें प्रेसिडेन्सी या यर्द्वान डिवीजनोंमें ४५००) मालगुजारी या ११२५) सेस तथा अन्य डिवीजनोंमें ३०००) मालगुजारी और ७५०) सेस, बिहारमें ४०००) मालगुजारी या १०००) सेस और उड़ीसेमें ६०००) मालगुजारी या ५००) सेस और पंजाबमें ५००) तथा मध्यप्रदेशमें ३०००) मालगुजारी देनेवाले निर्वाचक बनाये गये हैं।


प्रादेशोंमें प्रतिष्ठित वाणिज्य व्यापारकी सस्थाओं तथा चाय और नीलकी खेतीवाली सस्थाओंको भी प्रतिनिधि चुननेका अधिकार है।

कोई सरकारी अफसर या नौकर किसी व्यवस्थापिका सस्थाका मेम्बर नहीं निर्वाचित हो सकता। प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभा में तो गवर्नरकी शासन सभाके सभी मेम्बर सदस्य मनोनीत किये जाते हैं, परन्तु गवर्नर सेनरलकी कौन्सिलके सदस्य भारतीय व्यवस्थापक मण्डलकी एक ही सभाके लिये मेम्बर मनोनीत किये जा सकते हैं, यद्यपि उन्हें मंडलकी दूसरी सभामें उपस्थित होकर अपना वक्तव्य सुनानेका अधिकार होता है। यदि कोई गर-सरकारी मेम्बर सरकारी

नीकरी कर लेता है, तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है और दूसरे मेम्बरका निर्वाचन होता है। गवर्नर-जेनरल या गवर्नर इन सभाओंके मेम्बर नहीं होते, पर इन्हें सभाओंमें अभिभाषण करने और उसके लिये सब मेम्बरोंको उपस्थित होनेकी आज्ञा देनेका अधिकार है। इस अवसरपर व्यवस्थापक मण्डलकी दोनो सभाओंके समासद एकत्र होते हैं।



व्यवस्थापक मण्डल ।



भारतीय व्यवस्थापक मण्डल ब्रिटिश पार्लमेंटके आदर्शपर
मण्डल और उसका कार्यकाल ।

वना है । पार्लमेंटके तीन अङ्ग (महाराज) किंग, लार्ड्स और कामन्स हैं, यद्यपि डूबडू वही बात यहाँ नहीं हो सकती, तथापि किंगकी जगह गवर्नर जनरलको देकर गवर्नर जनरल, कौन्सिल आफ स्टेट (राज्यसभा) और लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली (व्यवस्थापिका परिषद) व्यवस्थापक मण्डलके तीन अङ्ग बनाये गये हैं । राज्यसभाका निर्वाचन प्रति पाचवें वर्ष और व्यवस्थापिका परिषदका तीसरे वर्ष होता है । परन्तु गवर्नर जनरल चाहे तो किसी सभाको इससे कम अवधिमें ही भंग कर सकते अथवा उसका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं । इस प्रकार सभाका विसर्जन होनेके ६ महीनेके अन्दर गवर्नर जनरल एक तारीख नियत करते हैं, जिस दिन सभाका दूसरा दौर आरम्भ होता है । वह अवधि भारतसचिवकी आज्ञासे नौ महीनेतक बढ़ा सकती है ।

राज्यसभाकी रचना ।

राज्यसभामें ३३ निर्वाचित और प्रेसिडेंट समेत २० मनोनीत मेम्बर होते हैं। मनोनीतोंमें प्रेसिडेंटको छोड़ १६ से अधिक सरकारी अफसर नहीं होते।

	निर्वाचित				मनोनीत			
	गैर मुस्लिम	मुस्लिम	सिक्ख	यूरोपियन व्यापारी	कुल	सरकारी अफसर	गैर सरकारी अफसर	कुल
भारत सरकार						१२		१२
मद्रास	४	१			५	१	१	२
बम्बई	३	२		१	६	१	१	२
बंगाल	३	२		१	६	१	१	२
युक्तप्रदेश	३	२			५	१	१	२
पञ्जाब	१	१॥			२॥	१	२	३
वि० उड़ीसा	२॥	१	१		४॥	१		१
बर्मा	१			१	२			
मध्यप्रदेश	२				२			
आसाम	॥	॥			१			
दिल्ली						१		१
	२०	१०	१	३	३४	१६	६	२२

व्यवस्थापिका परिषदकी रचना ।

व्यवस्थापिका परिषदमें १०३ निर्वाचित और सभापतिको छोड़ ४१ मनोनीत सभासद रहते हैं ।

	निर्वाचित						मनोनीत				
	गैर मुस्लिम	मुस्लिम	सिक्ख	गुरोपियन	जमीन्दार	भारतीय व्यापारी	जोड़	सरकारी	गैर सरकारी	कुल जोड़	कुल जोड़
भा० सरकार							१२		१२	१२	
मद्रास	१०	३		१	१	१	१६	२	२	४	२०
बम्बई	७	४		२	१	२	१६	२	४	६	२२
बंगाल	६	६		३	१	१	१७	२	३	५	२२
गुजरात	८	६		१	१		१६	२	१	३	१९
पंजाब	३	६	२		१		१२	१	१	२	१४
त्रि० उड़ीसा	८	३			१		१२	१	१	२	१४
मध्यप्रदेश	४	१			१		६	१	१	१	७
आसाम	२	१		१			४	१	१	१	५
बर्मा	३			१			४		१	१	५
बहार								२	२		२
बलमेर								१	१		१
जोड़	५१	३०	२	६	७	४	१०३	२५	१५	४०	१४३

राज्यसभामें जहां जहा आधे मेम्बरोंकी व्यवस्था है, वहां वहां के लोग वारी वारीसे मेम्बर चुनते हैं। पहले निर्वाचनमें राज्यावके मुसलमानोंको दो मेम्बर अधिक मिलेंगे, पर दूसरे निर्वाचनमें इन मुसलमानोंको एक मेम्बर और बिहारके गर मुस्लिमोंको एक मेम्बर निर्वाचित करनेका अधिकार होगा।

बरारका भी एक मेम्बर होता है, पर कानून बरार ब्रिटिश भारतमें नहीं है, इसलिये बरारके निर्वाचित मेम्बरको सरकार मनोनीत कर देती है। इसीसे राज्यसभाके ३३ मेम्बरोंके बदले ३४ निर्वाचित और २६ मनोनीत मेम्बरोंके बदले २५ मनोनीत मेम्बर दिख रहे हैं।

व्यवस्थापिका परिषद् अथवा राज्यसभाका निर्वाचन हो चुकनेपर गवर्नर-जेनरल उनकी मीटिंगके मेम्बर और प्रेसिडेंट । लिये दिन और स्थान नियत करते हैं और परिषद् और सभाके सेक्रेटरी प्रत्येक मेम्बरको समन भेजते हैं कि अमुक स्थानपर अमुक दिन आइये। मेम्बरोंके यथासमय एकत्र होनेपर प्रत्येकको राज-सत्तिकी सौगन्द धानी पडती है। जो मेम्बर नियत समयके अन्दर शपथ नहीं करता, उसका स्थान रिक्त बताकर गवर्नर-जेनरल उस स्थानके लिये दूसरे मेम्बरके निर्वाचनकी आज्ञा देते हैं। मनोनीत मेम्बरका स्थान रिक्त होनेपर वे दूसरा मेम्बर मनोनीत कर देते हैं। लगातार दो महीनेतक सभा वा परिषद् के अधिवेशनमें अनुपस्थित रहनेसे भी मेम्बरका स्थान रिक्त हो

जाता है। राज्यसभाका प्रेसिडेंट उसके मेम्बरोंसे ही गवर्नर-जेनरल नियुक्त करते हैं और परिपदके लिये पहले चार वर्षतक प्रेसिडेंट नियुक्त करनेका भी उन्हीको अधिकार है। चार वर्ष बाद परिपद अपना प्रेसिडेंट चुन सकती है, परन्तु उसका निर्वाचन गवर्नर-जेनरलको पसन्द होना चाहिये। राज्यसभाके हर दौरके आरम्भमें मेम्बरोंकी सूचीसे गवर्नर-जेनरल चार चेयरमेन मनोनीत करते हैं, जिनमें प्रेसिडेंटकी अनुपस्थितिमें प्रेसिडेंटके कहनेसे कोई कौन्सिलका सभापतित्व कर सकता है। व्यवस्थापिका परिपदका डिप्टी प्रेसिडेंट निर्वाचित होता है, परन्तु उसका निर्वाचन भी गवर्नर-जेनरलकी पसन्दगी बिना पक्का नहीं होता।

यह समझ लेना चाहिये कि व्यवस्थापक मंडलको नियंत्रित करनेका अधिकार गवर्नर-जेनरल और व्यवस्थापक मंडलकी भारत सरकारको है। इस लिये कार्यपद्धति। अथसे लेकर इतितक सब विषयोंमें गवर्नर-जेनरलका हस्तक्षेप हो सकता है। व्यवस्थापक मंडलकी दोनों सभाओंके अधिवेशन साधारणतः दिनके ११ से ४ वजेतक होते हैं और इनमें प्रश्न और प्रस्ताव किये जाते तथा कानून बनानेके लिये बिल पेश और पास किये जाते हैं। प्रश्नोंके सिवा इन सभाओंका कार्य दो भागोंमें बंटा रहता है, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। सभाके कार्यपर विचार करके गवर्नर-जेनरल गैर-सरकारी कामके लिये दिन निर्धारित कर देते हैं

और इन दिनों गैर सरकारी मेम्बरोंके प्रस्तावों और विलोंपर ही विचार होता है, अन्य दिनोंमें सरकारी काम होता है। किस मेम्बरके विल या प्रस्तावपर विचार होगा इसका निर्णय चिट्ठी उठाकर किया जाता है। किसी दौरके पहले दो दिन एक कागज एक, दो, तीन इत्यादि संख्या लिखकर आफिसमें रख दिया जाता है और जो मेम्बर इस दौरमें कोई प्रस्ताव या विल पेश करना चाहता है, वह नम्बरके सामने अपना नाम लिख देता है। तीसरे दिन कागजके उतने टुकड़े एक बक्समें डाल दिये जाते हैं और सबपर गिनतीकी उतनी ही संख्या लिखी रहती है। बाद एक क्लर्क बिना सोचे विचारे बक्ससे कागज निकाल लेता है और उसमें जो संख्या लिखी रहती है, उसी संख्याका लिस्टका नाम सेक्रेटरी बोलता है और जो नाम होता है, वह सबसे ऊपर लिखा जाता है। इसी क्रमसे बाकी नामोंके लिये चिट्ठी उठायी जाती है। इसे वैल्ट पद्धति कहते हैं। अधिवेशनमें विचारणीय विषयोंकी जो सूची सेक्रेटरी तैयार करता है, उसीके अनुसार कार्य होता है और अध्यक्षकी आज्ञा बिना किसी नवीन विषयपर विचार नहीं होता।

राज्य-सभामें १५ मेम्बरों और व्यवस्थापिका परिषद्में २५ मेम्बरोंकी उपस्थितिके बिना कार्यारम्भ कार्यारम्भ नहीं हो सकता। मेम्बरोंके बैठनेका क्रम अध्यक्ष निश्चित करते हैं। सभाओंकी भाषा अंगरेजी है, परन्तु अंगरेजी न जाननेवाले मेम्बरको किसी

देशी भाषामें बोलनेकी अनुमति अध्यक्ष दे सकते हैं। प्रत्येक मेम्बर अध्यक्षको सम्बोधन कर खड़ा होकर बोलता है और जब अध्यक्ष खड़े होते हैं, तब बैठ जाता है। किन्नी मेम्बरसे प्रश्न भी अध्यक्षद्वारा ही किया जा सकता है। सभाओंमें मेम्बरोंके लिये भाषण-स्वातन्त्र्य है और अपनी स्पीचके लिये उनपर मामला नहीं चलाया जाता, परन्तु उन्हें विचाराधीन मामलेपर कुछ न कहना चाहिये, किसी मेम्बरपर व्यक्तितगत आक्षेप न करना चाहिये, किसी व्यवस्थापिका सभाके कार्यके विषयमें आपत्तिजनक बातों, सम्राट्, गवर्नर-जेनरल, गवर्नर या किसी न्यायालयके आचरणपर आक्षेप न करना चाहिये, राजद्रोह या अपमानसूचक शब्द न कहना चाहिये तथा जान बूझकर सभाके कार्यमें बाधा देनेके उद्देश्यसे अपने भाषणके अधिकारका उपयोग न करना चाहिये। किसी विषयका निर्णय अध्यक्षको छोड़ सभाके मेम्बरोंके बहुमतसे होता है। दोनो ओर समान वोट होनेसे अध्यक्षके घोटसे निपटारा होता है। वोट दो प्रकारसे लिये जाते हैं, एक हा और ना पूछकर और दूसरा दोनो पक्षोंके मेम्बरोंको अलग अलग करके। पहली पद्धति Votes by voices और दूसरी Votes by division कहाती है। पहलि पद्धतिसँ जब कोई मेम्बर सन्तुष्ट नहीं होता, तब दूसरीसे काम लिया जाता है। इसके बाद किसीकी आपत्ति नहीं सुनी जाती। सभामें शान्ति रखना अध्यक्षका कर्तव्य है और इसके लिये किसी मेम्बरको दो एक दिन या एक दौरके लिये सभामें

प्रकारके प्रस्तावके लिये १५ दिनके नोटिसका प्रयोजन होता है। सभा सभित करनेका प्रस्ताव अध्यक्ष पढ़कर मुना देते और पूछते हैं कि सभा प्रस्ताव करनेकी अनुमति देती है या नहीं। यदि आपत्ति को जाती है, तो अध्यक्ष कहते हैं कि जो अनुमति देनेके पक्षमें है, वे खड़े हो जाय आर राज्यसभामें १५ और व्यवस्थापिका परिषदमें २५ मेम्बर खड़े हो जाते हैं तो अध्यक्ष कह देते हैं कि अनुमति है और ४ बजे या इससे पहले प्रस्ताव पर विचार होगा। यदि राज्यसभामें १५ और परिषदमें २५ मेम्बरोंसे कम खड़े होते हैं, तो अध्यक्ष कह देते हैं कि सभाकी अनुमति नहीं है। सिफारिशी प्रस्ताव किसी पास मामलेके धारमें होना चाहिये और उसमें भी तर्क, अनुमान, व्यंग्य वा अपमानजनक शब्द न होने चाहिये। प्रस्ताव उपस्थित किया जाय या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष करेंगे। प्रस्तावक अध्यक्षकी अनुमतिसे अपना प्रस्ताव अन्य मेम्बरसे उपस्थित करा सकता है और चाहे तो वापस भी ले सकता है। मेम्बरके अनुपस्थित होने पर उसका प्रस्ताव रह समझा जायगा। प्रस्तावमें सशोधनके लिये कोई मेम्बर सशोधक प्रस्ताव कर सकता है। पर इसके लिये भी कमसे कम २ दिनका नोटिस देना पडता है। यदि नोटिस न दिया गया हो तो कोई मेम्बर आपत्ति कर सकता है और फिर सशोधक प्रस्ताव उपस्थित करने न करने देना अध्यक्षके हाथमें है। १५ मिनिटसे अधिक कोई मेम्बर किसी प्रस्तावपर नहीं बोल सकता। प्रस्तावके अनुसार कार्य करना न

करना सरकारके अधीन है । स्टैंडिंग आर्डर वा सभाके किसी नियममें संशोधन करानेके प्रस्तावकी सूचना कमसे कम एक महीने पहले देनी पड़ती है । इसके लिये भी सभा सगित करनेके समयकी विधिके अनुसार १५ या २५ मेम्बरोंके अपने स्थानपर खड़े हो जानेसे सभाकी अनुमति समझी जाती है । अनुमति मिल जानेपर संशोधनेच्छुक सभासद प्रस्ताव करता है कि मेरा संशोधनात्मक प्रस्ताव सिलेक्ट कमिटीमें भेजा जाय । इसके पास होनेपर वह सिलेक्ट कमिटीमें भेज दिया जाता है, जिसके चेयरमैन तो प्रेसिडेंट और मेम्बर परिषदमें डिप्टी प्रेसिडेंट और राज्यसभामें अध्यक्षके चुने हुए एक चेयरमैन मेम्बर तथा सभाके चुने सात मेम्बर होते हैं । इसके बाद बिलके बारेमें जो काररवाई होती है, वह स्टैंडिंग आर्डरके विषयमें की जाती है ।

जब कभी कोई कानून बनाना होता है, तब उसका बिल किसी सभामें पेश करनेके लिये सभाकी अनुमति ली जाती है । यदि अनुमति देनेका कोई विरोध करता है, तो अध्यक्ष अनुमति मागनेवाले मेम्बर और उसके विरोधीको रक्षेपसे अपना अपना वक्तव्य सुनानेको कहते हैं और घाद घोट ले लेते हैं । यदि अनुमति मिल जाती है तो बिलका उपस्थापक इनमें कोई प्रस्ताव करता है — (१) सभा इसपर इसी समय अथवा अमुक दिन विचार करे, या (२) यह सिलेक्ट कमिटीमें भेजा

जाय, या (३) लोकमत जाननेके लिये प्रचारित किया जाय । परन्तु यदि सब मंत्रोंको बिलकी प्रति ३ दिन पहले नहीं मिली रहती तो कोई मेम्बर आपत्ति कर सकता है और यदि अध्यक्ष यह नियम स्थगित नहीं करते तो उक्त प्रस्ताव नहीं हो सकता । जिस समय सिलेक्ट कमिटीमें बिल भेजनेका प्रस्ताव किया जाता है, उसी समय दोनो सभाओंकी संयुक्त कमिटीमें भेजनेका प्रस्ताव भी हो सकता है । जिस दिन किसी बिलपर विचार आरम्भ होता है, उस दिन केवल उसके सिद्धान्तपर विचार होता है । परन्तु यदि प्रस्तावक प्रस्ताव करता है कि मेरे बिलपर विचार किया जाय तो कोई मेम्बर इसमें यह सशोधन कर सकता है कि बिल सिलेक्ट कमिटीमें भेजा जाय या लोकमत जाननेके लिये प्रचारित किया जाय । यदि वह सिलेक्ट कमिटीमें भेजनेका प्रस्ताव करे तो भी लोकमत जाननेके लिये प्रचार सम्बन्धी सशोधक प्रस्ताव हो सकता है । लोकमत जाननेके लिये प्रकाशकका प्रस्ताव पास होने और लोकमत जान लेनेपर यदि बिलका प्रस्तावक उसपर विचार कराना चहे, तो उसे प्रस्ताव करना होता है कि वह सिलेक्ट कमिटीमें भेजा जाय ।

प्रत्येक सिलेक्ट कमिटीमें सरकारका ब्राह्मण सदस्य (ला मेम्बर) और सरकारके जिस विभागसे मिलेट कमिटी । बिलका सम्बन्ध होता है, उसका मंत्र तथा बिलका उपस्थापक ये तीनों अवश्य रहते हैं । यदि ला मेम्बर उस सभाका सदस्य नहीं

होता तो परिषदमें डिप्टी प्रेसिडेंट या परिषदका कोई चेयरमैन उसका मेम्बर और चेयरमैन होता है। जो मेम्बर या विलसे सम्बन्ध रखनेवाले विभागका मेम्बर परिषदका मेम्बर न होनेपर भी सिलेक्ट कमिटीके वादानुवादमें सम्मिलित हो सकता है। सिलेक्ट कमिटीके मेम्बरोंके नामोंका प्रस्ताव करते समय इनके नामोंकी आवश्यकता नहीं होती। सिलेक्ट कमिटी विशेषज्ञों और जिनसे उक्त विलका सम्बन्ध होता है, उनकी राय ले तथा विलके गैजेटमें प्रकाशित होनेके तीन महीनेके अन्दर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। जिन विलोंके अनुसार टैक्स लगता है, उनके लिये समयका यह चन्चन नहीं है। कमिटीकी रिपोर्ट अधूरी या प्रारम्भिक और पूरी या अन्तिम दोनो तरहकी होती है। यदि किसी मेम्बरका रिपोर्टके किसी अंशसे मनभेद हो तो वह रिपोर्टपर यह लिखकर सही कर सकता है कि यह सही मनभेदपत्रको दृष्टिमें रखकर की गयी है। इसे अङ्ग्रेजीमें Subject to the note of dissent कहते हैं। इसके साथ ही उसे अपना मनभेदपत्र भी देना होता है। सेक्रेटरी हर रिपोर्ट छपाता और उसकी प्रतिया मेम्बरोंको देता है।

जब विलका प्रस्तावक डिप्टी कमिटीकी रिपोर्टसभामें विलका अन्तिम उपस्थित करता है तो वह प्रस्ताव करता है कि (१) सिलेक्ट कमिटीद्वारा संशोधित विलपर विचार हो, या (२) यह फिर कमिटीमें विचारार्थ भेजा जाय, या (३) लोकमत

विचार ।

ज्ञाननेके लिये प्रचारित किया जाय । प्रस्तावक पदला प्रस्ताव करे तो कोई मेम्बर दूसरा या तीसरा और दूसरा करे तो वह तीसरा प्रस्ताव संशोधक प्रस्ताव रूपसे उपस्थित कर सकता है । यदि प्रस्तावकका पदला प्रस्ताव पास हो जाय, तो कोई मेम्बर उसमें संशोधक प्रस्ताव कर सकता है, पर यदि दो दिन पहले इसका नोटिस न दिया गया हो तो कोई मेम्बर आपत्ति कर सकता है । जब किसी बिलके सम्बन्धमें कोई संशोधक प्रस्ताव नहीं होता और बिलपर विचार करनेका प्रस्ताव पास हो जाता है तब प्रस्तावक प्रस्ताव करता है कि बिल पास किया जाय और बिल पास हो जाता है । परन्तु यदि बिलका संशोधन होना है तो उसी दिन पास करनेपर आपत्ति की जा सकती है । आपत्ति ग्राह्य होनेपर किसी दूसरे दिन बिल पास करनेका प्रस्ताव हो सकता है । किसी प्रस्तावका संशोधक प्रस्ताव संशोधक ही हो सकता है, नाशक नहीं । साथ ही संशोधनका मूल प्रस्तावसे सम्बन्ध होगा चाहिये और वह ऐसा न होना चाहिये जो इसी वर्षके इसी प्रश्नके पहले निर्णयके विरुद्ध हो । वादविवाद समाप्त करनेके लिये कोई मेम्बर प्रस्ताव कर सकता है कि प्रस्ताव पर वोट ले लिये जाय । इसे अङ्गरेजीमें Closure कहते हैं । कोई बिल सभाकी अनुमतिसे वापस भी लिया जा सकता है । उस अवसरमें उक्त बिलके सम्बन्धका सब कार्य बन्द हो जाता है । बिल पास होनेपर प्रेसिडेंटकी सही होती है और

होता तो परिषदमें डिप्टी प्रेसिडेंट या परिषदका कोई चेयरमैन उसका मेम्बर और चेयरमैन होता है। एका मेम्बर या विलसे सम्बन्ध रखनेवाले विभागका मेम्बर परिषदका मेम्बर न होनेपर भी सिलेक्ट कमिटीके वादानुवादमें सम्मिलित हो सकता है। सिलेक्ट कमिटीके मेम्बरोंके नामोंका प्रस्ताव करते समय इनके नामोंकी आवश्यकता नहीं होती। सिलेक्ट कमिटी विशेषज्ञों और जिनसे उक्त बिलका सम्बन्ध होता है, उनकी राय ले तथा बिलके गैजेटमें प्रकाशित होनेके तीन महीनेके अन्दर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। जिन बिलोंके अनुसार टैक्स लगता है, उनके लिये समयका यह बन्धन नहीं है। कमिटीकी रिपोर्ट अधूरी या प्रारम्भिक और पूरी या अन्तिम दोनों तरहकी होती है। यदि किसी मेम्बरका रिपोर्टके किसी अंशसे मतभेद हो तो वह रिपोर्टपर यह लिखकर सही कर सकता है कि यह सही मतभेदरूपको दृष्टिमें रखकर की गयी है। इसे अंग्रेजोंमें Subject to the note of dissent कहते हैं। इसके साथ ही उसे अपना मतभेदपत्र भी देना होता है। सेक्रेटरी हर रिपोर्ट छपाता और उसकी प्रतियाँ मेम्बरोंको देता है।

जब बिलका प्रस्तावक लिडेन्ट कमिटीकी रिपोर्ट समाप्त बिलका अन्तिम उपस्थित करता है तो वह प्रस्ताव करता है कि (१) सिलेक्ट कमिटीद्वारा संशोधित बिलपर विचार हो, या (२) यह फिर कमिटीमें विचारार्थ भेजा जाय, या (३) लोकमत

माननेके लिये प्रचारित किया जाय । प्रस्तावक पहला प्रस्ताव करे तो कोई मेम्बर दूसरा या तीसरा और दूसरा करे तो वह तीसरा प्रस्ताव संशोधक प्रस्ताव रूपसे उपस्थित कर सकता है । यदि प्रस्तावकका पहला प्रस्ताव पास हो जाय, तो कोई मेम्बर उसमें संशोधक प्रस्ताव कर सकता है, पर यदि दो दिन पहले इसका नोटिस न दिया गया हो तो कोई मेम्बर आपत्ति कर सकता है । जब किसी बिलके सम्बन्धमें कोई संशोधक प्रस्ताव नहीं होता और बिलपर विचार करनेका प्रस्ताव पास हो जाता है, तब प्रस्तावक प्रस्ताव करता है कि बिल पास किया जाय और बिल पास हो जाता है । परन्तु यदि बिलका संशोधन होना है तो उसी दिन पास करनेपर आपत्ति की जा सकती है । आपत्ति ग्राह्य होनेपर किसी दूसरे दिन बिल पास करनेका प्रस्ताव हो सकता है । किसी प्रस्तावका संशोधक प्रस्ताव संशोधक ही हो सकता है, नाशक नहीं । साथ ही संशोधनका मूठ प्रस्तावसे सम्बन्ध होना चाहिये और वह ऐसा न होना चाहिये जो इसी वर्षके इसी प्रश्नके पहले निष्पत्तिके विरुद्ध हो । वादविवाद समाप्त करनेके लिये कोई मेम्बर प्रस्ताव कर सकता है कि प्रस्ताव पर घोट ले लिये जाय । इसे अङ्गरेजीमें Closure कहते हैं । कोई बिल समाप्त करनेसे आपत्ति भी लिया जा सकता है । उस अवस्थामें उक्त बिलके सम्बन्धका सब कार्य बन्द हो जाता है । बिल पास होनेपर प्रेसिडेंटकी सहायता होती है और

होता तो परिषद्में लिपटी प्रेसिडेंट या परिषद्का कोई चेयरमैन उसका मेम्बर और चेयरमैन होता है। हा मेम्बर या विलसे सम्बन्ध रखनेवाले विभागका मेम्बर परिषद्का मेम्बर न होनेपर भी सिलेक्ट कमिटीके चादानुवादमें सम्मिलित हो सकता है। सिलेक्ट कमिटीके मेम्बरोंके नामोंका प्रस्ताव करते समय इनके नामोंकी आवश्यकता नहीं होती। सिलेक्ट कमिटी रिपोटकों और जिनसे उक्त विलका सम्बन्ध होता है, उनकी राय ले तथा विलके गेजेटमें प्रकाशित होनेके तीन महीनेके अन्दर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। जिन विलोंके अनुसार टैक्स लगता है, उनके लिये समयका यह बन्धन नहीं है। कमिटीकी रिपोर्ट अधूरी या प्रारम्भिक और पूरी या अन्तिम दोनों तरहकी होती है। यदि किसी मेम्बरका रिपोर्टके किसी अंशसे मनभेद हो तो वह रिपोर्टपर यह लिटाकर सही कर सकता है कि यह सही मनभेदपत्रको दृष्टमें रखकर की गयी है। इसे अङ्गरेजीमें Subject to the note of dissent कहते हैं। इसके साथ ही उसे अपना मनभेदपत्र भी देना होता है। सेक्रेटरी हर रिपोर्ट छपाता और उसकी प्रतिया मेम्बरोंको देता है।

जब विलका प्रस्तावक सिलेक्ट कमिटीकी रिपोर्ट समामें विलका अन्तिम उपस्थित करना है तो वह प्रस्ताव करता है कि (१) सिलेक्ट कमिटीद्वारा विचार। संशोधित विलपर विचार हो, या (२) यह फिर कमिटीमें विचारार्थ भेजा जाय, या (३) लोकमत

ज्ञाननेके लिये प्रचारित किया जाय । प्रस्तावक पहला प्रस्ताव करे तो कोई मेम्बर दूसरा या तीसरा और दूसरा करे तो वह तीसरा प्रस्ताव संशोधक प्रस्ताव रूपसे उपस्थित कर सकता है । यदि प्रस्तावकका पहला प्रस्ताव पास हो जाय, तो कोई मेम्बर उसमें संशोधक प्रस्ताव कर सकता है, पर यदि दो दिन पहले इसका नोटिस न दिया गया हो तो कोई मेम्बर आपत्ति कर सकता है । जब किसी बिलके सम्बन्धमें कोई संशोधक प्रस्ताव नहीं होता और बिलपर विचार करनेका प्रस्ताव पास हो जाता है, तब प्रस्तावक प्रस्ताव करता है कि बिल पास किया जाय और बिल पास हो जाता है । परन्तु यदि बिलका संशोधन होता है तो उसी दिन पास करनेपर आपत्ति की जा सकती है । आपत्ति ग्राह्य होनेपर किसी दूसरे दिन बिल पास करनेका प्रस्ताव हो सकता है । किसी प्रस्तावका संशोधक प्रस्ताव संशोधक ही हो सकता है, नाशक नहीं । साथ ही संशोधनका मूल प्रस्तावसे सम्बन्ध होना चाहिये और वह ऐसा न होना चाहिये जो इसी वर्षके इसी प्रश्नके पहले निर्णयके विरुद्ध हो । वादविवाद समाप्त करनेके लिये कोई मेम्बर प्रस्ताव कर सकता है कि प्रस्ताव पर वोट ले लिये जाय । इसे अङ्गरेजीमें Closure कहते हैं । कोई बिल सभाकी अनुमतिसे वापस भी लिया जा सकता है । उस अवस्थामें उक्त बिलके सम्बन्धका सब कार्य बन्द हो जाता है । बिल पास होनेपर प्रेसिडेंटकी सही दोती है और

होता तो परिषद्में डिप्टी प्रेसिडेंट या परिषद्का कोई चेयरमैन उसका मेम्बर और चेयरमैन होता है। ला मेम्बर या विलसे सम्बन्ध रखनेवाले विभागका मेम्बर परिषद्का मेम्बर न होनेपर भी सिलेक्ट कमिटीके चादानुवादमें सम्मिलित हो सकता है। सिलेक्ट कमिटीके मेम्बरोंके नामोंका प्रस्ताव करते समय इनके नामोंकी आवश्यकता नहीं होती। सिलेक्ट कमिटी रिशेपहों और जिनसे उक्त विलका सम्बन्ध होता है, उनकी राय ले तथा विलके गैजेटमें प्रकाशित होनेके तीन महीनेके अन्दर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। जिन विलोंके अनुसार टैक्स लगता है, उनके लिये समयका यह बन्धन नहीं है। कमिटीकी रिपोर्टे अधूरी या प्रारम्भिक और पूरी या अन्तिम दोनों तरहकी होती है। यदि किसी मेम्बरका रिपोर्टके किसी अंशसे मतभेद हो तो वह रिपोर्टपर यह लिखकर सही कर सकता है कि यह सही मतभेदमको दृष्टिमें रखकर की गयी है। इसे अङ्गरेजीमें Subject to the note of dissent कहते हैं। इसके साथ ही उसे अपना मतभेदपत्र भी देना होता है। सेक्रेटरी हर रिपोर्ट छपाता और उसकी प्रतियाँ मेम्बरोंको देता है।

जब विलका प्रस्तावक सिलेक्ट कमिटीकी रिपोर्ट सभामें विलका अन्तिम उपस्थित करता है तो वह प्रस्ताव करता है कि (१) सिलेक्ट कमिटीद्वारा संशोधित विलपर विचार हो, या (२) यह फिर कमिटीमें विचारार्थ भेजा जाय, या (३) लोकमत

विचार ।

जाता है, तो वहासे पास होनेपर व्यवस्थापिका परिषद्में विचारार्थ उपस्थित किया जाता है। हर बिल ६ महीनेके अन्दर दोनो सभाओंसे सशोधन वा विना सशोधनके पास होना चाहिये और उस संशोधनके विषयमें अन्य सभाकी सम्मति होनी चाहिये। यदि दोनो सभाएँ सशोधनके विषयमें सहमत न हुईं, तो गवर्नर-जेनरलको अधिकार है कि बिल दोनो सभाओंके संयुक्त अधिवेशनमें विचारार्थ भेजे। जब दोनो सभाओंसे कोई बिल पास हो जाता है, तब वह गवर्नर-जेनरलकी स्वीकृतिके लिये भेजा जाता है। गवर्नर-जेनरलको अधिकार है कि उसे स्वीकार करें या अस्वीकार। यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया तो वह ऐक्ट (कानून) बन जाता है। उनकी स्वीकृति विना कोई बिल ऐक्ट नहीं हो सकता। गवर्नर-जेनरल किसी बिल को सम्राटकी स्वीकृतिके लिये भी रद्द सकते हैं और ऐसा बिल सम्राट और प्रिन्सिपलकी स्वीकृतिके बिना कानून नहीं बन सकता। गवर्नर-जेनरल बिल स्वीकार करके उसकी एक प्रति भारतसचिवको भेज देते हैं और सम्राटको अधिकार होता है कि उसे नापास कर दे। नापास होनेका समाचार पाकर गवर्नर-जेनरल सूचना प्रकाशित कर देते हैं और इस दिनसे वह ऐक्ट रद्द हो जाता है। परन्तु इस बीचमें उसके अनुसार को हुई कार्रवाई रद्द नहीं होती।

उल्लिखित अधिकारोंके सिवा गवर्नर-जेनरलको विशेष अधिकार भी हैं। यदि कोई सभा किसी बिलके पेश करनेकी अनुमति न दे अथवा जिस रूपमें गवर्नर-जेनरल उसे पास कराना चाहें, उसमें पास न करे तो उस बिलके

गवर्नर-जेनरलके विशेष अधिकार ।

प्रस्तावपर आपत्ति कर सकता है। यदि परिपदके निर्णयके विरुद्ध गवर्नर-जेनरल अपने विशेष अधिकारसे किसी मागको मजूर कर देते हैं, तो अर्थ-व्यवस्था-सदस्य यथासाध्य शीघ्र ही सभामें उस विषयका चक्रव्य उपस्थित करते हैं जिसमें बताया जाता है कि क्या काररवाई की गयी है। इसपर न कोई बहस होती है और न प्रस्ताव ही। बजेट पेश हो चुकने बाद गवर्नर-जेनरल उसपर बहस करनेके लिये एक दिन नियत करते हैं। इस दिन सारे बजेटपर अथवा सिद्धान्तके किसी प्रश्नपर विचार होता है और अन्तमें अर्थसदस्य-मेम्बरोंकी धारतोंका जवाब देते हैं। बजेटकी तीसरी अवस्था अर्थात् सरकारकी मागोंपर बहस १५ दिन चलती है, पर किसी एक मांगपर दो दिनसे अधिक बहस नहीं हो सकती। एक ही मागके बारेमें जब एकसे अधिक प्रस्ताव होते हैं, तब मागोंके धारतोंके अनुसार उनका विचार होता है। जब किसी धारतेके लिये मजूर की हुई रकमसे अधिक रकम पार्च कर दी जाती है तो उसके लिये वैसे ही माग पेश की जाती है, मानो वह नयी माग हो। जब कभी किसी धारतेमें मजूरकी हुई रकमसे पूरा नहीं पडता अथवा बीचमें आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तब उसके लिये बीचमें ही माग पेश की जाती है।

सब बिल व्यवस्थापक मंडलकी दोनो सभाओंसे पास होने चाहिये, इस लिये यदि कोई बिल पहले बिल और ऐक्ट । व्यवस्थापिका परिपदमें पेश होकर पास हो जाता है, तो राज्यसभामें विचारार्थ उपस्थित किया जाता है और यदि पहले राज्यसभामें पेश किया

करनेका अधिकार दिया गया है। जब कभी किसी मतभेदके सम्बन्धमें एक साथ विचार करनेपर दोनो सभाएँ सम्मत होती हैं, तो कानफरेन्सकी जाती है और इसमें दोनो सभाओंके सभासदोंकी समान सख्या होती है। कानफरेन्सको अपनी कार्यपद्धति निश्चित करनेका अधिकार है। परन्तु दोनो सभाओंका संयुक्त अधिवेशन गवर्नर-जनरलके नोटिफिकेशनके अनुसार होता है और राज्यसभाका अध्यक्ष उसका सभापति होता तथा साधारणतः राज्यसभाकी पद्धति ही संयुक्त अधिवेशनकी कार्यपद्धति होती है।

अप्रैलसे मार्चतक सरकारी अर्थिक वर्ष होता है। आर्थिक पब्लिक एकाउन्ट्स वर्ष आरम्भ होते ही भारतसरकारके कर्मिटी। एच खातो और उनकी जाचके लिये १२ आदमियोंकी पब्लिक एकाउन्ट्स कर्मिटी बनायी जाती है। इनमें कमसे कम आठको तो परिषद्के गैरसरकारी मेम्बर सिंगल ट्रेन्सफरेबल वोटके अनुसार प्रोपोसि नेट प्रतिनिधित्वके * सिद्धान्तपर चुनते हैं और बाकी चारको

७. वोट लेनेकी दो पद्धतियाँ हैं, एक मैजोरिटी वोट और दूसरा सिंगल ट्रेन्सफरेबल वोट। मैजोरिटी वोटमें जिन उम्मेदवारोंको सबसे अधिक वोट मिलते हैं, वे ही चुने जाते हैं। अर्थात् १५ उम्मेदवार और ५ सीटें वा स्थान यदि हो तो इनमें जिन ५ उम्मेदवारोंको सबसे अधिक वोट मिलेगे, वे ही चुने जायगे। पर नही नम्बरके होता। वहा उम्मेदवारोंको

के सम्यन्ध, प्रादेशिक विषयके नियंत्रण, प्रादेशिक व्यवस्थापिका-सभाका कोई कानून रद्द या संशोधन और गवर्नर-जेनरलके वनाये किसी ऐक्ट या आर्डिनैन्सको रद्द या संशोधन, करनेके लिये कोई बिल गवर्नर-जेनरलकी आज्ञा लिये बिना व्यवस्थापक-मंडलमें नहीं उपस्थित किया जा सकता । गवर्नर-जेनरलके अधिकारोंपर विचार करनेसे जाना जाता है कि, उन्हें सब अधिकार हैं और व्यवस्थापक मंडलको कुछ भी नहीं ।

कभी कभी कोई बिल ऐसे महत्वका होता है कि सिलेक्ट सयुक्त कमिटी, कमिटीमें उसे न भेजकर दोनो सभाओंकी कानफरेन्स और सयुक्त कमिटीमें भेजना अधिक उपकारी सयुक्त अधिवेशन । प्रतीत होता है । यदि इस आशयका प्रस्ताव किसी सभामें पास हो जाता है कि अमुक बिल दोनो सभाओंकी कमिटीमें भेजा जाय तो दूसरी सभाको संदेश भेजा जाता है और उससे सम्मत होनेको कहा जाता है । सभाओंमें पत्रव्यवहार सेक्रेटारियोंकी भांति ही होता है । यदि दूसरी सभा इसपर सम्मत हो जाती है तो दोनो सभाएं अपने अपने मेम्बर चुनती हैं । कमिटी ही अपना सभापति चुनती है और सब मेम्बरोंका एक ही एक वोट होता है, पर यदि किसी विषय पर दोनो ओर समान वोट होते हैं तो वह नापास समझा जाता है । राज्यसभा उच्च सभा है, इस लिये, उसके अध्यक्षको इस कमिटीका ही नहीं, बल्कि कानफरेन्सका समय और स्थान निर्दिष्ट और दोनो सभाओंके सयुक्त अधिवेशनमें सभापतित्व

करनेका अधिकार दिया गया है। जय कभी किसी मतभेदके सम्बन्धमें एक साथ विचार करनेपर दोनो सभाएँ सभमत होती हैं, तो कानफरेन्सकी जाती है और इसमें दोनो सभाओंके सभासदोंकी समान सख्या होती है। कानफरेन्सको अपनी कार्यपद्धति निश्चित करनेका अधिकार है। परन्तु दोनो सभाओंका संयुक्त अधिवेशन गवर्नर जनरलके नोटिफिकेशनके अनुसार होता है और राज्यसभाका अध्यक्ष उसका सभापति होता तथा साधारणतः राज्यसभाकी पद्धति ही संयुक्त अधिवेशनकी कार्यपद्धति होती है।

अप्रैलसे मार्चतक सरकारी अर्थिक वर्ष होता है। आर्थिक पत्रिका एकाउट्स वर्ष आरम्भ होते ही भारतसरकारके कर्मिटी। एवं खातों और उनकी जाचके लिये १२ आदमियोंकी पत्रिका एकाउट्स कर्मिटी बनायी जाती है। इनमें कमसे कम आठको तो परिषदके गैरसरकारी मेम्बर सिंगल ट्रेन्सफरेबल वोटके अनुसार प्रोपोश नेट प्रतिनिधित्वके सिद्धान्तपर चुनते हैं और बाकी चारको

६ वोट लेनेकी दो पद्धतियाँ हैं, एक मैजोरिटी वोट और दूसरा सिंगल ट्रेन्सफरेबल वोट। मैजोरिटी वोटमें जिन उम्मेदवारोंको सबसे अधिक वोट मिलते हैं, वे ही चुने जाते हैं। अर्थात् १५ उम्मेदवार और ५ सीटें वा ह्यान यदि हो तो इनमें जिन ५ उम्मेदवारोंको सबसे अधिक वोट मिलेगे, वे ही चुने जायेंगे। पर सिंगल ट्रेन्सफरेबल वोटमें ऐसा नहीं होता। वहाँ उम्मेदवारोंको नम्बर दिये जाते हैं और जिसको एक म्बरके

के सम्बन्ध, प्रादेशिक विषयके नियंत्रण, प्रादेशिक व्यवस्थापिका, सभाका कोई कानून रद्द या संशोधन और गवर्नर-जेनरलके चनाये किसी ऐक्ट या आर्डिनैन्सको रद्द या संशोधन करनेके लिये कोई बिल गवर्नर-जेनरलकी आज्ञा लिये बिना व्यवस्थापक मंडलमें नहीं उपस्थित किया जा सकता । गवर्नर जेनरलके अधिकारोंपर विचार करनेसे जाना जाता है कि उन्हें सब अधिकार हैं और व्यवस्थापक मंडलको कुछ भी नहीं ।

कभी कभी कोई बिल ऐसे महत्वका होता है कि सिलेक्ट सयुक्त कमिटी, कमिटीमें उसे न भेजकर दोनो सभाओंकी कानफरेन्स और सयुक्त कमिटीमें भेजना अधिक उपकारी सयुक्त अधिवेशन । प्रतीत होता है । यदि इस आशयका प्रस्ताव किसी सभामें पास हो जाता है कि अमुक बिल दोनो सभाओंकी कमिटीमें भेजा जाय तो दूसरी सभाको संदेश भेजा जाता है और उससे सम्मत होनेको कहा जाता है । सभाओंमें पत्रव्यवहार सेक्रेटारियोंकी मार्फत ही होता है । यदि दूसरी सभा इसपर सम्मत हो जाती है तो दोनो सभाएं अपने अपने मेम्बर चुनती हैं । कमिटी ही अपना सभापति चुनती है और सब मेम्बरोंका एक हो एक चोट होता है, पर यदि किसी विषय पर दोनो ओर समान चोट होते हैं तो वह नापास समझा जाता है । राज्यसभा उच्च सभा है, इस लिये उसके अध्यक्षको इस कमिटीका ही नहीं, बल्कि कानफरेन्सका समय और स्थान निर्दिष्ट और दोनो सभाओंके सयुक्त अधिवेशनमें सभापतित्व

प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाएं ।

— १२५ —

१९१६ के गवर्नमेंट आक्ट ३ डिया ऐक्टसे गवर्नरोंके प्रादेशोंमें
ही व्यवस्थापिका सभाएं रह गयी हैं ।

सभाका कार्यकाल लेफ्टेनेंट गवर्नरिया उठ गयी है और
चीफ कमिशनरियोंके लिये कानून
बनानेका काम व्यवस्थापक मंडलने ले लिया है । प्रादेशिक
व्यवस्थापिका सभाओंका विर्वाचन भी तीसरे वर्ष होता है और
इनको समयसे पहले ही भंग करने या इनका कार्यकाल एक
वर्ष तक बढ़ा देने तथा सभाभंग करनेके ६ महीनेके अन्दर और
भारतसचिवकी अनुमतिसे नौ महीनेके अन्दर नये विर्वाचनके
लिये तारीख डाल देनेका अधिकार उसी तरह गवर्नरको है,
जिस तरह व्यवस्थापिका परिषदके चारोंमें गवर्नर जनरलको है ।

प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाको अपने प्रदेशके सुशासन
और शान्तिके लिये कानून बनानेका
सभाका कार्य । अधिकार है, परन्तु वह यदि नीचे लिखे
विषयोंके सम्यन्धमें कानून बनानेका
विचार करना चाहे तो उसे पहले गवर्नर-जनरलकी मजूरी ले
लेनी पड़ती है :—

- (१) नीचे लिखे टैक्सोंको छोड़ नया टैक्स लगाना या नया
टैक्स लगानेका अधिकार देना :—

गवर्नर-जेनरल मनोनीत करते हैं। भारतसरकारका अर्थसदस्य भी इसका मेम्बर होता है और यही चेयरमैन होता है। कमिटी काम हिसाब और आडिटकी जांच करके इसका निश्चय करती है कि परिषदने जिस खातेमें खर्च करनेके लिये रकम मंजूर की थी, उन्हीमें खर्च हुई है या नहीं और इसी प्रकार वह यह भी निश्चय करती है कि वह मद्द परिषदमें बताये जातेमें आती है या नहीं। इस कमिटीका यह भी कर्त्तव्य है कि परिषदको बतावे कि किस किस मद्दकी रकम किस किस दूसरी मद्दमें खर्च की गयी है तथा एक ग्राटके अन्दर जो रकम किसी दूसरी मद्दमें खर्च हुई है, वह अर्थव्यवस्था विभागके नियमानुकूल है या नहीं। इसके सिवा उक्त विभाग जिस खर्चकी ओर परिषदका ध्यान आकर्षित करना चाहता है वह भी इस कमिटी द्वारा ही परिषदको बताया जाता है।

यथेष्ट वोट मिलते हैं, वह निर्वाचित होता है। इस पद्धतिमें पहले सब वोट जोड़ लिये जाते हैं और बाद उम्मेदवारोंकी सख्यामें एक जोड़कर इससे वोटोंकी सख्याको भाग देते हैं। जो भागफल आता है, वह प्रत्येक उम्मेदवारके लिये वोटोंकी आवश्यक सख्या मानी जाता है। इसे अगरेजीमें "कोटा" कहते हैं। जिन उम्मेदवारोंको इतने वोट मिल जाते हैं, वे निर्वाचित समझे जाते हैं। परन्तु यदि और मेम्बरोंकी आवश्यकता होती है तो उन मेम्बरोंके जस्तसे ज्यादा वोट बाकी उम्मेदवारोंको दिये (ट्रान्सफर किये) जाते हैं। जब २ नं० पाये हुए लोगोंको ये फालतू वोट देनेपर भी स्थानोंकी पूर्ति नहीं होती तो ट्रैन्सफरका कार्य जारी रहता है। यह सिगल ट्रैन्सफरेबल वोट प्रोपोर्शनेट प्रतिनिधित्वकी पद्धति बड़ी जटिल है, पर इसका महत्व इस बातमें समझा जाता है कि जहाँ बहुमतके कारण अल्प मतवाले न निर्वाचित हो सकते हों, वहाँ इस पद्धतिसे अल्प मतवाले भी निर्वाचित हो सकते हैं।

(७) ऐसे किसी कानूनमें सशोधन होता हो जिसका सशोधन भारत सरकारकी आज्ञाके बिना न होनेका नियम बना हो ।

(८) पार्लमेंटका कोई कानूनन कटता हो ।

प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभामें विलोंपर विचार उसी तरह होता है, जिस तरह व्यवस्थापिका

विल और गवर्नर । परिपदमें और किसी विल वा उसके

किसी अंशको सशोधनके लिये फिर

सभामें भेज देनेका गवर्नरको वैसाही अधिकार है, जैसा गवर्नर जेनरलको । इसके सिवा विलको स्वीकृत वा अस्वीकृत

करने वा गवर्नर-जेनरलकी स्वीकृतिके लिये रफ छोड़नेका अधिकार गवर्नरको है । जब गवर्नर-जेनरलके विचाराथे गवर्नर किसी

विलको रफ छोड़ते हैं तो ६ महीनेके अन्दर या तो वे इसे स्वीकृत दे देते हैं या सम्राटकी स्वीकृतिके लिये रफ छोड़ते हैं अथवा

गवर्नर जेनरलकी सम्मतिसे गवर्नर उसे यह कहकर कौन्सिलमें फिर भेजते हैं कि प्रस्तावित सशोधनोंपर विचार किया जाय ।

पहली अवस्थामें यह प्रकाशित कर दिया जाता है कि गवर्नर-जेनरलने विलको स्वीकृत दे दी है और वह कानून या ऐक्ट हो

जाता है । दूसरी अवस्थामें वह तबतक पेंकट नहीं होता जबतक अपनी प्रिवी कौन्सिलकी सम्मतिसे सम्राट उसे स्वीकृत

नहीं देते । तीसरी अवस्थामें फिर सशोधन वा बिना सशोधनके पास किया हुआ विल अन्य विलोंकी तरह गवर्नरके स्वीकृतिके लिये भेजा जाता है ।

(अ) खेतीकी जमीनको छोड़ दूसरी जमीनपर टैक्स, (आ) सयुक्त कुटुम्बमें उत्तराधिकारपर टैक्स, (इ) कानून न जारी जुएपर टैक्स, (ई) विज्ञापनपर टैक्स, (उ) खेलतमाशोंपर टैक्स, (ऊ) निर्धारित विलासितापर टैक्स, (ऋ) रजिस्ट्रेशन फी (ऋ) स्टाम्प ड्यूटी, और (ल) टोल, जमीन या इमारत, सवारियों, नावों, जानवरों, घरके नौकरचाकरोंपर टैक्स, चुगौ, टर्मिनल टैक्स, पेशोंपर टैक्स, ग्राइवेट बाजारोंपर टैक्स, कलके पानी, सफाई, ड्रेन, रोशनी आदिके लिये टैक्स ।

- (२) भारतके सरकारी ऋण या कस्टम्स ड्यूटी या दूसरे टैक्सपर जिसका प्रभाव पड़ता हो और जो भारत सरकारकी मजूरीसे लगता हो ।
- (३) जलस्थल और आकाश सेना रखने या उसके विनियानु-शासनसे जिसका सम्बन्ध हो ।
- (४) विदेशी या देशी राजाओंसे भारत सरकारके सम्बन्ध पर जिसका प्रभाव पड़े ।
- (५) जिसका भारत सरकारके अधीन किसी विषयसे सम्बन्ध हो अथवा जिसके लिये भारतीय व्यवस्थापक मंडलके कानून बनानेकी यात नियमोंसे तय हो चुकी हो ।
- (६) भारत सरकारके अधिकारोंमें कसर पड़ती हो ।

निर्वाचित

मनोनीत

प्रदेश	जनरल इलेक्टरेट			कम्यूनल इलेक्टरेट				स्पेशल इलेक्टरेट				सरकारी अफसर		गैर सरकारी अफसर		
	नैर	मुस्लिम	कुल	मुसल-मान	शं दे०	सर्वप्रथम	द्वितीय	कुल	विधवा विद्यालय	जमींदार	शिव और शक्ति	कुल	शं दे०	कुल	शं दे०	
																शं दे०
	शं दे०	शं दे०	शं दे०	शं दे०	शं दे०	शं दे०	शं दे०	शं दे०	शं दे०	शं दे०	शं दे०	शं दे०	शं दे०	शं दे०	शं दे०	
मद्रास	६	५६	६५	२	११	१	५	२०	१	६	६	१३	२३	६	२६	१२७
बम्बई	११	३५	४६	५	२२	२	५	२६	१	३	७	११	२०	५	२५	१११
उत्तर प्रदेश	११	३५	४६	६	३३	५	४६	३०	१	५	१५	२१	२०	६	२६	१३६
पंजाब	७	१३	२०	५	२७	१	३३	३३	१	३	२	१०	१८	५	२३	१२३
बि० उड़ीसा	६	४२	४८	३	१५	१	१६	१६	१	५	२	७	१६	६	२२	६३
मध्य प्रदेश	६	३१	४०	१	६	१	७	१६	१	३	३	७	१०	६	१७	१०३
आसाम	१	३०	३१	१	१२	१	१२	१२	१	३	३	६	६	५	१४	५३

यदि कौन्सिल कोई बिल उस रूपमें नहीं पास करती जिसे गवर्नर उसे पास कराना चाहते हैं, तो गवर्नरके किसी सरकारी बिलके उपस्थित जानेकी अनुमति नहीं देती और बिल रक्षित विषयसे सम्बन्ध होता है तो गवर्नर इस आशयके सर्टिफिकेट लिखकर कि उक्त विषयके हमारे उत्तरदायित्वके अन्तर्गत इसका पास होना आवश्यक है, उसपर हस्ताक्षर कर देता है और वह पास समझा जाता है । ऐसा पेंकट गवर्नर बनाया पेंकट माना जाता है और गवर्नर इसकी एक प्रत गवर्नर-जेनरलको भेज देते हैं और गवर्नर-जेनरल इसे सम्राट् की स्वीकृतिके लिये रख छोड़ते हैं और सम्राट् अपनी स्वीकृति कौन्सिलकी सम्मतिसे जब उसे स्वीकार करते हैं, तब गवर्नर-जेनरल उसकी सूचना निकाल देते हैं और ऐसा पेंकट कौन्सिलके पास हुए पेंकटके समान ही समझा जाता है । तात्कालिक आवश्यकताके समय गवर्नर-जेनरल सम्राट्की स्वीकृतिके लिये न रखकर उसे स्वीकृति दे देते हैं और जबतक सम्राट् अस्वीकृति नहीं प्राप्त होती, तबतक वह कानून समझा जाता है । इस नियमके अनुसार बना पेंकट यथासाध्य शीघ्र ही पार्लमेंटके दोनो सभाओंमें लगातार ८ दिन तक रखा जाता है और इसके पहले सम्राट्की स्वीकृतिके लिये नहीं उपस्थित किया जाता ।

कौंसिलोंकी रचना ।

प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाओंकी रचनाका सिद्धांत है कि इनमें निर्वाचितोंकी संख्या फी सैकड़े ७० से कम और मनोनीतोंकी २० से अधिक न हो ।

निर्वाचित

प्रदेश	जनरल इलेक्टरेट			कम्यूनल इलेक्टरेट						स्पेशल इलेक्टरेट				मनोनीत					
	गैर मुस्लिम	कुल	कुल	मुसल-मान	शं० दे०		सर्वप्रिय	पु० शि०	दु० शि०	कुल	विधवाविधालय	जमींदार	विद्यार्थी	दानधर्म सेवा	कुल	सरकारी अफसर	नैसर्गिकी अफसर	कुल	कुल
					शं०	दे०													
					शं०	दे०													
मद्रास	६	५६	६५	२	११	२	१	५	२०	१	६	१२	६	१२	२२	६	२६	१२७	१३
बम्बई	११	३५	४६	५	२२	२	२	५	२६	२	३	७	७	११	२०	५	२५	११	२५
बंगाल	११	३५	४६	६	३२	५	२	३	४६	१	५	१५	१५	२१	२०	६	२६	१३६	२६
युक्त प्रदेश	८	५२	६०	४	३२	२	२	३	३०	२	६	३	३	२	१८	५	२३	१२३	२३
पंजाब	७	१३	२०	५	२७	१	१	३	४४	२	४	२	२	१	१६	६	२२	१२३	२२
नि० उड़ीसा	६	४२	४८	३	१५	१	१	२	२६	१	५	३	३	२	२०	७	२७	१०२	२७
मध्य प्रदेश	६	३१	४०	१	६	१	१	१	७	१	३	३	३	३	१०	६	१६	७०	१६
आसाम	१	३०	३१	१	१२	१	१	१	१२	१	३	३	३	३	६	५	१४	५३	१४

आनुमानिक आयव्ययका चिह्न या बजेट हरसाल कौन्सिलमें पेश होता है और भारतसरकारके बजेटकी बजेट और गवर्नर । तरह इसकी भी तीन अवस्थाएं होती हैं तथा कौन्सिलके वोटके लिये अन्तिम अवस्था मागोंके रूपमें दिखाई देती है । इन मागों या इनमें किसी मांगको मंजूर या नामंजूर करने या मागकी रकम घटानेका अधिकार कौन्सिलको है । पर कौन्सिल यदि किसी ऐसी मागकी रकम नामंजूर करे या घटा दे जिसका सम्बन्ध रक्षित विषयसे हो, तो गवर्नर यह सर्टिफिकेट देकर कि हमारे उत्तर दायित्वको पूर्ण करनेके लिये यह खर्च आवश्यक है तो प्रादेशिक सरकार समझ लेगी कि वह खर्च पास हो गया है । तात्कालिक आवश्यकताके समय भी यदि गवर्नर अपने प्रदेशकी शान्ति वा सुरक्षा वा किसी विभागका काम चलानेके लिये कोई व्यय

गोटे—मनोनीत सदस्योंमें अफसरोंकी जो संख्या ठीक रखी गयी है वे बढ़ नहीं सकतीं । गवर्नर चाहे तो गैरसरकारी आदमियोंको मनोनीत कर अफसरोंकी संख्या घटा सकते हैं ।

ठाका विश्वविद्यालयका एक और प्रतिनिधि निर्वाचित होनेपर बजाल कौंसिलमें १४० मेंबर हो जायगे ।

नागपुर विश्वविद्यालय बननेतक विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि निर्वाचित न होगा, पर सरकार एक आदमीको विश्वविद्यालय लिये मनोनीत करेगी ।

थासामके शहरोंके मुसलमानोंके प्रतिनिधियोंके लिये

आवश्यक समझे तो वे उसकी आशा दे सकते हैं। परन्तु आमदनी खर्च करनेका प्रस्ताव गवर्नरके कहनेसे ही कौन्सिलमें पेश होता है। भारत सरकारके सम्बन्धमें गवर्नर-जेनरलको और प्रादेशिक सरकारोंके विषयमें गवर्नरको यह अधिकार देनेका अभिप्राय यह है कि बजेटमें क्या खर्च किया जाय, क्या नहीं इसका प्रस्ताव कौन्सिलमें सरकारकी ही ओरसे पेश किया जाय। कौन्सिलको बजेट पास करनेका अधिकार है सही, परन्तु (१) भारत सरकारको सालाना देने, (२) ऋणके व्याज और गोलक, (३) जिस खर्चके लिये कानूनसे रकम मुकर्रर है, (४) सम्राट् या भारतसचिवके नियुक्त किये लोगोंके वेतन और पेंशन तथा हाईकोर्टके जजों और एडवोकेट-जेनरलके वेतनकी रकमें कौन्सिलसे नहीं पास करायी जातीं। कानूनका बनना रोकनेका अधिकार गवर्नरको भी है और कौन्सिलकी कार्यपद्धति व्यवस्थापिका परिषदकी पद्धति जैसी ही है। कहीं किसी कौन्सिलके नियमोंमें कुछ उलट फेर है, जैसे बंगाल कौन्सिलमें प्रश्नके लिये १० के बदले १५ दिन और प्रास्तावके लिये १५ के बदले १० दिनका नोटिस देना पडता है।



आनुमानिक आयव्ययका चिह्न या बजेट हरसाल कौन्सिलमें पेश होता है और भारतसरकारके बजेटकी बजेट और गवर्नर । तरह इसकी भी तीन अवस्थाए होती हैं तथा कौन्सिलके घोटके लिये अन्तिम अवस्था मांगोंके रूपमें दिखाई देती है । इन मांगों या इनमें किसी मागको मजूर या नामजूर करने या मागकी रकम घटानेका अधिकार कौन्सिलको है । पर कौन्सिल यदि किसी ऐसी मागकी रकम नामजूर करे या घटा दे जिसका सम्बन्ध रक्षित विषयसे हो, तो गवर्नर यह सर्टिफिकेट देकर कि हमारे उत्तर दायित्वको पूर्ण करनेके लिये यह खर्च आवश्यक है तो प्रादेशिक सरकार समझ लेगी कि वह खर्च पास हो गया है । तात्कालिक आवश्यकताके समय भी यदि गवर्नर अपने प्रदेशकी शान्ति वा सुरक्षा वा किसी विभागका काम चलानेके लिये कोई व्यय

नोट—मनोनीत सदस्योंमें अफसरोंकी जो संख्या दिखायी गयी है, वे बढ़ नहीं सकतीं । गवर्नर चाहे तो गैरसरकारी आदमियोंको मनोनीत कर अफसरोंकी संख्या घटा सकते हैं ।

डाका विश्वविद्यालयका एक और प्रतिनिधि निर्वाचित होनेपर बंगाल कौंसिलमें १४० मेंबर हो जायगे ।

नागपुर विश्वविद्यालय वननेतक विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि निर्वाचित न होगा, पर सरकार एक आदमीको विश्वविद्यालय शिक्षाकी हितरक्षाके लिये मनोनीत करेगी ।

आसामके शहरोंके मुसलमानोंका इलेक्टरेट अलग नहीं है । इसलिये शिलांगके प्रतिनिधियोंके निर्वाचनमें हिन्दू मुसलमान दोनों भाग लेते हैं ।

सूचना देते हैं, तब पूर्ण कौन्सिलके अधिवेशन होते हैं। उस समय लण्डनके लार्ड मेयर बुलाये जाते हैं। राजकीय तथा अन्य शुभावसरोपर भी पूरी कौन्सिल बुलायी जाती है। नैयमिक अधिवेशनोंमें कुछ ही कौन्सिलर विशेषकर मन्त्रिमण्डलके सदस्य उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो आज्ञाप इसके द्वारा प्रचारित होती हैं, उनसे इन्हींका विशेष सम्बन्ध रहता है। कौन्सिलका प्रधान अफसर लार्ड प्रेसिडेण्ट कहता है। यह मन्त्रिमण्डलका सदस्य होता और ३००००) वार्षिक वेतन पाता है। प्रधान मंत्री और लार्ड चान्सेलरके बाद इसका दर्जा है। इसके अधिन कोई विभाग नहीं होता। इसका मुख्य कर्मचारी "क्लर्क आंव दि कौन्सिल" कहाता है और प्रिवी कौन्सिलकी सब आज्ञाओंपर उसके हस्ताक्षरोंका होना अवश्यक है। लार्ड चान्सेलर, लार्ड्स आंव अपील इन आर्डिनरी, प्रेसिडेंट आंव दि प्रोवेट डिवीजन, लार्ड प्रेसिडेंट आंव दि कोर्ट आंव सेशन्स इन स्काटलैण्ड, लार्ड जस्टिस क्लर्क, लार्ड ऐडवोकेट आंव स्काटलैण्ड कैंटरबरी और यार्कके आर्कबिशप और लण्डनके बिशप सदा प्रिवी कौन्सिलर होते हैं। वनाटक टूयूक और प्रिन्स अर्थर तथा ग्लेसविंग होल्सटोनके प्रिन्स क्रिश्चियन समेत आजकल कोई २१० प्रिवी कौन्सिलर हैं। भारतवासियोंमें कलकत्ता हाइकोर्टके भूतपूर्व जज मि० सैयद अमीर अली, लार्ड सिद्द और धीयुक्त श्रीनिधाम शास्त्रीके सिवा अबतक किसीको प्रिवी कौन्सिलर होनेका नहीं हुआ। प्रिवी कौन्सिलरोंके

प्रिवी कौन्सिल ।



भारतके हाईकोर्टों चीफ कोर्टों और जुडीशल कमिशनरोंके
प्रिवी कौंसिलकी निर्णयके विरुद्ध जो अपीलें विलायतमें
की जाती हैं, वे प्रिवी कौन्सिलकी
रचना । जुडीशल कमिटीमें दायर की जाती हैं ।

प्रिवी कौन्सिल कोई १०० वर्षकी पुरानी सस्था है । पहले इसे
राज्यका शासन, न्याय और अर्थव्यवस्था करनेके भी अधिकार
थे, पर धीरे धीरे वे सब अधिकार जाते रहे और घह नाममात्रकी
प्रिवी कौन्सिल रह गयी । शासनका काम वह कमिटियों वा
बोर्डों द्वारा करती थी । बोर्ड आव ट्रेड, लोकर गवर्नमेंट बोर्ड,
बोर्ड आव एजुकेशन और बोर्ड आव ऐग्रिकलचर कौन्सिलकी
कमिटिया है, जो आजकल सरकारी विभाग हो रही हैं ।
आजकल वास्तविक प्रिवी कौन्सिल मन्त्रिमंडल है । जिसको
कोई सम्मान दिया जाता है और जो वंशपरम्पराके लिये पदवी
नहीं चाहते वे प्रिवी कौंसिलर होते हैं और जो नहीं होते,
वे नियुक्तिपर बना दिये जाते हैं । आजकल प्रिवी कौंसिलका
मुख्य काम इङ्ग्लैण्ड [आदि संयुक्त राज्योंके महाराजकी
पार्लमेण्टका आवाहन करनेकी सम्मति देनामात्र है । नये

सूचना देते हैं, तब पूरी कौन्सिलके अधिवेशन होते हैं। उस समय लण्डनके लार्ड मेयर बुलाये जाते हैं। राजकीय तथा अन्य शुभावसरोंपर भी पूरी कौन्सिल बुलायी जाती है। नैयमिक अधिवेशनोंमें कुछ ही कौन्सिलर विशेषकर मन्त्रिमण्डलके सदस्य उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो आज्ञापत्र इसके द्वारा प्रचारित होती हैं, उनसे इन्हींका विशेष सम्बन्ध रहता है। कौन्सिलका प्रधान अफसर लार्ड प्रेसिडेण्ट कहाता है। यह मन्त्रिमण्डलका सदस्य होता और ३००००) वार्षिक वेतन पाता है। प्रधान मंत्री और लार्ड चान्सेलरके बाद इसका दर्जा है। इसके अधीन कोई विभाग नहीं होता। इसका मुख्य कर्मचारी "क्लर्क आव दि कौन्सिल" कहाता है और प्रिवी कौन्सिलकी सब आज्ञाओंपर उसके हस्ताक्षरोंका होना अवश्यक है। लार्ड चान्सेलर, लार्ड्स आव अपील इन आर्डिनरी, प्रेसिडेंट आव दि प्रोचेट डिवीजन, लार्ड प्रेसिडेंट आव दि कोर्ट आव सेगन्स इन स्काटलैण्ड, लार्ड जस्टिस क्लर्क, लार्ड ऐडवोकेट आव स्काटलैण्ड कैंटरवरी और यार्कके आर्कबिशप और लंडनके बिशप सदा प्रिवी कौन्सिलर होते हैं। बनाटक ड्यूक और प्रिंस अर्थर तथा ग्लेसविग होल्सटोनके प्रिंस क्रिश्चियन समेत आजकल कोई २१० प्रिवी कौन्सिलर हैं। भारतवासियोंमें कलकत्ता हाईकोर्टके भूतपूर्व जज मि० सैयद अमीर अली, लार्ड सिद्द और धीयुक्त श्रीनिवास सिन्हा अग्रतक दिल्लीको प्रिवी कौन्सिलर हुए। प्रिवी कौन्सिलरोंके

प्रिवी कौन्सिल ।



भारतके हाईकोर्टों चीफ कोर्टों और जुडीशल कमिशनरो
प्रिवी कौंसिलकी निर्णयके विरुद्ध जो अपीलें विलायत
रचना । की जाती हैं, वे प्रिवी कौन्सिलके
जुडीशल कमिटीमें दायर की जाती हैं

प्रिवी कौन्सिल कोई १०० वर्षकी पुरानी सस्था है। पहले इ
राज्यका शासन, न्याय और अर्थव्यवस्था करनेके भी अधिक
थे, पर धीरे धीरे वे सब अधिकार जाते रहे और यह नाममात्र
प्रिवी कौन्सिल रह गयी। शासनका काम वह कमिटियों व
बोर्डों द्वारा करती थी। बोर्ड आव ट्रेड, लोकर गवर्नमेंट बो
बोर्ड आव एजुकेशन और बोर्ड आव ऐग्रिकलचर कौन्सिलक
कमिटिया है, जो आजकल सरकारी विभाग हो रही हैं
आजकल वास्तविक प्रिवी कौन्सिल मन्त्रिमंडल है। जिसक
कोई सम्मान दिया जाता है और जो वंशपरम्पराके लिये पदव
नहीं चाहते वे प्रिवी कौंसिलर होते हैं और जो नहीं होते
वे नियुक्तिपर बना दिये जाते हैं। आजकल प्रिवी कौंसिलक
मुख्य काम इङ्ग्लैण्ड [आदि सयुक्त राज्योंके महाराज
पार्लमेण्टका आवाहन करनेकी सम्मति, देनामात्र है। न

सूचना देते हैं, तब पूरी कौन्सिलके अधिवेशन होते हैं। उस समय लण्डनके लार्ड मेयर बुलाये जाते हैं। राजकीय तथा अन्य शुभाघसरोपर भी पूरी कौन्सिल बुलायी जाती है। नैयमिक अधिचशनोंमें कुछ ही कौन्सिलर विशेषकर मन्त्रिमण्डलके सदस्य उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो आज्ञापत्र इसके द्वारा प्रचारित होती हैं, उनसे इन्हीका विशेष सम्बन्ध रहता है। कौन्सिलका प्रधान अफसर लार्ड प्रेसिडेंट कहाता है। यह मन्त्रिमण्डलका सदस्य होता और ३००००) वार्षिक वेतन पाता है। प्रधान मंत्री और लार्ड चान्सेलरके बाद इसका दर्जा है। इसके अधिन कोई विभाग नहीं होता। इसका मुख्य कर्मचारी "क्लर्क आव दि कौन्सिल" कहाता है और प्रिवी कौन्सिलकी सब आज्ञाओंपर उसके हस्ताक्षरोंका होना अवश्यक है। लार्ड चान्सेलर, लार्ड्स आव अपोल इन आर्डिनरी, प्रेसिडेंट आव दि प्रोवेंट डिवीजन, लार्ड प्रेसिडेंट आव दि कोर्ट आव सेशन्स इन स्काटलैण्ड, लार्ड जस्टिस क्लर्क, लार्ड पेडवोकेट आव स्काटलैण्ड कैंटरबरी और यार्कके आर्कबिशप और लण्डनके बिशप सदा प्रिवी कौन्सिलर होते हैं। बनाटक ड्यूक और प्रिन्स अर्थर तथा ग्लेसविग टोल्सटोनके प्रिन्स क्रिश्चियन समेत आजकल कोई २१० प्रिवी कौन्सिलर हैं। भारतवासियोंमें कलकत्ता हाईकोर्टके भूतपूर्व जज मि० सैयद अमीर अली, लार्ड सिंह और ध्रीयुक्त श्रीनिवास शास्त्रीके सिवा अबतक किसीको प्रिवी कौन्सिलर होनेका सीमाग्य प्राप्त नहीं हुआ। प्रिवी कौन्सिलरोंके

प्रिवी कौन्सिल ।



भारतके हाईकोर्टों चीफ कोर्टों और जुडीशल कमिशनरोंके
प्रिवी कौंसिलकी निर्णयके विरुद्ध जो अपीलें विलायतमें
की जाती हैं, वे प्रिवी कौन्सिलकी
रचना । जुडीशल कमिटीमें दायर की जाती हैं ।

प्रिवी कौन्सिल कोई १०० वर्षकी पुरानी सस्था है । पहले इसे राज्यका शासन, न्याय और अर्थव्यवस्था करनेके भी अधिकार थे, पर धीरे धीरे वे सब अधिकार जाते रहे और बह नाममात्रकी प्रिवी कौन्सिल रह गयी । शासनका काम वह कमिटियों वा बोर्डों द्वारा करती थी । बोर्ड आव ट्रेड, लोकर गवर्नमेंट बोर्ड, बोर्ड आव एजुकेशन और बोर्ड आव ऐग्रिकल्चर कौन्सिलकी कमिटिया है, जो आजकल सरकारी विभाग हो रही हैं । आजकल वास्तविक प्रिवी कौन्सिल मन्त्रिमंडल है । जिसको कोई सम्मान दिया जाता है और जो वंशपरम्पराके लिये पदवी नहीं चाहते वे प्रिवी कौंसिलर होते हैं और जो नहीं होते, वे नियुक्तिपर बना दिये जाते हैं । आजकल प्रिवी कौंसिलका मुख्य काम इङ्ग्लैण्ड [आदि सयुक्त राज्योंके महाराजको पार्लमेंटका आवाहन करनेकी सम्मति देनामात्र है । नये शासनके आरम्भमें तथा जब वे अपने प्याहकी

सूचना देते हैं, तब पूरी कौन्सिलके अधिवेशन होते हैं। उस समय लण्डनके लार्ड मेयर बुलाये जाते हैं। राजकीय तथा अन्य शुभावसरोंपर भी पूरी कौन्सिल बुलायी जाती है। नैयमिक अधिवेशनोंमें कुछ ही कौन्सिलर विशेषकर मन्त्रिमण्डलके सदस्य उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो आज्ञापत्र इसके द्वारा प्रचारित होती हैं, उनसे इन्हींका विशेष सम्बन्ध रहता है। कौन्सिलका प्रधान अफसर लार्ड प्रेसिडेण्ट कहाता है। यह मन्त्रिमण्डलका सदस्य होता और ३००००) वार्षिक वेतन पाता है। प्रधान मंत्री और लार्ड चान्सेलरके बाद इसका दर्जा है। इसके अधीन कोई विभाग नहीं होता। इसका मुख्य कर्मचारी "क्लर्क आव दि कौन्सिल" कहाता है और प्रिवी कौन्सिलकी सब आज्ञाओंपर उसके हस्ताक्षरोंका होना अवश्यक है। लार्ड चान्सेलर, लार्ड्स आव अपोल इन आर्डिनरी, प्रेसिडेंट आव दि प्रोवेट डिवीजन, लार्ड प्रेसिडेंट आव दि कोर्ट आव सेगन्स इन स्काटलैण्ड, लार्ड जस्टिस क्लर्क, लार्ड पेडवोकेट आव स्काटलैण्ड कैंटरबरी और यार्कके आर्कबिशप और लण्डनके बिशप सदा प्रिवी कौन्सिलर होते हैं। बनावटके ड्यूक और प्रिन्स अर्थर तथा ग्लेसविग होल्सटोनके प्रिन्स क्रिश्चियन समेत आजकल कोई २१० प्रिवी कौन्सिलर हैं। भारतवासियोंमें कलकत्ता हाईकोर्टके भूतपूर्व जज मि० सैयद अमीर अली, लार्ड सिंह और धीयुक्त श्रीनिवास शास्त्रीके सिवा अबतक किसीको प्रिवी कौन्सिलर होनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। प्रिवी १९८

मंके पहले "राइट आनरेबल" लिखते और घोलते हं । इन्हें
ही वर्दी भी पहननी पडती है ।

१८३३ की १४ वीं आगस्तको पार्लमेंटने प्रिवी कौंसिलकी
जुडीशल कमिटीकी रचनाके विषयमें
कानून बनाया था । कौन्सिलके लार्ड
रचना । प्रेसिडेंट और लार्ड हाई चान्सेलरके
अथवा निम्नलिखित पदोंपर स्थित प्रिवीकौन्सिलर प्रिवी
कौन्सिलकी जुडिशल कमिटीके मेम्बर रहेंगे, लार्ड कीपर आव
ग्रेट सील आव ग्रेट ब्रिटेन, किंगज बेंचके लार्ड चीफ जस्टिस
जज, मस्टर आव दि रोल्स, वाइस-चान्सेलर आव इङ्ग्लैण्ड
कोर्ट आव कामन प्लीजके लार्ड चीफ जस्टिस या जज, कोर्ट
ऑफ एक्सचेकरके लार्ड चीफ बैरन या बैरन, कैंटरबरीके
लार्ड विशोपके प्रिगेटिव कोर्टके जज, जलसेना विभागके
हाईकोर्टके जज, दिवालिया आदालतके चीफ जस्टिस और
प्रिवी कौन्सिलके वे सब मेम्बर जो कभी लार्ड प्रेसिडेंट या
लार्ड चान्सेलर अथवा उक्त किसी पदपर रहे हैं । इनके
तिरिक्त, महाराज अपनी प्रिवी कौंसिलके ऐसे दो
दस्योंको इस कमिटीके मेम्बर नियुक्त करते हैं, जो
भारत या किसी उपनिवेशमें जज रह चुके हैं । इन
दोनोंको कानसोलिडेटेड राजकीय भूसम्पत्तिकी आयसे
वे हुए धनके फण्डसे चार चार सौ पाँएड वार्षिक वेतन
मिलता है ।

जो सब अपीलें व्यवस्था वा प्रथाके अनुसार महाराजके जुडीशल कमिटीका यहाँ पेश होनी चाहिये, वे जुडीशल कार्य । कमिटीमें पेश होती हैं और उनपर

विचारकर जुडीशल कमिटी जो निर्णय करती है, वही महाराजका निर्णय समझा जाता है । परन्तु यह निर्णय महाराजको परामर्श देनेके लिये प्रस्तावका रूप प्रारण करता है । मंत्रियोंमें चाहे मतभेद ही क्यों न हो, पर प्रयत्न-प्रस्ताव सर्वसम्मत् होता है । अदालतकी तरह मामलोंपर वैरिस्टर बहस करने हैं और चाही प्रतिवादीको यह मामलोंका पत्र भी दिलाता है । हिन्दुस्थानसे बड़े बड़े दंगाना मामले ही बहुत करके जुडीशल कमिटीमें पहुँचते हैं । फौजदारी मामले बहुत कम जाते हैं । पहले अपीलकी याज्ञा करने लिये प्रार्थना करनी पड़ती है और जब याज्ञा मिल जाती है तब अपील दायर होती है । फौजदारी मामलोंमें दो बार अपील हाईकोर्टके निर्णयके विरुद्ध लो० तिलकने अपील करनी चाही थी, पर उन्हें एक बार भी याज्ञा नहीं मिली । फौजदारी मामलोंमें भी याज्ञा नहीं मिलती, पर मद्रास हाईकोर्टके निर्णयके विरुद्ध एक अपीलको याज्ञा मिली थी और उन्हीं फौजदारी सजा भी रद्द हो गयी थी ।

नामके पहले "राइट आनरेबल" लिखते और बोलते हैं । इन्हें शाही चर्दों भी पहननी पडती है ।

१८३३ की १४ वीं आगस्तको पार्लमेंटने प्रिवी कौंसिलकी जुडीशल कमिटीकी रचनाके विषयमें कानून बनाया था । कौन्सिलके लार्ड प्रेसिडेंट और लार्ड हार्ड चान्सेलरके

रचना । सिवा निम्नलिखित पदोंपर स्थित प्रिवीकौन्सिलर प्रिवी कौन्सिलकी जुडिशल कमिटीके मेम्बर रहेंगे, लार्ड कीपर आब दि ग्रेट सील आब ग्रेट ब्रिटेन, किंगज बेंचके लार्ड चीफ जस्टिस या जज, मस्टर आब दि रोल्स, वाइस-चान्सेलर आब इङ्ग्लैण्ड कोर्ट आब कामन प्लीजके लार्ड चीफ जस्टिस या जज, कोर्ट आब एक्सचेकरके लार्ड चीफ बैरन या बैरन, कैंटरबरीके लार्ड विशपके प्रिगोटिव कोर्टके जज, जलसेना विभागके एड्मिरल्टीके जज, दिवालिया आदालतके चीफ जस्टिस और प्रिवी कौन्सिलके वे सय मेम्बर जो कभी लार्ड प्रेसिडेंट या लार्ड चान्सेलर अथवा उक्त किसी पदपर रहे हैं । इनके अतिरिक्त महाराज अपनी प्रिवी कौंसिलके ऐसे दो सदस्योंको इस कमिटीके मेम्बर नियुक्त करते हैं, जो भारत या किसी उपनिवेशमें जज रह चुके हैं । इन दोनोंको कानसोलिडेटेड राजकीय भूसम्पत्तिनी आयसे षेच ह्यु धनके फण्डसे चार चार सौ पाँएड वार्षिक वेतन मिलता है ।

परिशिष्ट (आ)

भारतीय विषय ।

- (१) (क) भारतवर्षकी रक्षा और घे सब विषय जिनका सम्बन्ध सप्राटकी भारतीय जल-सेना, आकाशसेना तथा सलसेना और हथियार बढ पुलिसको छोडकर, जो प्रिलकुल प्रादेशिक सरकार द्वारा रली गयी है, भारतमें पडी होनेवाली किसी सेनासे भी है ।
- (ख) जल तथा सल-सेनाकी इमारतें आदि और छावनिया ।
- (२) बाहरी सम्बन्ध, जिसमे विदेशीको देशी बनाने, परदेशियों और भारतवर्षके बाहरकी तीर्थ यात्रा शामिल है ।
- (३) देशी रियासतोंके साथ सम्बन्ध ।
- (४) राजनीतिक व्यय ।
- (५) नीचे लिखी हुई मद्दोंमें वर्णित गमनागमनके साधन ;
यथा —
- (क) रेलवे और म्यूनीसिपल सीमाके बाहर ट्रामवे, जहातक इस लिस्टके भाग २ के ६ (घ) के अनुसार प्रादेशिक विषयोंमें उनकी गिनती नहीं की गयी ।
- (ख) हवाई जहाज और तत्सम्बन्धी सब बातें , और
- (ग) देशके भीतरी जलमार्ग, जहातक भारत सरकार द्वारा बनाये नियमानुसार या भारतीय व्यवस्थापक मडलके बनाये हुए कनूनके द्वारा या अनुसार उनकी घोषणा हुई हो ।
- (६) जहाज रखना और जहाज चलाना

परिशिष्ट [अ]

शासकोंके वेतन ।

नये गवर्नमेंट आव इण्डिया ऐक्टमें गवर्नर-जेनरल, गवर्नरों और उनकी शासन सभाओंके मेंबरोंके वेतनमें वृद्धि हुई है। प्रथम भागमें पुराने ही वेतन लिखे गये हैं, पर इस परिशिष्टमें वह श्रुति दूर कर दी गयी है।

शासक	अधिकसे अधिक वार्षिक वेतन
गवर्नर-जेनरल	दो लाख छप्पन हजार रुपये
बंगाल, बम्बई, मद्रास और युक्तप्रदेशके गवर्नर	एक लाख अट्ठाईस हजार रुपये
प्रधान सेनापति	एक लाख रुपये
10 और वि० उडीसेके गवर्नर	एक लाख रुपये
मध्यप्रदेशके गवर्नर	बहत्तर हजार रुपये
आसामके गवर्नर	छाछठ हजार रुपये
लेफ्टनेंट गवर्नर	एक लाख रुपये
(प्रधान सेनापतिको छोड़) गवर्नर जेनरलकी शासन- कारिणी सभाके मेम्बर	अस्सी हजार रुपये
बङ्गाल, बम्बई, मद्रास और युक्तप्रदेशके गवर्नरकी शासन सभाके मेम्बर	चौसठ हजार रुपये
पञ्जाब और विहार-उडीसेकी शासन सभाके मेम्बर	साठ हजार रुपये
मध्यप्रदेशके गवर्नरकी शासन सभाके मेंबर	अड़तालीस हजार रुपये
आसामके गवर्नरकी शासन सभाके मेम्बर	बयालीस हजार रुपये

- (२०) उद्योगधन्धोंकी उन्नति जहा लोकहितके लिये भारत सरकारकी आह्वासे ऐसी उन्नति भारत सरकारद्वारा होनेकी घोषणा की गयी है और प्रादेशिक सरकारोंके परमर्शसे होती है ।
- (२१) पोस्तेकी बुआई और अफीमकी तैयारी तथा बाहर भेजनेके लिये उसकी विहीना नियन्त्रण ।
- (२२) भारतसरकारके विभागोंके लिये आवश्यक सामान और स्टेशनरी देशी और विदेशी ।
- (२३) पेट्रोलियम और विस्फोरक पदार्थ ।
- (२४) भूगर्भके पदार्थों का अनुसन्धान ।
- (२५) उन स्वनिज पदार्थों का नियन्त्रण, जिनके नियन्त्रणका अधिकार भारतसरकारको भारतसचिवके बनाये या स्वीकृत नियमोंके अनुसार है ।
- (२६) वनस्पतियोंके विषयका अनुसन्धान ।
- (२७) आविष्कार और डिजाईन (प्राका)
- (२८) कापीराइट ।
- (२९) भारतसे विदेश जाना और विदेशसे भारत आना और एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें जा बसना ।
- (३०) फौजदारी कानून और जाय्ता ।

(ग) के अनुसार जहातक उनके भारतीय विषय होनेकी घोषणा की गयी है, देशके भीतरी जलमर्गों में जहाज रखना और जहाज चलाना शामिल है ।

(७) रोशनीके मीनार (जिनमें उन तक रोशनी पहुँचनेके स्थान भी शामिल हैं) रोशनघर रोशनीके जहाज और लंगर ।

(८) बन्दरोंके करेंटोइन और समुद्री अस्पताल ।

(९) गवर्नर-जेनरलके बनाये नियमसे या व्यवस्थापक मंडलसे निर्धारित बड़े बन्दर ।

(१०) डाक, तार और टेलिफोन बेतारके तार सहित ।

(११) कस्टम, सूती कपडेकी तथा एक्ससाइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, नमक तथा अपिल भारतके आयके अन्य मार्ग ।

(१२) करेन्सी और सिक्का ।

(१३) भारतका ऋण ।

(१४) सेविगज बैंके ।

(१५) इंडिया आडिट डिपार्टमेंट ।

(१६) दीवानी कानून और उसका जागता ।

(१७) वाणिज्य जिसमें बैंकिङ्ग (साहूकारा) और वीमा भी हे ।

(१८) व्यापारी कम्पनिया और अन्य सस्थाए ।

(१९) भारतसरकारके बनाये नियम या व्यवस्थापक मंडलके कानूनसे किसी चीजके पैदा करने और जुटाने तथा फैलानेका नियंत्रण ।

परिशिष्ट (इ)

प्रादेशिक विषय ।

- १ स्थानिक स्वराज्य अर्थात् म्यूनिसिपल बोर्डों, इम्प्रूव-मेंट ट्रस्ट, जिला बोर्डों, स्वास्थ्यके माइनिट्र बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाएँ जो किसी प्रदेशमें स्थानिक स्वराज्यके लिये स्थापित हैं और जिनके प्रादेशिक सरकारके सिवा दूसरेसे ऋण लेनेके अधिकारों और शेड्यूल्ड टैक्सोंके सिवा टैक्स लगानेके बारेमें कानून भारतीय व्यवस्थापक मण्डल बनाता है ।
- २ औपधोपचार व्यवस्था, जिसमें अस्पताल, शफाखाने आश्रम तथा डाक्टरोंकी शिक्षा भी है ।
- ३ सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई और जीवनमरणके आकडे । छुतहे और सक्रामक रोगोंके विषयमें व्यवस्थापक मण्डल कानून बनाता है ।
- ४ ब्रिटिश भारतके अन्दर यात्रा ।
- ५ शिक्षा—हिन्दू और मुस्लिम विश्वविद्यालयों तथा इन नियमोंके बाद बने हुए विश्वविद्यालयों तथा राजकुमार कालेजों, फौजी कालेजों तथा सरकारी कर्मचारियों या इनके लड़कोंके लिये कालेजोंको छोड़कर । नये विश्व-विद्यालयोंकी स्थापना आदिके विषयमें व्यवस्थापक मण्डल कानून बनाता है ।

विशेष विषयोंके अध्ययनके लिये भारतीय एजिन्सिया या सस्थाएं ।

- (३४) पादरियोंकी व्यवस्था जिसमें यूरोपियन कन्नस्तान भी शामिल हैं ।
- (३५) भारतकी पैमाइश ।
- (३६) पुरातत्वविद्या ।
- (३७) प्राणिविद्या ।
- (३८) अन्तरिक्ष विद्या ।
- (३९) मनुष्यगणना और आकड़े ।
- (४०) अखिठ भारतीय नौकरिया ।
- (४१) किसी प्रादेशिक विषयका कानून, जहातक वह व्यवस्थापक मण्डलसे बनना चाहिये और जहातक ऐसे अधिकार कानूनने भारतसरकारको दे दिये गये हैं ।
- (४२) भूभाग सम्बन्धा परिवर्तन और उसके धारेमें कानून ।
- (४३) पदवियों, आर्डरों, अग्रस्थान और मुल्की वर्दों ।
- (४४) भारतसरकारकी प्राप्त की आर उसीके द्वारा रक्षित स्थावर सम्पत्ति ।
- (४५) पब्लिक सर्विस कमीशन ।
- (४६) वे सब विषय जो स्पष्ट रूपसे प्रादेशिक विषयोंमें नहीं रखे गये हैं ।
- (४७) वे सब विषय जो प्रादेशिक विषयोंमें सम्मिलित नहीं हैं ।

परिशिष्ट (इ)

प्रादेशिक विषय ।

- १ स्थानिक स्वराज्य अर्थात् जिले, जिले बोर्डों, ग्रामपंचायतें, जिला बोर्डों, जिला स्टाफ बोर्डों, जिला स्टाफ बोर्डों और अन्य स्थानीय सहायक निकायों के माध्यम से स्थानिक स्वराज्यके लिये स्थापित हैं और जिनके प्रादेशिक सरकारके सिवा दूसरेने अधिकारों और श्रेष्ठतुर्ग टैक्सोंके लिये अधिकारों और भारतीय व्यवस्थापक मण्डलके अन्तर्गत कानून बनाता है ।
- २ औपघोषचार व्यवस्था, जिनमें अस्पताल, शफाखाने आश्रम तथा डाक्टरी शिक्षा भी हैं ।
- ३ सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई और जीवनमरणके स्थापक मण्डल कानून बनाता है ।
- ४ ब्रिटिश भारतके अन्दर यात्रा ।
- ५ शिक्षा—हिन्दू और मुस्लिम विद्यालयों तथा नियमोंके बाद बने हुए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों, फौजी कालेजों तथा सैनिकी कालेजों तथा इनके लड़कोंके लिये कालेजोंके स्थापना मण्डल कानून बनाता है ।
- ६ विद्यालयोंकी स्थापना मण्डल कानून बनाता है ।

६ पब्लिक वर्क्स—

(अ) प्रदेशके शासनके काममे आनेवाली सरकारी इमारतोंका बनाना और मरम्मत करना और पेटि हासिह स्मृतिचिन्होंकी व्यवस्था करना ।

(आ) सडकें, पुल, उतारे, टनेल (सुरंग) ईंटे'जडी पगडडी ।

(इ) म्यूनिसिपैलिटियोंके अन्दर और बाहर ड्राम-गाडिया ।

(ई) हल्की छोटी रेल गाडियां और फीडर रेलवे ।

७ आबपाशी और नहरे, पानीका निकास और बांध, जलसञ्चय और जलशक्तिका उपयोग ।

८ मालगुजारीका बन्दोवस्त । इसका अर्थ है जमा ठहराना और बसूल करना, जमीनकी पैमाइश करना, खेवठ खतियान तैयार करना, लगान सम्बन्धी कानून बनाना, कोर्ट आफ् चार्ड्स इत्यादिका प्रबन्ध करना, नकावो देना लेना, सरकारी जमीन या ख़ास महालका इन्तजाम करना ।

९ दुर्भिक्षसे रक्षा ।

१० कृषि सम्बन्धी शिक्षा और अनुसन्धान ।

११ मवेशियोंका इलाज ।

१२ जल कर ।

१३ सहकारी समितिया (को-आपरेटिव सोसाइटीज)

- १४ जंगल और शिकार ।
- १५ सरकारी या सार्वजनिक कामके लिये जमीन लेना ।
- १६ आवकारी ।
- १७ न्यायालय ।
- १८ कानून विषयक रिपोर्टों का प्रकाशन ।
- १९ गे डमिनिस्ट्रेटर जनरल और सरकारी ट्रस्टी ।
- २० स्टाम्पकी विक्री ।
- २१ दस्तावेजोंकी रजिस्ट्ररी ।
- २२ जन्म, मरण, व्याह शादीका लेखा ।
- २३ धर्मादिकी सम्पत्ति ।
- २४ खनिज ।
- २५ उद्योगधन्धोंकी उन्नति ।
- २६ निम्नलिखित औद्योगिक विषय (अ) कल कारखाने
(आ) मालिक मजूरोंका झगडा निपटाना (इ) विजली
(ई) चायलर (उ) गैस (ऊ) धुआ और (ऋ) मजूरोंकी
भलाई ।
- २७ स्टेशनरी और स्टोर ।
- २८ कचरेमें अलाचका मिश्रण ।
- २९ वाटरस्टंपर ।
- ३० यन्दरगाह ।
- ३१ नवनदिया ।
- ३२ पुलिस ।
- ३३ विद्युत्लिफ्ट ।

- (ब) घाजो बंदने और जुपका नियन्त्रण ।
 (भा) पशुओंके प्रति निर्दयताका रोकना ।
 (इ) जंगली जानवरों और चिड़ियोंका रक्षा ।
 (ई) विपैली वस्तुओंको खरीद विक्रीकी व्यवस्था ।
 (उ) मोटर विषयक नियम ।
 (ऊ) नाटक और घायस्कोपकी उपयुक्तता-अनुप-
 युक्तताका विचार ।

- ३४ समाचार पत्र, पुस्तक और प्रेस सम्बन्धी कानून ।
 ३५ कारोन्तर (मृत्युके कारणका अनुसन्धान करनेवाला कर्मचारी) ।
 ३६ बहिष्कृत प्रदेश या भाग ।
 ३७ जुर्मके लिये बंदनाम जातिया ।
 ३८ यूरोपियनोंकी अवारागदों ।
 ३९ जेलघाने और कैदी ।
 ४० मोशियोंका उत्पात रोकना और कानी हाउस ।
 ४१ जमीनमें गडा हुआ लावारिसी धन मिलनेपर उसका अधिकार ।
 ४२ पुस्तकालय (कलकत्तेकी इम्पीरियल लाइब्रेरीको छोडकर) अजायब घर (कलकत्तेके इण्डियन म्यूजियम-बिकटोरिया मेमोरियल और इम्पीरियल घर म्यूजियमको छोडकर) और चिडियाघाने ।
 ४३ प्रादेशिक सरकारी प्रेस ।

४४ प्रादेशिक और भारतीय व्यवस्थापिका संभागोंके वित्त चुनाव ।

४५ डाक्टरों या और पेशेवालोंको योग्यता क्या होना चाहिये इसका निर्णय ।

४६ स्थानीय संस्थाओंके फंडकी जाच ।

(४७) प्रादेशिक और भारतीय कर्मचारियोंका अनुसंसासन ।

(४८) प्रादेशिक आयको ऐसी मद्दे जो उल्लिखित विषयोंसे सम्बन्ध नहीं रखती ।

(४९) प्रादेशिक आयकी जमानतपर कर्ज लेना ।

(५०) किसी प्रादेशिक कानूनके सम्बन्धमें दण्डकी व्यवस्था करना ।

(५१) कोई ऐसी बात जो भारतसरकारके विषयके अन्तर्गत होनेपर भी गवर्नर जनरल द्वारा स्थानीय घोषित कर दी जाय ।

(५२) भारतसरकारके किसी विषयको ऐसी बातें जिनके सम्बन्धमें कानूनद्वारा किसी प्रादेशिक सरकारको कुछ अधिकार मिला हो ।

परिशिष्ट [डे]

हस्तान्तरित विषय ।

प्रादेशिक विषयोंकी जो सूची परिशिष्ट (६) में दी गयी[^] उसके १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १३, २१, २२,

२८, २९, और ४२ संख्यक विषय तो सब प्रदेशोंमें हस्तान्तरित विषय किये गये हैं अर्थात् इनकी व्यवस्था मन्त्रियोंके हाथमें है। ६, १२ और १६ संख्यक विषय आसामको छोड़ अन्य सभी गवर्नरोंके प्रदेशोंमें हस्तान्तरित विषय हैं। १४ संख्यक विषय केवल बम्बई प्रदेशमें ही हस्तान्तरित किया गया है। ५० प्रादेशिक विषयोंमें २० से अधिक किसी प्रदेशके मन्त्रियोंके अधीन नहीं किये गये हैं।



